KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY, UTTAR PRADESH, LUCKNOW

(erstwhile Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University, Uttar Pradesh, Lucknow)

INDEX

S.No.	Particulars	Page No.
1.	First Statutes, 2011 (Hindi) *(Original Gazette Copy)*	1-76
2.	First Statutes, 2011 (English) *(With All Amendments incorporated)*	77-138
3.	Amendment, 2018 (in Statute 9.03, 11.01, 11.02, 11.03, 13.01, 16.14)	139-143
4.	Amendment, 2019 (in Statute 5.02, 7.01, 10.01, 10.03, 10.04, 10.06, 11.10)	144-154
5.	Amendment, 2021 (in Statute 11.07, 11.08, 11.09, 11.10)	155-158

अनुक्रमणिका (परिनियमावली हिंदी वर्जन)

अध्याय संख्या	अध्याय का नाम / उप शीर्षक	पृष्ठ संख्या
अध्याय – एक	प्रारम्भिक	01
अध्याय – दो	विश्वविद्यालय के अधिकारी और अन्य कृत्यकारीगण ➢ कुलाधिपति ➢ कुलपति ➢ वित्त अधिकारी ➢ कुल सचिव ➢ परीक्षा नियंत्रक ➢ संकाय के संकायाध्यक्ष ➢ छात्र – कल्याण का संकायाध्यक्ष ➢ विभागाध्यक्ष ➢ कुलानुशासक	03
अध्याय – तीन	कार्य परिषद्	16
अध्याय – चार	सभा	16
अध्याय – पांच	विद्या परिषद्	17
अध्याय – छः	वित्त समिति	19
अध्याय – सात	संकाय ➢ विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी ➢ पुस्तकालयाध्यक्ष	20
अध्याय – आठ	विभागीय समितियाँ ➢ परीक्षा समिति	23
अध्याय – नौ	चिकित्सालय ➢ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ➢ चिकित्सा अधीक्षक ➢ उपचिकित्सा अधीक्षक ➢ सहायक अधीक्षक ➢ चिकित्सालय परामर्श दात्री समिति ➢ चिकित्सालय क्रय समिति	25
अध्याय – दस	विश्वविद्यालय के अध्यापक ➢ संकाय सदस्य ➢ चयन प्रक्रिया ➢ शिक्षको की वैयक्तिक पदोन्नति ➢ पदोन्नति हेतु अपनायी जानेवाली प्रक्रिया ➢ चयन समिति द्वारा चयनित न किए जा सकने वाले अध्यापक के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ➢ शिक्षक द्वारा किये जाने वाला अनुबंध ➢ अध्यापकों का आचरण	33
अध्याय – ग्यारह	अध्यापकों का प्रवेश और उनकी अधिवर्षता की आयु ➢ अध्यापकों का पुनर्नियोजन ➢ सेवानिवृत्ति ➢ सेवा समाप्ति ➢ निलंबन ➢ अवकाश	41

INDEX (STATUTES ENGLISH VERSION)

Chapter No.	Chapter Name / Sub Heading	Page No.
Chapter – I	Preliminary	77
Chapter – II	Officers and other functionaries of the Univeristy ➢ The Chancellor ➢ The Vice Chancellor ➢ Finance Officer ➢ The Registrar ➢ The Controller of Examination ➢ Dean of Faculty ➢ The Dean of Students Welfare ➢ Head of Department ➢ The Proctor	78
Chapter – III	The Executive Council	90
Chapter – IV	The Court	90
Chapter – V	The Academic Council	91
Chapter – VI	The Finance Committee	92
Chapter – VII	The Faculties ➢ Oher Authorities of the University ➢ The Librarian	93
Chapter - VIII	Departmental Committees ➢ Examination Committee	96
Chapter – IX	Hospitals ➢ Chief Medical Superintendent ➢ Medical Superintendent ➢ Deputy Medical Superintendent ➢ Assistant Superintendents ➢ Hospital Advisory Committee ➢ Hospital Purchase Committee	98
Chapter – X	University Teachers ➢ Faculty Members ➢ Seclection Process ➢ Personal Promotion of Teachers ➢ Procedure to be adopted for Promotion ➢ Procedure to be adopted in case of teacher who failed to be selected by the Selection Committee ➢ Contract/Undertaking- By Teacher ➢ Conduct of Teachers	104
Chapter – XI	Entry and Superannuation age of teachers ➢ Re-employment of teachers ➢ Retirement ➢ Termination ➢ Suspension ➢ Leave	110

	➢ धारणाधिकार/प्रतिनियुक्ति ➢ विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता ➢ अनुशासनिक समिति ➢ जन सम्पर्क अधिकारी	
अध्याय – बारह	**विश्वविद्यालय के छात्र** ➢ प्रवेश समिति	**48**
अध्याय – तेरह	**चिकित्सा/ दन्त महाविद्यालयों/ परिचर्या महाविद्यालयों/ पराचिकित्सीय विज्ञान महाविद्यालयों की सम्बद्धता**	**49**
अध्याय – चौदह	**दीक्षांत समारोह**	**56**
अध्याय – पन्द्रह	**प्रकीर्ण**	**56**
अध्याय – सोलह	**भाग - 1** **विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी शर्तें** ➢ भर्ती/पदोन्नति ➢ नियुक्ति के लिए रिक्तियों का अवधारण ➢ भारती और पदोन्नति के लिए पात्रता ➢ भर्ती ➢ पक्ष समर्थन ➢ नियुक्तियाँ/पदोन्नति ➢ परिवीक्षा ➢ स्थायीकरण ➢ नियुक्ति और पदोन्नति के लिए नियम ➢ विश्वविद्यालय के समूह घ के कर्मचारियों की समूह ग श्रेणी में सीधी भर्ती ➢ ज्येष्ठता ➢ कोटिक्रम सूची ➢ वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ➢ अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति ➢ त्यागपत्र ➢ छुट्टी **भाग - 2** **अनुशासन और अपील** ➢ शास्तियाँ ➢ लघु शास्तियाँ ➢ वृहद् शास्ति	**56**
परिशिष्ट 'क'	**आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन** ➢ भाग – 1 – सामान्य ➢ भाग – 2 – डाक मत-पत्र द्वारा संचालित निर्वाचन ➢ भाग – 3 – अधिवेशनों में निर्वाचनों का किया जाना	**68**
परिशिष्ट 'ख'	**विश्वविद्यालय से महाविद्यालयों की सम्बद्धता के लिए विहित फीस**	**75**

	➢ Lien/Deputation ➢ Seniority of the teachers of the University ➢ Disciplinary Committee ➢ Liaison Officer	
Chapter – XII	Students of the University ➢ Admissions Committee	116
Chapter – XIII	Affiliation of Medical/Dental Colleges/Nursing Colleges/Paramedical Sciences College	117
Chapter – XIV	Convocation	121
Chapter – XV	Miscellaneous	122
Chapter – XVI	Part – I Conditions of services of non-teaching staff of the University ➢ Recruitment/Promotion ➢ Determination of vacancies for Appointment ➢ Eligibility for recruitment and promotion ➢ Recruitment ➢ Canvassing ➢ Appointments/Promotions ➢ Probation ➢ Confirmation ➢ Rules for Appointment and Promotion ➢ Direct intake of Class D amployees of the University into Class C Category ➢ Seniority ➢ Gradation Lists ➢ Annual Confidential Report ➢ Supperanuation/Retirement ➢ Resignation ➢ Leave Part – II Discipline and Appeal ➢ Penalties ➢ Minor Penalties ➢ Major Penalties	122
Appendix "A"	Election by promotional representation by means of single transferable vote ➢ Part – I – General ➢ Part – II – Elections conducted by Postal Ballot ➢ Part – III – Elections held at Meetings	131
Appendix "B"	Fee Structure for the affiliation of the college with the University	136

क्रम-सं०-174

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी० / एस०

उ०प्र० / एन०पी०-91 / 2011-13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 29 जुलाई, 2011

श्रावण 7, 1933 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

संख्या : 2682/71-2-11-सी0एम0यू0-6/2003

लखनऊ, 29 जुलाई, 2011

अधिसूचना

सा0प0नि0--55

छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2002) की धारा 42 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए प्रथम परिनियमावली बनाते हैं:

छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, प्रथम परिनियमावली, 2011

अध्याय -- एक

प्रारम्भिक

1.01 (1) यह परिनियमावली छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, प्रथम परिनियमावली, 2011 कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

1.02 छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों से सम्बन्धित सरकार द्वारा जारी समस्त शासनादेशों, अधिसूचनाओं और नियमों, जो इस परिनियमावली से असंगत हों, इस असंगतता की सीमा तक एतद्द्वारा विखण्डित किया जाता है और वे इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व कृत या किये जाने हेतु लोपित बातों के सिवाय तत्काल निष्प्रभावी हो जाएंगे।

धारा 42

1.03 जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस परिनियमावली में,-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य समय समय पर यथा संशोधित छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम 2002 से है।

(ख) "खण्ड" का तात्पर्य परिनियम के उस खण्ड से है जिसमें उक्त पद आया हो,

(ग) "विश्वविद्यालय के अधिकारी" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 14 के किसी खण्ड में उल्लिखित किसी अधिकारी और इस परिनियमावली के अध्याय 2 में इस रूप में घोषित अधिकारियों से है।

(घ) "धारा" का तात्पर्य अधिनियम की किसी धारा से है।

(ड़) "कर्मचारी" का तात्पर्य छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी से है।

1.04 इस परिनियमावली में किसी अध्यापक की आयु के सम्बन्ध में सभी निर्देश सम्बन्धित अध्यापक के जन्म दिनांक के प्रति, जो उसके हाईस्कूल प्रमाणपत्र में या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य परीक्षा प्रमाणपत्र में उल्लिखित हो, निर्देश समझे जायेंगे।

1.05 विश्वविद्यालय के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अध्यापकों (प्रवक्ता/सहायक आचार्य, सहआचार्य/आचार्य,) शिक्षणेतर कर्मचारिवर्ग तथा अन्य कर्मचारियों के लिए नियुक्ति में समय समय पर पारित सरकारी नियमों के अनुसार चक्रानुक्रम में आरक्षण होगा। निम्नलिखित प्राधिकारियों के सम्बन्ध में ऐसे स्थानों पर जहाँ एक से अधिक व्यक्तियों के चयन या चुनाव का उपबन्ध हो, वहाँ तद्निमित्त उपबंधित आरक्षण के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। उसी प्रकार से पदोन्नति के लिए गठित की जाने वाली चयन समितियों और किन्हीं अन्य समितियों में भी आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व आवश्यक होगा :

(क) कार्यपरिषद
(ख) विद्यापरिषद
(ग) वित्त समिति
(घ) संकाय बोर्ड
(ड़) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति हेतु चयन समितियाँ
(च) प्रवेश समिति
(छ) शोध समिति
(ज) परीक्षा समिति, और ऐसे अन्य प्राधिकारी, जैसा कि परिनियम 7.02 और 7.03 में उल्लिखित है।
(झ) विश्वविद्यालय के कोई अन्य प्रशासनिक पद यथा कुलानुशासक, प्रोवोस्ट (वार्डेन) आदि के पद।

1.06 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

1.06ए चिकित्सा विश्वविद्यालय में शैक्षिक पदों पर चयन हेतु समान प्रास्थिति, वेतन तथा योग्यता/अर्हता वाले संकाय सदस्यों के पदों के आधार पर संवर्गों का निर्धारण करते हुए

परिनियम-1.06 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार शैक्षिक पदों पर आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

1.07 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रकोष्ठ और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रकोष्ठ/समितियों की संस्था होगी जिनके प्रधान सम्बन्धित सम्पर्क अधिकारी होंगे जो कार्यपरिषद/राज्य सरकार द्वारा नामानिर्दिष्ट होंगे अर्थात् एक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और एक अन्य पिछड़े वर्गों के अध्यापकों में से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्गदर्शनों के अधीन आरक्षण के मामलों का अनुश्रवण करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

अध्याय–दो

विश्वविद्यालय के अधिकारी और अन्य कृत्यकारीगण

कुलाधिपति

धारा 15 (1) एवं 41 (ग) धारा 53

2.01 (1) उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलाधिपति होंगे।

(2) कुलाधिपति, अधिनियम की धारा 53 के अधीन निर्दिष्ट किये गये किसी विषय पर विचार करते समय विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध पक्षकारों से ऐसे दस्तावेज या सूचना, जिसे वह आवश्यक समझें, मांग सकते हैं और किसी अन्य मामले में विश्वविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना मांग सकते हैं।

(3) जहाँ कुलाधिपति उपपरिनियम (2) के अधीन विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध पक्षकारों से ऐसे दस्तावेज या सूचना माँगे, वहाँ कुलसचिव और कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि ऐसे दस्तावेज या सूचना उन्हें तुरन्त उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

धारा-16(12) (4) यदि कुलाधिपति की राय में, कुलपति जान-बूझकर आरक्षण विधियों के अनुपालन सहित इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने निहित शक्तियों का दुरूपयोग करता हैं और यदि कुलाधिपति को यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिये अहितकर है, तो कुलाधिपति ऐसी कोई जाँच करने के पश्चात, जिसे वह उचित समझें कुलपति को आदेश द्वारा हटा सकते हैं।

(5) कुलाधिपति को उपरिनियम (4) में निर्दिष्ट किसी जाँच के विचाराधीन रहने के दौरान अथवा उसको अनुध्यात करते हुये, कुलपति को निलम्बित करने की शक्ति होगी।

कुलपति

धारा 15 (1) एवं 41 (ग)

2.02 (1) कुलपति की नियुक्ति पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव रखने वाले देश या विदेश के प्रख्यात व्यक्तियों में से की जाएगी।

(2) कुलपति की नियुक्ति अधिनियम में निर्धारित की गयी रीति से की जाएगी और वह ऐसे समस्त कर्तव्यों का पालन करेगा तथा ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसाकि अधिनियम और परिनियमावली में निर्धारित किये गये हैं।

(3) कुलपति विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त चिकित्सालयों के साथ ही साथ विश्वविद्यालय से सम्बन्धित समस्त मामलों के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होगा।

(4) विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी, जिसमें उसके संयुक्त अस्पतालों के (सम्बद्ध अस्पतालों को छोड़कर) कर्मचारी सम्मिलित है, हितबद्ध होंगे और कुलपति के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे।

(5) कार्य परिषद, विद्या परिषद, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति, वित्त समिति, अस्पताल सलाहकार समिति चयन समिति, अनुशासन समिति, ज्येष्ठता समिति, सभा और अन्य सांविधिक समितियों का सभापति होने के नाते कुलपति देश में और बाहर सर्वोत्तम

चिकित्सा संस्थाओं में विश्वविद्यालय को स्थान दिलाने के लिए विद्या/शोध और प्रशिक्षण क्रिया कलापों, सकारात्मक नवीकरण सृजित करने, अध्यापकों और अन्य कर्मचारिवर्ग की क्षमता और प्रतिभा का उपयोग करने को उन्नत बनाने और उन्नयन के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) कुलपति विश्वविद्यालय में चिकित्सा शिक्षा के मानक के अनुरक्षण और उन्नयन के लिए उत्तरदायी होगा जिसमें नवीनता, नई और अद्यतन तकनीक, चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में वर्तमान और भावी आवश्यकताओं से सम्बन्धित विभिन्न पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करना है और सहयुक्त अस्पतालों सहित विश्वविद्यालय के सम्पूर्ण प्रशासन के लिए एकमात्र रूप से उत्तरदायी होगा।

(7) कुलपति विश्वविद्यालय के सभी अध्यापन कर्मचारिवर्ग, अधिकारियों, चिकित्सा अधीक्षकों, विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर व्यक्तियों, परिचारिकाओं और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का उचित आचरण और आशानुकूल सम्पादन सुनिश्चित करेगा। वह ऐसी आवश्यक कार्यवाई करेगा जैसी इसे पूर्ण करने को उचित समझें।

(8) कुलपति अधिकारियों, अध्यापकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारिवर्ग में, जिसमें विश्वविद्यालय के छात्र भी सम्मिलित हैं अनुशासन, विद्या परिवेश, कार्य शैली, उत्तरदायित्व और विद्या/वित्तीय/नैतिक निष्ठा के अनुरक्षण और उन्नति के लिए उत्तरदायी होगा। वह आवश्यक कार्यवाई करेगा जो इसे पूर्ण करने को उचित समझी जाए।

(9) कुलपति यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास करेगा कि एक अद्यतन केन्द्रीय पुस्तकालय विद्या और शोध प्रकाशनों को आवश्यक गति देने के लिए उचित संसूचना और नेटवर्किंग सुविधाओं के साथ उपलब्ध रहे।

(10) कुलपति, विद्या सम्बन्धी श्रेष्ठता को उन्नत बनाने के लिए, विद्या/व्यवसायिक सहयोग स्थापित करने और संकाय/छात्रों/अन्य कर्मचारियों के लिए आदान-प्रदान कार्यक्रमों को, जैसा कि देश में और बाहर विख्यात चिकित्सा संस्थाओं में लागू है, स्थापित करने के विशेष प्रयास करेगा।

(11) कुलपति रोगियों की देखभाल के लिए अद्यतन/विशिष्ट ढाँचे की व्यवस्था करने और संपृक्त अस्पतालों और उनकी सेवाओं के अग्रतर विकास और विस्तार के लिए आवश्यक कदम उठाने/कार्रवाई करने के लिए विशेष प्रयास करेगा।

(12) कुलपति अद्यतन व्यवसायिक अध्यापन/प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह अधिकारियों, संकाय, चिकित्सा अधीक्षकों, रेजीडेन्टों, कर्मचारियों, परिचर्या कर्मचारिवर्ग, पैरा मेडिकल स्टाफ और अन्य का उनके कर्तव्यों के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित करेगा और ऐसी आवश्यक कार्रवाई करेगा जैसी इसे निष्पन्न करने के लिए उचित समझी जाए।

(13) कुलपति की यह शक्ति होगी कि वह अध्यापक/अधिकारी या किसी अन्य कर्मचारी को निलम्बित कर दे जिसका नियुक्ति प्राधिकारी विश्वविद्यालय का कुलपति या कार्य परिषद है इसमें संपृक्त अस्पतालों का कर्मचारिवर्ग भी है, जो उसकी राय में अधिनियम/परिनियमावली के उपबन्धों का अनुपालन करके निहित शक्ति का दुरूपयोग करता है और यदि कुलपति को ऐसा प्रतीत हो कि उसका पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हितों के विरूद्ध हैं। यदि दोषी पाया जाए, तो प्रस्तावित दण्ड के लिए, जिसमें सेवा समाप्ति/पदच्युति सम्मिलित हैं, कुलपति की संस्तुति के साथ कार्य परिषद के समक्ष आवश्यक कार्रवाई के लिए रखा जाएगा।

(14) कुलपति संस्था में श्रेष्ठतर सुविधाओं और विद्या सम्बन्धी परिवेश को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी, निजी भागीदारी को भी प्रोत्साहित करेगा।

(15) कुलपति के व्यक्तिगत या सरकारी तौर पर लघु छुट्टी पर होने की दशा में वह उसकी अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दैनिक कार्यों की देखभाल के लिए किसी ज्येष्ठतम आचार्य को अनुरोध करेगा।

(16) कुलपति विश्वविद्यालय के उच्चीकरण में प्रयोग किये जाने के लिए छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय और पूर्ववर्ती किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों से दान और निधि प्राप्त करने के लिए भी प्रयास करेगा।

(17) कुलपति की यह शक्ति होगी कि वह सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या संस्थान से, अध्यापन, परीक्षा, शोध, वित्त से सम्बन्धित किसी मामले के सम्बन्ध में या महाविद्यालय या संस्थान में अनुशासन या अध्यापन की दक्षता को प्रभावित करने वाले विषय के दस्तावेज या सूचना मंगा सकता है जैसा वह उचित समझे।

वित्त अधिकारी

धारा 19 और 41 (ग) 2.03 (1) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय का पूर्ण कालिक अधिकारी होगा।

(2) वित्त अधिकारी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाएगा।

(3) वित्त अधिकारी की नियुक्ति उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित प्रतिनियुक्ति के नियमों, निबन्धन और शर्तों द्वारा शसित होगी।

(4) वित्त अधिकारी कुलपति द्वारा यथा प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन कर्तव्यों को सम्पादन करेगा।

(5) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव भी होगा।

(6) वित्त अधिकारी ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कुलाधिपति, कुलपति और वित्त समिति के आदेशों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या समीचीन हों।

(7) वित्त अधिकारी जबतक कुलपति द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाय, उत्तर प्रदेश सरकार से और/या विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी से विश्वविद्यालय का सभी वित्तीय पत्र व्यवहार करेगा।

(8) वित्त अधिकारी, अधिनियम और परिनियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए अनुशासनिक नियंत्रण रखेगा और उसके अधीन कार्यरत किसी कर्मचारी के विरूद्ध साक्ष्यों से समर्पित आरोपों के आलेख के साथ दण्डात्मक कार्रवाई के लिए कुलसचिव को संस्तुति करेगा जिसमें कुलपति के अनुमोदन के पश्चात् उसके अनुभाग के कर्मचारी का निलम्बन, पदच्युति, सेवा से हटाना, पदावनति, प्रत्यावर्तन, सेवा समाप्ति या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शक्ति सम्मिलित है।

(9) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो या जब वित्त अधिकारी छुट्टी पर हो तो उसके पद के कर्तव्यों का सम्पादन राज्य सरकार के वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(10) वित्त अधिकारी कर्तव्यों का सम्पादन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा कि अधिनियम/राज्य सरकार के वित्तीय नियमों में विहित है।

(11) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय की निधि का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा।

(12) वित्त अधिकारी किसी वित्तीय मामले में या तो स्व-प्रेरणा से या कुलपति द्वारा उसकी सलाह माँगे जाने पर सलाह देगा।

(13) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय की नकदी, बैंक राशि और विनिधान की स्थिति पर अनवरत दृष्टि रखेगा।

(14) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय की आय का संग्रह करेगा और भुगतानों का वितरण और लेखों का अनुरक्षण करेगा।

(15) वित्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बजट में अप्राधिकृत कोई व्यय (विनिधान से भिन्न) विश्वविद्यालय द्वारा उपगत न किया जाए।

(16) वित्त अधिकारी किसी अप्राधिकृत व्यय और अन्य वित्तीय अनियमितताओं की जांच करेगा और दोषी व्यक्ति (व्यक्तियों) के विरूद्ध की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी को सुझाव देगा।

(17) वित्त अधिकारी की विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेख और दस्तावेजों तक पहुंच होगी और उन्हें प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय के क्रियाकलाप से सम्बन्धित ऐसी सूचना प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकता है, जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

(18) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय के लेखों की आंतरिक लेखा परीक्षा संचालन की व्यवस्था करेगा और ऐसे बिलों की पूर्व लेखा परीक्षा करेगा, जिनकी इस निमित्त किसी स्थायी आदेश के अनुसार अपेक्षित हो। तथापि, परीक्षा नियंत्रक अनुभाग के गोपनीय अनुभाग के लेखों की लेखा परीक्षा नहीं की जाएगी।

(19) वित्त अधिकारी वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करेगा जो उसे कुलपति द्वारा सौंपे जाएं।

(20) वित्त अधिकारी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आवंटित निधि का उचित उपयोग सुनिश्चित करेगा।

कुल सचिव

धारा 20 (1) 20 (2) और 56 (ङ)

2.04 (1) कुल सचिव विश्वविद्यालय का पूर्ण कालिक अधिकारी होगा।

(2) कुल सचिव की नियुक्ति उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर की जाएगी।

(3) कुल सचिव की नियुक्ति उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित प्रतिनियुक्ति के नियमों, निबंधन और शर्तों द्वारा शासित होगी। कुल सचिव सभी सेवा लाभों को पाने का हकदार होगा, जिन्हें वह राज्य सरकार में प्रा रहा था, इसमें विद्यमान सरकारी नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति भत्ता और चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्मिलित है।

(4) कुल सचिव उन शक्तियों का भी प्रयोग करेगा जो कुलपति और कार्य परिषद द्वारा प्रत्यायोजित की जाएं।

(5) कुल सचिव सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और कुलपति, विद्या परिषद और कार्य परिषद के आदेशों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक या समीचीन हों।

(6) कुल सचिव कार्य परिषद, विद्या परिषद और प्रवेश समिति या किसी भी समय गठित किसी अन्य प्रशासनिक समिति का पदेन सदस्य सचिव भी होगा।

(7) कुल सचिव विश्वविद्यालय की सभी संपत्तियों का अभिरक्षक होगा। वह वित्तीय नियमों के अधीन विश्वविद्यालय के दैनिक व्ययों की भी स्वीकृति प्रदान करेगा।

(8) कुल सचिव विश्वविद्यालय में सभी विकास सम्बन्धी क्रिया कलापों का पर्यवेक्षण करेगा इसमें नये संयंत्रो, फर्नीचर, उपस्करों और मशीनों का निर्माण, मरम्मत और स्थापना सम्मिलित है और विश्वविद्यालय के हित में समुचित अनुदेश पारित करेगा।

(9) कुल सचिव विश्वविद्यालय का सभी सरकारी पत्र व्यवहार करेगा जब तक कि कुलपति द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए।

(10) कुल सचिव विश्वविद्यालय की ओर से उसके विरूद्ध कानूनी वादों और कार्यवाही में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगा। इन कार्यवाहियों में वह मुख्तारनामा पर हस्ताक्षर करेगा। अभिवचनों की पुष्टि करेगा।

(11) अधिनियम के उपबन्धों और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिनियम नीति के अनुसार कुलसचिव अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की आरक्षण नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।

(12) अधिकारियों, अध्यापकों और पुस्तकालयाध्यक्ष के सिवाय, कुलसचिव, परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण रखेगा। तथापि, परीक्षा नियंत्रक और वित्त अधिकारी के नियंत्रण के अधीन कर्मचारिवर्ग के सम्बन्ध में कार्रवाई कुलसचिव द्वारा नियमों के अनुसार की जाएगी जब कभी भी परीक्षा नियंत्रण और वित्त अधिकारी द्वारा सूचित किया जाए।

(13) कुलसचिव विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों की (अध्यापकों, अधिकारियों और पुस्तकाध्यक्षों के सिवाय) नियुक्ति करेगा और उनकी योग्यता और अनुशासन के अनुसार संस्थान के हित में अधिकतम कार्य प्राप्त करने के लिए स्थानांतरित करेगा और अध्यापन, रोगी देखभाल के विभिन्न विभागों और विभिन्न अधिकारियों में नियतकालिक स्थानांतरण भी सुनिश्चित करेगा।

(14) (एक) कुलसचिव खण्ड, 2.04 (14) के अधीन कार्रवाई करेगा जिसमें किसी कर्मचारी का (खण्ड 2.04 (13) में विनिर्दिष्ट से भिन्न) न्यायोचित कारणों से निलम्बन, पदच्युति, हटाने, पदावनति, प्रत्यावर्तन पदच्युति या अनिवार्य सेवा निवृत्ति की शक्ति सम्मिलित है।

(दो) कुलसचिव यह सुनिश्चित करेगा कि कोई दण्डात्मक कार्रवाई (उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन और अपील नियमावली 1999 में परिभाषित लघु दण्ड के सिवाय) किसी कर्मचारी के विरूद्ध उचित जाँच, कारण बताओं नोटिस और उसके विरूद्ध आरोप लगाए बिना नहीं की जाएगी।

(तीन) उपर्युक्त प्रक्रिया, यद्यपि, निम्नलिखित मामलों में प्रवृत्त नहीं होगी जहाँ की गई कार्रवाई के सम्बन्ध में कारण (जिसमें कदाचार और अदक्षता सम्मिलित हैं) आदेश में अनावृत नहीं किए गये हों।

(क) पदोन्नति कर्मचारी का उसके मूल पद पर प्रत्यावर्तन।

(ख) अस्थायी कर्मचारी की सेवा समाप्ति।

(ग) किसी कर्मचारी की पचास वर्ष या उससे अधिक आयु हो जाने के पश्चात् उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति।

(चार) व्यथित कर्मचारी का यह विकल्प होगा कि वह अपनी व्यथा निवारण के लिए कुलपति को अपना प्रतिवेदन या अपील कर सके।

(15) कुलसचिव विद्यमान अधिनियम, परिनियमावली और विभिन्न सरकारी आदेशों के अनुसार किसी विषय की वास्तविक स्थिति कार्य परिषद सहित विभिन्न समितियों में मुद्दे का विनिश्चय करने के लिए स्पष्ट करेगा। कुलसचिव के विचारों को समिति की कार्यवाही में अभिलिखित किया जाएगा।

परीक्षा नियंत्रक

धाराः 21 (1) (2), (3), (4), (5) (6) और (7)

2.05 (1) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्ण कालिक अधिकारी होगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके विश्वविद्यालय में उसके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रारम्भ होकर तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर की जाएगी। जब तक राज्य सरकार द्वारा परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति न की जाए, परीक्षा नियंत्रक का कार्य

आचार्यों में कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के अध्यापक द्वारा सम्पादित किया जाएगा।

(3) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित प्रतिनियुक्ति के नियमों, निबंधन और शर्तों द्वारा शासित होगी।

(4) परीक्षा नियंत्रक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि कुलपति द्वारा लिखी जाएगी जिसे सम्यक् रूप से उसके पैतृक विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार को अग्रसारित किया जाएगा।

(5) परीक्षा नियंत्रक कुलपति द्वारा यथा प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन कार्य करेगा।

(6) परीक्षा नियंत्रक परीक्षा समिति का पदेन सचिव भी होगा।

(7) परीक्षा नियंत्रक सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो परीक्षाओं से सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में कुलाधिपति, कुलपति और परीक्षा समिति के आदेशों को लागू करने के लिए आवश्यक या समीचीन हों।

(8) परीक्षा नियंत्रक अधिनियम में यथा विहित कर्तव्यों का संपादन और शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(9) (एक) परीक्षा नियंत्रक, अधिनियम और परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलपति की ओर से विश्वविद्यालय के परीक्षा अनुभाग में सभी कर्मचारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण रखेगा।

(दो) वह उसके अनुभाग में कार्यरत किसी कर्मचारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही के लिए, साक्ष्यों से समर्थित आरोपों के प्रारूप के साथ कुलसचिव को कार्रवाई संस्तुत करेगा। इसमें न्यायोजित कारणों से कुलपति के अनुमोदन के पश्चात् उसके अनुभाग के कर्मचारी के निलम्बन, पदच्युति, हटाना-पदावनति, प्रत्यावर्तन, सेवा समाप्ति या अनिवार्य सेवा निवृत्ति की शक्ति सम्मिलित है।

(तीन) परीक्षा नियंत्रक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी कर्मचारी के विरूद्ध उचित जाँच, कारण बताओ नोटिस और विरूद्ध आरोप लगाए बिना कोई दण्डात्मक कार्यवाई न की जायें।

(चार) तथापि, उपर्युक्त प्रक्रिया निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगी जहाँ कृत कार्रवाई के कारण (जिसमें कदाचार और अदक्षता सम्मिलित है) आदेश में अनावृत न हों।

(क) पदोन्नति कर्मचारी का उसके मूल पद पर प्रत्यावर्तन।

(ख) अस्थायी कर्मचारी की सेवा समाप्ति।

(ग) किसी कर्मचारी के पचास वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् उसकी अनिवार्य सेवा निवृत्ति।

(पांच) व्यथित कर्मचारी का यह विकल्प होगा कि वह अपनी व्यथा निवारण के लिए कुलपति को प्रतिवेदन दे या अपील करें।

(10) परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा। वह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षार्थी या परीक्षकों को लिखित और प्रयोगात्मक परीक्षाओं में किसी अनुचित साधन का प्रयोग अनुमन्य न किया जाए।

(11) परीक्षा नियंत्रक विनिर्दिष्ट समय के भीतर परीक्षाओं के उचित संचालन और परीक्षाफलों की घोषणा के लिए उत्तरदायी होगा।

(12) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संचालन के लिए ऐसे रीति-विधान, संवीनता और प्रक्रिया को अपनाएगा जो परीक्षा समिति के परामर्श के पश्चात् कुलपति के अनुमोदन के अधीन समय-समय पर प्रारम्भ किए जाने और कार्यान्वित किए जाने के लिए आवश्यक हो।

(13) परीक्षा नियंत्रक को किसी गोपनीय दस्तावेज् के उद्घाटन और या विश्वविद्यालय की परीक्षा में अपनाए गये किसी अनुचित मूल्याकंन के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। ऐसे मामले में, परीक्षा नियंत्रक कुलपति द्वारा की जाने वाली समुचित कार्रवाई के लिए अपनी संस्तुति के साथ मामलों की रिपोर्ट करेगा।

(14) परीक्षा नियंत्रक सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के सहयोग से लिखित और प्रयोगात्मक परीक्षाओं का उचित संचालन और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

(15) परीक्षा नियंत्रक कुलपति के अनुमोदन के अधीन सारणीयकों की नियुक्ति करेगा।

(16) परीक्षा नियंत्रक सम्बन्धित विषयों के अध्ययन बोर्ड द्वारा यथा प्रस्तावित बाहरी और आतंरिक परीक्षकों के नामों पर पैनल कुलपति को प्रस्तुत करेगा। कुलपति या तो पैनल के नामों में से या पैनल से बाहर किसी अन्य पात्र व्यक्ति (व्यक्तियों) को विश्वविद्यालय परीक्षा के आतंरिक और बाहरी दोनों की वांछित संख्या को नाम-निर्दिष्ट करेगा। परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय के परीक्षकों के रूप में कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्तियों को ही नियुक्त करेगा। विश्वविद्यालय में आतंरिक रूप से या बाहरी रूप से अध्यापकों की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए, अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के परीक्षकों का अतिरिक्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा।

(17) परीक्षा नियंत्रक की अपर नियंत्रक और सहायक नियंत्रक द्वारा सहायता की जाएगी, जिनकी संख्या समय की आवश्यकतानुसार भिन्न-भिन्न हो सकती है। अपर/सहायक परीक्षा नियंत्रकों की नियुक्ति कुलपति द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अध्यापकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व रखत हुए विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से की जाएगी।

(18) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय में अधिस्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा/परीक्षाओं को संचालित करने के लिए कुलपति के निदेशन के अधीन उत्तरदायी होगा यदि भविष्य में किसी प्रक्रम पर विश्वविद्यालय अपनी निजी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का विनिश्चय करें।

(19) परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करेगा जो उसे कुलपति द्वारा सौपें जाएं।

(20) परीक्षा नियंत्रक की परीक्षाओं के सम्बन्ध में उसके द्वारा कृत सभी कार्यों के लिए कुलपति के प्रति सीधी जवाबदेही होगी।

संकाय के संकायाध्यक्ष

धारा:14 (छ) और 41 (ख) 2.06

(1) संकायाध्यक्ष की नियुक्ति विश्वविद्यालय के प्रत्येक संकाय के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 14 में निहित उपबन्धों के अनुसार की जाएगी।

(2) कुलपति संकाय के ज्येष्ठतम आचार्य को संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगा।

(3) संकायाध्यक्ष की नियुक्ति की अवधि केवल तीन वर्ष होगी।

(4) कुलपति उस आचार्य को संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं करेगा जिसकी सत्यनिष्ठा, आचरण और कार्यशैली विश्वविद्यालय, जांच अभिकरण या माननीय न्यायालय के स्तर पर संस्था को हानिकारक सिद्ध हुई हैं तथापि, किसी विवाद की स्थिति में राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) नियुक्त किया गया संकायाध्यक्ष केवल उस समय तक ही अपने पद पर रहेगा जब तक कि वह ज्येष्ठतम आचार्य के पद पर रहे जिसके कारण उसे संकायाध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

(6) संकाय का संकायाध्यक्ष विश्वविद्यालय के विभाग में आचार्य पद के कर्तव्यों के अतिरिक्त संकायाध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(7) यदि कुलपति की राय में, संकाय का संकायाध्यक्ष जानबूझकर अधिनियम, परिनियमावली या अध्यादेशों के उपबन्धों का अनुपालन करने में चूक या मना करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरूपयोग करता है या यदि कुलपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि संकायाध्यक्ष का पद पर बने रहने विश्वविद्यालय के हितों के विरूद्ध है तो ऐसी जांच करने पश्चात जिसे वह उचित समझे, कुलपति आदेश द्वारा संकायाध्यक्ष को हटा सकता है और अगले ज्येष्ठतम आचार्य को संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगा।

(8) संकाय के संकायाध्यक्ष की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट कुलपति द्वारा लिखी जाएगी।

(9) संकाय का संकायाध्यक्ष विद्या संबंधी क्रियाकलापों का सम्पादन करेगा और कुलपति द्वारा यथा प्रत्यायोजित अन्य शक्तियों का भी प्रयोग करेगा।

(10) संकायाध्यक्ष कुलपति के आदेशों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा जिसमें विश्वविद्यालय के विद्या सम्बन्धी क्रियाकलाप से सम्बन्धित मामले भी हैं।

(11) संकायाध्यक्ष विश्वविद्यालय के संकाय बोर्ड की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा। वह प्रवेश समिति का भी सदस्य होगा।

(12) संकायाध्यक्ष का अपने संकाय से सम्बन्धित अध्ययन बोर्ड की किसी बैठक में उपस्थिति होने और बोलने का अधिकार होगा लेकिन उसमें मतदान करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि वह उसका सदस्य न हो।

(13) संकायाध्यक्ष विश्वविद्यालय का शैक्षणिक कलैण्डर तैयार करेगा और सुनिश्चित करेगा कि उसकी अनुसूची का कठोरता से अनुपालन किया जाए।

(14) संकायाध्यक्ष संकाय के विभिन्न विभागों में शैक्षणिक अनुसूची और अन्य शैक्षणिक क्रियाकलापों का अनुश्रवण करेगा और उनके लिए उत्तरदायी होगा और कार्रवाई के लिए कुलपति को रिपोर्ट करेगा जैसा कि कुलपति विश्वविद्यालय में शैक्षणिक अखण्डता/परिवेश के अनुरक्षण और सुधार के लिए उपयुक्त समझे।

(15) संकायाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि प्रवेशित प्रत्येक छात्र को विश्वविद्यालय में प्रवेश के दो मास के भीतर नामांकन संख्या आवंटित हो जाए।

(16) **संकायाध्यक्ष –**

(एक) विभिन्न विषयों में छात्रों की कक्षा में उपस्थिति का समय-समय पर मूल्यांकन करेगा।

(दो) कक्षा में कम उपस्थित रहने वाले और छात्रों के आचरण के सम्बन्ध भी माता-पिता को संसूचित करेगा जिसके कारण उन्हें परीक्षा देने से रोका जा सकता है, रोका जाएगा।

(तीन) यह सुनिश्चित करेगा कि केवल पात्र अभ्यार्थी ही परीक्षा में बैठे और किसी छात्र/अभ्यर्थी को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसका आचरण/सत्यनिष्ठा समुचित स्तर पर या विश्वविद्यालय के स्तर पर संगठन के लिए हानिकारक पाई गई है।

(चार) परीक्षा नियंत्रक को उपयुक्त प्रारूपों को अग्रसारित करने के पूर्व अभ्यर्थियों के विश्वविद्यालय परीक्षा प्रारूपों की संवीक्षा करेगा।

(पांच) विश्वविद्यालय द्वारा छात्र पर अधिरोपित दण्डात्मक कार्रवाई और/या दण्ड के सम्बन्ध में छात्र के माता-पिता को सूचित करेगा।

(17) विश्वविद्यालय में अधिस्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने वाले छात्रों के शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की, जिसमें आरक्षण श्रेणी के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र सम्मिलित हैं, पुष्टि करेगा। तथापि गम्भीर शिकायतों और संदिग्ध मामलों की, संकाध्यक्ष मामले में अग्रतर प्रशासनिक कार्रवाई के लिए कुलपति को संदर्भित करेगा।

(18) संकायाध्यक्ष केवल उन अभ्यार्थियों को अस्थायी प्रवेश पत्र निर्गत करेगा जो कुलपति के अनुमोदन के अधीन सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्ह होते हैं।

(19) सक्षम निर्गम प्राधिकारी द्वारा अभ्यार्थियों के शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों और आरक्षण श्रेणी सम्बंधी प्रमाण-पत्रों की पुष्टि हो जाने के पश्चात् ही पात्र अभ्यर्थियों को संकायाध्यक्ष उचित प्रवेश पत्र निर्गत करेगा।

(20) विश्वविद्यालय के प्रत्येक संकाय के लिए एक संकायाध्यक्ष होगा।

छात्र – कल्याण का संकायाध्यक्ष

धारा : 25 (एक) (सात) और 41(ग) 2.07

(1) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष वरीयतः विश्वविद्यालय के आचार्यों में से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उसकी नियुक्ति कार्य परिषद द्वारा अनुसमर्थित की जाएगी।

(2) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति की पदावधि सामान्यतया तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी जिसे कार्य परिषद के अनुसमर्थन के अधीन कुलपति द्वारा कम किया या बढ़ाया जा सकता है।

(3) छात्र कल्याण का नियुक्त संकायाध्यक्ष अपने पद पर तभी तक रहेगा जब तक वह विश्वविद्यालय में संकाय सदस्य के रूप में बना रहता है।

(4) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष विश्वविद्यालय के विभाग में आचार्य/अध्यापक के कर्तव्यों के अतिरिक्त छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(5) यदि कुलपति की राय में, छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष जानबूझकर अधिनियम, परिनियमावली या अध्यादेशों के उपबन्धों का अनुपालन करने में चूक करता है या मना करता है या उसमें निहित शक्तियों को दुरूपयोग करता है और यदि कुलपति को अन्यथा प्रतीत हो कि संकायाध्यक्ष का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हितों को हानिकारक है, तो कुलपति आदेश द्वारा छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष को हटा सकता है और किसी अन्य अध्यापक को छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है जिसे कार्य परिषद द्वारा अनुसमर्थित किया जाएगा।

(6) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट कुलपति द्वारा लिखी जाएगी जो उसकी कुल वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का एक भाग भी होगी।

(7) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष कुलपति द्वारा यथा प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन कार्य संपादन करेगा।

(8) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष कुलपति के आदेशों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा इसमें छात्रों के कल्याण से सम्बन्धित मामले सम्मिलित हैं।

(9) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष की सहायक संकाय अध्यक्षों द्वारा सहायता की जाएगी जिनकी संख्या समय की आवश्यकता के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती है। कुलपति कम से कम एक महिला को महिला छात्रों की देखभाल के लिए सहायक संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व भी नियम के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा।

(10) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष या एक सहायक संकायाध्यक्ष छात्रावास आवंटन समिति का अध्यक्ष/सदस्य होगा।

(11) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष और सहायक संकायध्यक्षों को उतना मानदेय दिया जाएगा जितना आवश्यक समझा जाए और कार्य परिषद द्वारा सम्यक् अनुमोदित हो।

(12) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा :-

(एक) प्रवेश, चिकित्सीय रोग, आवास और छात्रों के कल्याण से सम्बन्धित मामलों में छात्रों की सहायता करना और परामर्श देना।

(दो) माता-पिता/अभिभावकों को उनके प्रतिपाल्य द्वारा सामना की जा रहीं समस्याओं से अवगत कराने के लिए संसूचित करना, जिसे संबन्धित माता-पिता और/या अभिभावक के संज्ञान में लाया जाना अपेक्षित हो।

(तीन) अधिस्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना।

(चार) यह सुनिश्चित करना कि छात्र किसी अवांछित क्रियाकलापों में लिप्त नहीं हैं।

विभागाध्यक्ष

2.08 (1) कुलपति विभाग का ज्येष्ठतम संकाय सदस्य होने के नाते विश्वविद्यालय के लिए प्रचलित सरकारी आदेशों के अनुसार विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अपनी शक्तियों को प्रत्योजित कर सकता है।

(2) विभागाध्यक्ष को सम्बन्धित विषय में शैक्षणिक रूप से पूर्ण होने पर और भारतीय चिकित्सा परिषद/भारतीय दंत परिषद या किसी विवाद के सम्बन्ध में समय-समय पर सरकार द्वारा जारी आदेशों की संस्तुति के अनुसार स्नातकोत्तर अध्यापक के लिए अपेक्षित योग्यता और अनुभव रखने के अध्यधीन रहते हुए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) कुलपति उस ज्येष्ठतम अध्यापक को विभागाध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं करेंगे जिसकी सत्यनिष्ठा, आचरण और कार्यशैली विश्वविद्यालय, जांच अभिकरण और/या माननीय न्यायालय के स्तर पर हानिकारक पाई गई हो।

(4) यदि कुलपति की राय में, विभागध्यक्ष जानबूझकर अधिनियम, परिनियमावली या अध्यादेशों के उपबन्धों का अनुपालन करने में चूक करता है या मना करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरूपयोग करता है और यदि कुलपति को अन्यथा प्रतीत हो कि विभागाध्यक्ष का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हितों में हानिकारक है, तो कुलपति आदेश द्वारा विभागध्यक्ष को हटा सकता है और वरीयतः संकाय के अगले ज्येष्ठतम सदस्य को विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकता है जिसे कार्य परिषद द्वारा अनुसमर्थित किया जाएगा।

(5) विभागाध्यक्ष कुलपति द्वारा यथा प्रत्यायोजित शक्तियों का भी प्रयोग करेगा।

(6) कुलपति विश्वविद्यालय के किसी विभाग के विभागध्यक्ष का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में ले सकता है यदि उसकी राय में ऐसा करना विभाग और या विश्वविद्यालय के हित में है।

(7) क्योंकि विभागध्यक्ष का कोई सांविधिक पद नहीं है। वह विभागाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन आचार्य/या किसी अन्य

अध्यापक के, जैसी कि विश्वविद्यालय/विभाग में स्थिति हो, कर्तव्यों के अतिरिक्त करेगा।

(8) विभागाध्यक्ष की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट कुलपति द्वारा लिखी जाएगी।

(9) विभागाध्यक्ष निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा :-

(एक) अध्यापकों, कर्मचारिवर्ग और छात्रों में अनुशासन बनाए रखना।

(दो) उसके विभाग में कार्यरत किसी कर्मचारी के विरुद्ध जानबूझकर अवज्ञा, उपेक्षा, कदाचार और/या चूक का कोई अन्य कार्य के लिए, जिससे अधिनियम, परिनियमावली, कुलाधिपति, कुलपति/और यदि किसी अन्य सुसंगत सक्षम प्राधिकारी के आदेशों का उल्लंघन हो, अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने की संस्तुति करना।

(तीन) शैक्षणिक अखण्डता बनाए रखना और सभी कर्मचारियों के दायित्व का अनुश्रवण करना।

(चार) विभाग में विद्या सम्बन्धी विकास और अनुसंधान क्रियाकलापों को उन्नत करना।

(पांच) कुलपति के अनुमोदन के अधीन स्वास्थ्य/शिक्षा कार्यक्रमों में विभाग की भागीदारी प्रारम्भ करना।

(छह) परीक्षा नियंत्रक के परामर्श से विभागों से सभी परीक्षाओं का आयोजन करना और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का परीक्षा प्रक्रिया में आंतरिक/बाहरी परीक्षकों के रूप में यथा संभव उपलब्धता के अधीन उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।

(सात) विभाग के सभी अध्यापकों में वरीयतः चक्रानुक्रम से विभाग की अवसंरचना सहित उचित कार्य विभाजन सुनिश्चित करना।

कुलानुशासक

धाराः 22,41(ग) (थ) 2.09 (1) कुलपति विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासन बनाए रखने के लिए कुलानुशासक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी शक्तियाँ प्रत्यायोजित करेगा।

(2) कुलपति ऐसे अध्यापक को विश्वविद्यालय के कुलानुशासक के रूप में कार्य करने के लिए नाम-निर्दिष्ट नहीं करेगा जिसकी सत्यनिष्ठा, आचरण और कार्यशैली संवीक्षा के अधीन रही है और उसे विश्वविद्यालय, जांच अभिकरण या माननीय न्यायालय के स्तर पर चुनौती दी गई है।

(3) नामनिर्दिष्ट कुलानुशासक की अवधि सामान्यता या एक वर्ष होगी जिसे कुलपति द्वारा कम या बढ़ाया जा सकता है।

(4) यदि कुलपति की राय में, कुलानुशासक जानबूझकर अधिनियम, परिनियमावली या आध्यादेशों के उपबन्धों का अनुपालन करने में चूक करता है या मना करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरूपयोग

करता है और यदि कुलपति को अन्यथा प्रतीत हो कि कुलानुशासक का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हितों में हानिकारक है, तो कुलपति आदेश द्वारा कुलानुशासक को हटा सकता है और किसी अन्य संकाय सदस्य को कुलानुशासक के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकता है।

(5) कुलानुशासक कुलपति द्वारा यथा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(6) कुलानुशासक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट कुलपति द्वारा लिखी जाएगी।

(7) नाम-निर्दिष्ट कुलानुशासक अपने पद पर केवल ऐसे समय तक ही रहेगा जब तक कि वह विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य का पद धारण करे।

(8) विश्वविद्यालय का कुलानुशासक विश्वविद्यालय के विभाग में अध्यापक के कर्तव्यों के अतिरिक्त कुलानुशासक के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(9) विश्वविद्यालय के कुलानुशासक की अपर/सहायक कुलानुशासकों द्वारा सहायता की जाएगी जिनकी संख्या समय की आवश्यकता के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। महिला छात्राओं, कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों, जिसमें परिसर के बाहर रहने वाले भी सम्मिलित हैं, की देखभाल के लिए कम से कम एक महिला कुलानुशासक की नियुक्ति कुलपति करेगा। कुलानुशासक, अपर/सहायक कुलानुशासकों की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा।

(10) विश्वविद्यालय परिसर के अनुशासन के क्रियाकलापों से सम्बन्धित कुलपति के आदेशों को प्रभावी बनाने के लिए कुलानुशासक आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(11) कुलानुशासक अनुसूचित साधनों की समिति का सदस्य होगा।

(12) कुलानुशासक, अपर/सहायक कुलानुशासकों को कार्य परिषद द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित और यथा आवश्यक समझे गये मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

(13) कुलानुशासक निम्नलिखिति के लिए उत्तरदायी होगा:-

(एक) संबद्ध चिकित्सालयों/छात्रावासों को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय के छात्रों, कर्मचारिवर्ग, कर्मचारियों और परिसर में उपस्थित यदि कोई, रोगी के परिचारकों को सम्मिलित करते हुए बाहरी अवांछित तत्वों के सम्बन्ध में, जहां कहीं आवश्यक हो, कुलपति और कुलसचिव के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासन बनाए रखना और उसमें सुधार करना।

(दो) विश्वविद्यालय परिसर में कानून व्यवस्था लागू करना।

(तीन) ऐसे मामलों में, जिनमें ऐसी कार्रवाई अपेक्षित हो, विश्वविद्यालय की ओर से पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराना।

(चार) विश्वविद्यालय परिसर के शैक्षणिक परिवेश में बाधा डालने वाले संभावित क्रिया-कलापों की स्थिति और प्रगति से कुलपति और कुलसचिव को अवगत कराये रखना।

(पांच) कुलसचिव की जानकारी में विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न स्थानों पर तैनात सुरक्षा गार्डों के कर्तव्यों और कार्यशैली का अनुश्रवण करना।

अध्याय–तीन
कार्य परिषद

धारा: 8 (ग) और 24(1) (2) और (3)

3.01 (1) अधिनियम की धारा 24 के अनुसार कार्यपरिषद का गठन किया जायेगा।

(2) पदने सदस्यों से भिन्न कार्यपरिषद के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की होगी।

अध्याय 4
सभा
अध्यापकों आदि का प्रतिनिधित्व

धारा 26 (1) (7)

4.01 विश्वविद्यालय और उसके घटक महाविद्यालयों तथा तथा संस्थानों के छात्रावासों तथा छात्रनिवासों के जो दो ऐसे प्रोवास्ट तथा वार्डन, धारा 26(1) के खण्ड (vii) के अधीन सभा के सदस्य होंगे, उनका चयन प्रोवोस्ट तथा वार्डेन के रुप में उनकी लगातार दीर्घकालिक सेवा के आधार पर चक्रानुक्रम से किया जायेगा।

धारा 26 (1) (9)

4.02 (1) ऐसे पन्द्रह अध्यापक, जो धारा 26 (1) के खण्ड (ix) के अधीन सभा के सदस्य होंगे, उनका चयन निम्नलिखित रीति से किया जायेगा:

(क) विश्वविद्यालय के तीन आचार्य,
(ख) विश्वविद्यालय के तीन उपाचार्य,
(ग) विश्वविद्यालय के तीन प्राध्यापक,
(घ) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष,
(ङ) सम्बद्ध महाविद्यालयों के दो प्राचार्य,
(च) सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन अध्यापक।

(2) उपर्युक्त आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों, प्राचार्य तथा अन्य अध्यापकों का चयन, यथास्थिति, आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक, प्राचार्य अथवा अन्य अध्यापक के रुप में उनकी ज्येष्ठता-क्रम में किया जायेगा।

स्नातकों का रजिस्ट्रीकरण तथा सभा में उनका प्रतिनिधित्व

धारा 26, एवं 41 (ण)

4.03 कुलसचिव अपने कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का एक रजिस्टर रखेगा, जिसे आगे इस अध्याय में रजिस्टर कहा गया है।

4.04 रजिस्टर में निम्नलिखित विवरण होगें:-

(क) रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का नाम तथा पता,
(ख) उनके स्नातक होने का वर्ष,
(ग) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का नाम जहाँ से वे स्नातक हुये,
(घ) रजिस्टर में स्नातक का नाम दर्ज किये जाने का दिनांक,
(ङ) ऐसे अन्य ब्योरे, जिनके बारे में कार्य - परिषद समय समय पर निर्देश दें।

टिप्पणी – ऐसे रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के नाम काट दिये जायेगें जिनकी मृत्यु हो गयी हो।

धारा 41 (ण) 4.05 विश्वविद्यालय का प्रत्येक स्नातक जिसमें पूर्व किंग जार्ज मेडिकल कालेज/दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं, कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में आवेदन पत्र देने पर और पाँच सौ रुपया की फीस देने पर रजिस्टर में अपना नाम उस दीक्षान्त समारोह के दिनाँक से दर्ज कराने का हकदार होगा जिसमें वह उपाधि प्रदान की गयी थी व उसके उपस्थित रहने पर प्रदान की गयी होती जिसके आधार पर उसका नाम दर्ज करना है। आवेदन पत्र स्नातक द्वारा स्वयं दिया जायेगा और उसे या तो स्वयं कुलसचिव को दिया जा सकता है या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जा सकता है। यदि दो या उससे अधिक आवेदन पत्र एक ही आवरण में प्राप्त हों, तो उन्हें अस्वीकार कर दिया जायेगा।

धारा 41 (ण) 4.06 आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर कुलसचिव, यदि यह ज्ञात हो कि स्नातक सम्यक रुप से अर्ह है और विहत फीस दे दी गयी हैं, आवेदक का नाम रजिस्टर में दर्ज करेगा।

धारा 41 (ण) 4.07 कोई पंजीकृत स्नातक, जिसका नाम निर्वाचन की अधिसूचना के दिनाँक के पूर्ववर्ती 30 जून, को एक वर्ष या उससे अधिक अवधि से रजिस्टर में लिखा हो, रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन में मत (वोट) देने का हकदार होगा।

धारा 26 (1) एवं 41 (ण) 4.08 कोई पंजीकृत स्नातक धारा 26(1) के खण्ड (9) के अधीन निर्वाचन में खडे होने के लिए पात्र होगा, यदि उसका नाम निर्वाचन के दिनाँक के पूर्ववर्ती 30 जून को कम से कम तीन वर्ष तक रजिस्टर में दर्ज रहा हो।

धारा 26 (1) तथा 41 (ण) 4.09 धारा 26(1) के खण्ड (9) के अधीन निर्वाचित पंजीकृत स्नातकों का प्रतिनिधि विश्वविद्यालय या किसी संस्थान या किसी सम्बद्ध महाविद्यालय, छात्रावास, छात्र-निवास की सेवा में प्रवेश करने पर अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय, छात्र-निवास अथवा छात्रावास के प्रबन्धन से सम्बद्ध हो जाने पर अथवा छात्र हो जाने पर सदस्य नहीं रह जायेगा, और इस प्रकार रिक्त हुये स्थान को ऐसे उपलब्ध व्यक्ति द्वारा, जिसे पिछले निर्वाचन के समय ठीक बाद में पडने वाले अधिकतम मत प्राप्त हुये हों, शेष कार्यकाल के लिये भरा जायेगा।

धारा 26 (1) तथा 41 (ण) 4.10 कोई पंजीकृत स्नातक, जो पहले से ही किसी अन्य हैसियत से सभा का सदस्य हो पंजीकृत स्नातकों के प्रतिनिधि के रुप में निर्वाचन में खडा हो सकता है, और इस प्रकार उसके निर्वाचित हो जाने पर परिनियम 4.09 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

धारा 26 (1) तथा 41 (ण) 4.11 इस अध्याय के अधीन पंजीकृत स्नातकों का निर्वाचन परिशिष्ट "क" में निर्धारित आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा।

धारा 26 (1) तथा 41 (ण) 4.12 सभा के सदस्यों का कार्यकाल सभा के प्रथम अधिवेशन के दिनांक से प्रारम्भ होगा।

अध्याय – पांच

विद्या परिषद

धारा 29 (2) 5.01 विद्या परिषद विश्वविद्यालय का प्रमुख विद्या निकाय होगा।

5.02 (1) विद्या परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे-

(एक) कुलपति।

(दो) दोनों संकायों के संकायाध्यक्ष।

(तीन) विश्वविद्यालय के विभागों के सभी आचार्य, जो विभागाध्यक्ष नहीं है।

(चार) विश्वविद्यालय के सभी आचार्य, जो विभागाध्यक्ष।

(पांच) राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के दो प्राचार्य जिन्हें छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा।

(छह) पांच अध्यापक-ज्येष्ठता के क्रम में छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय के तीन सहयुक्त आचार्य और दो सहायक आचार्य।

(सात) कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट संबद्ध महा विद्यालयों के दो प्राचार्य।

(आठ) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष।

(नौ) विश्वविद्यालय का पुस्तकाध्यक्ष।

(दस) विश्वविद्यालय के आठ अध्यापकों को (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों-चार, अन्य पिछड़े वर्ग-चार) कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा जो पदेन सदस्य न हों।

(ग्यारह) कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जाने वाले शैक्षणिक प्रख्याति के पांच व्यक्ति जिनमें वरीयतः तीन चिकित्सा विज्ञानी और दो दंत विज्ञानी।

(2) ऊपर (पांच) और (नौ) (दस) में नाम-निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

(3) विद्या परिषद विश्वविद्यालय में चलने वाले या दिये जाने वाले अनुदेश, शिक्षा और शोध के मानकों के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगी।

(4) विद्या परिषद सभी विद्या सम्बन्धी मामलों में कार्य परिषद को परामर्श दे सकती है।

(5) विद्या परिषद-

(एक) अध्ययन के पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में संकायों के माध्यम से अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की संवीक्षा करेगी और संस्तुति करेगी।

(दो) कुलपति और कार्य परिषद द्वारा उसे संदर्भित या सौंपे गये किसी विषय पर रिपोर्ट देगी।

(तीन) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के डिप्लोमा और उपाधियों की मान्यता की संस्तुति करना और छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय के डिप्लोमा और उपाधियों के साथ समानता की संस्तुति करेगी।

(6) कुलपति विद्या परिषद का सभापति होगा।

(7) कुलसचिव छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय विद्या परिषद का पदेन सदस्य सचिव होगा।

(8) विद्या परिषद की बैठक कुलसचिव द्वारा कुलपति के निदेशानुसार बुलाई जाएगी।

अध्याय – छः
वित्त समिति

धाराः 30 (3) और 41 (क)

6.01 (1) विश्वविद्यालय की वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे:-

(एक) कुलपति, जो कि सभापति होगा।

(दो) प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार या उसका नाम निदेशिती जो उस विभाग में संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा।

(तीन) प्रमुख सचिव, वित्त उत्तर प्रदेश सरकार या उसका नाम निदेशिती जो उस विभाग में संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा।

(चार) छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय का कुल सचिव।

(पांच) परीक्षा नियंत्रक, छपपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय।

(छह) वित्त और लेखा में निष्णात दो व्यक्ति एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का और दूसरा अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी से कुलपति द्वारा या तो विश्वविद्यालय के कर्मचारिवर्ग में से या बाहर से नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। इन नाम-निर्दिष्ट व्यक्तियों का कार्यकाल एक वर्ष होगा जिसे तीन वर्ष से अनधिक की कुल अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा।

(सात) दो व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से और-दूसरा अन्य पिछड़े वर्गों से नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा।

(आठ) छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी वित्त समिति का सदस्य सचिव भी होगा।

(2) वित्त समिति एक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी। यह विश्वविद्यालय के लेखों का परीक्षण करेगी और विश्वविद्यालय में व्यय के प्रस्तावों की संवीक्षा करेगी।

(3) वित्त समिति की बैठकें कुलपति के निदेशानुसार बुलाई जाएंगी।

(4) वित्त समिति रू0 50.00 लाख से अधिक के प्रत्येक उपकरण/मद के क्रय के लिए एक उच्च स्तरीय क्रय समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का अध्यक्ष कुलपति, संयोजक वित्त अधिकारी तथा सदस्य कुलसचिव होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग, वित्त विभाग और उद्योग विभाग का प्रमुख सचिव या उसका नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, जो संयुक्त सचिव से न्यून श्रेणी का न हो, इस समिति का सदस्य होगा। विश्वविद्यालय के एक अधिकारी/अध्यापक को विशिष्ट सदस्य के रूप में विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

रू0 50.00 लाख से कम के उपकरणों/मदों के क्रय हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर एक क्रय समिति गठित की जायेगी। कुलपति इस समिति का अध्यक्ष, वित्त अधिकारी संयोजक तथा कुलसचिव सदस्य होगा। एक अधिकारी/अध्यापक को विषय विशेषज्ञ सदस्य के रूप में विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

अध्याय – सात

संकाय

धारा 17 (1) 7.01 छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय में केवल दो संकाय अर्थात चिकित्सा संकाय और दन्त संकाय होगें।

(1) छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय में सहबद्ध चिकित्सा विज्ञान की शाखाओं में उपसंकाय भी हो सकते हैं।

(2) प्रत्येक संकाय हेतु एक संकायाध्यक्ष होगा।

(3) उपर्युक्त संकायों में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग तथा अधिस्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्यापन/प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने वाली विभिन्न शाखाएं होंगी।

(4) प्रत्येक संकाय में निम्नलिखित होंगे –

(एक) सम्बन्धित संकाय का संकायाध्यक्ष, जो अध्यक्ष भी होगा।

(दो) सम्बन्धित शाखाओं में विश्वविद्यालय के समस्त अध्यापन विभागों के विभागाध्यक्ष।

(तीन) सम्बन्धित शाखा में विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों के समस्त आचार्य सम्बन्धित शाखाओं में ज्येष्ठता क्रम में प्रत्येक विभाग से एक सह आचार्य।

(चार) सम्बन्धित शाखाओं में ज्येष्ठता क्रम में प्रत्येक विभाग से एक सह आचार्य।

(पांच) सम्बन्धित शाखा में ज्येष्ठता क्रम में प्रत्येक विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग से एक सहायक आचार्य।

(छः) प्रत्येक अनुसूचित जातियों/अनूसूचित जनजातियों की श्रेणी और साथ ही साथ अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों के दो प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक और एक सह आचार्य को कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(सात) कुलसचिव/कुलसचिव द्वारा नाम निर्दिष्ट उप कुलसचिव।

(5) उपर्युक्त (चार) (पांच) और (छः) से सम्बन्धित संकाय का कार्यकाल केवल एक वर्ष के लिए होगा।

(6) संकाय की बैठक का आयोजन अध्यक्ष-सम्बन्धित संकाय के संकायाध्यक्ष के निदेश के अधीन किया जाएगा।

(7) संकायः-

(एक) पाठ्य बोर्ड की संस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में विद्या परिषद को संस्तुति देगा।

(दों) ऐसे शैक्षणिक मामलों से सम्बन्धित किसी प्रश्न पर विद्या परिषद को संस्तुति देगा, जो सुसंगत हो तथा विद्या परिषद द्वारा विचारार्थ आवश्यक प्रतीत हों और जो कुलपति द्वारा समनुदेशित भी हों।

(तीन) अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अध्यापकों सहित सदस्यों के मध्य शैक्षणिक/विभागीय कार्यों के पारदर्शी आवंटन को सुनिश्चित करेगा।

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

धारा 23 (एक) 7.02 (1) एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अन्य प्राधिकारी होंगें:-

(क) उत्कृष्ट रूप में शीर्ष चिकित्सा संस्था के रूप में चलाने के उद्देश्य से संस्था में गुणवत्ता और साथ ही साथ वैज्ञानिक अनुसंधान के परिमाण का सम्वर्द्धन करने तथा उसे सुगम बनाने के लिए विश्वविद्यालय में केन्द्रीय अनुसंधान समिति का गठन किया जाएगा।

(ख) कुलपति की संस्तुति पर विद्या परिषद द्वारा प्रख्यात कर्षण अभिलेख और शिक्षा तथा शोध में रूचि रखने वाले विश्वविद्यालय के आचार्यों के मध्य से अनुसंधान समिति के संकाय प्रभारी की नियुक्ति की जाएगी।

(2) अनुसंधान समिति के संकाय प्रभारी का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होगा। यदि यह प्रतीत हो कि अनुसंधान समिति के संकाय प्रभारी का बना रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए घातक होगा तो इसे कुलपति की संस्तुति पर विद्या परिषद द्वारा न्यून किया जा सकता है।

(3) विश्वविद्यालय की अनुसंधान समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(एक) कुलपति - अध्यक्ष

(दो) संकायाध्यक्ष - पदेन सदस्य

(तीन) संकाय प्रभारी, अनुसंधान समिति - सदस्य सचिव तथा संयोजक

(चार) विश्वविद्यालय के उतने अन्य अध्यापक जितने कुलपति राज्य सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार विहित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी के पर्याप्त प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करते हुए आवश्यक समझे।

(पांच) कुलपति द्वारा ऊपर 7.02 (3) (चार) में उल्लेखित सदस्यों के मध्य से नामनिर्दिष्ट दो सह संकाय प्रभारी।

(4) अनुसंधान समिति निम्नलिखित उपाय करेगी :-

(एक) छात्रों, रेजीडेन्ट, सहयुक्त अध्यताओं और अध्यापकों के मध्य वैज्ञानिक अनुसंधान में रूचि और प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना।

(दो) विश्वविद्यालय के समग्र अनुसंधान क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाओं/अभिरजों के मध्य सम्पर्क स्थापित करना।

(तीन) गुणवत्ता पूर्ण अनुसंधान परियोजनाओं, अनुदान जनन परियोजना पूर्ण करने तथा पारदर्शी निधि प्रबंधन के पहलीकरण को सुगम बनाना।

(चार) विश्वविद्यालय में अनुसंधान की गुणवत्ता को प्रोत्साहित करने सम्बन्धित कोई अन्य क्रियाकलाप।

289 mb 2011 Data I

(5) विश्वविद्यालय के बाहर अनुसंधान समिति द्वारा किसी भी प्रकार का पत्राचार कुलपति के अनुमोदन से कुल सचिव के कार्यालय के माध्यम से किया जाएगा।

(6) कुलपति के अनुमोदन से कुलसचिव और वित्त अधिकारी द्वारा समिति का कार्मिक प्रबन्धन और और साथ ही साथ वित्तीय प्रबन्धन सुनिश्चित किया जाएगा।

पुस्तकाध्यक्ष

धारा 41(ड.) 7.03

(1) पूर्णकालिक पुस्तकाध्यक्ष की नियुक्ति केवल तभी की जाएगी यदि और जब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुस्तकाध्यक्ष के पद का अनुमोदन किया जाएगा। तब उक्त पद पर नियुक्ति विश्वविद्यालय के महामहिम कुलाधिपति द्वारा गठित सांविधिक चयन समिति के माध्यम से विहित अर्हताओं के अनुसार की जाएगी।

(2) जबतक ऐसा होता है, तबतक के लिए कुलपति विश्वविद्यालय के आचार्यों के मध्य से पुस्तकाध्यक्ष के रूप में किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेगा।

(3) विश्वविद्यालय के नाम निर्दिष्ट पुस्तकाध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः तीन वर्ष का होगा जिसे कुलपति द्वारा न्यून या विस्तारित किया जा सकता है।

(4) नामनिर्दिष्ट पुस्तकाध्यक्ष केवल तबतक उक्त पद पर बना रहेगा जबतक वह विश्वविद्यालय में आचार्य के पद पर रहेगा।

(5) विश्वविद्यालय का पुस्तकाध्यक्ष विश्वविद्यालय के किसी आचार्य के कर्तव्य के अतिरिक्त अपने कर्तव्यों का सम्यक रूप से निर्वहन करेगा।

(6) यदि कुलपति की राय में पुस्तकाध्यक्ष अधिनियिम परिनियमावली या अध्यादेशों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में जानबूझकर करता है या अस्वीकार करता है, या स्वयं में प्रतिनिधानित शक्तियों का दुरूपयोग करता है या यदि कुलपति को अन्यथा प्रतीत हो कि पुस्तकाध्यक्ष का बना रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए घातक है तो कुलपति आदेश द्वारा पुस्तकाध्यक्ष को हटा सकता है और पुस्तकाध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियाँ अन्य आचार्य को प्रतिनिधानित कर देगा।

(7) पुस्तकाध्यक्ष कुलपति द्वारा यथा प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन कार्य करेगा।

(8) कुलपति पुस्तकाध्यक्ष का प्रशासनिक नियंत्रण ले सकता है यदि उसकी राय मे यह पुस्तकालय या विश्वविद्यालय के हित में हो।

(9) पुस्तकाध्यक्ष की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट कुलपति द्वारा लिखी जाएगी

(10) पुस्तकाध्यक्ष विश्वविद्यालय पुस्तकालय के मामलों से सम्बन्धित कुलपति के आदेशों को प्रभावी करने के निमित्त आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(11) पुस्तकाध्यक्ष की सहायता उप/सहायक पुस्तकाध्यक्ष (पुस्तकाध्यक्षगण) करेंगे जिनकी संख्या में भिन्नता समय की आवश्यकता के अनुसार हो सकती है। तथापि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और

अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व उपर्युक्त नियुक्तियों में सुनिश्चित किया जाएगा।

(12) विश्वविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष विश्वविद्यालय समिति का सदस्य सचिव होगा।

(13) पुस्तकाध्यक्ष कुलपति के अनुशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा।

(14) स्थानापन्न पुस्तकाध्यक्ष और उप/सहायक पुस्तकाध्यक्ष (पुस्तकाध्यक्षगण) को ऐसा मानदेय जैसा आवश्यक समझा जाए सदत्त किया जा सकता है जैसाकि कार्य परिषद द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किया जाए।

(15) विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को अनुरक्षित रखना तथा अध्यापन एवं अनुसंधान के हित में सर्वाधिक संवाहकीया रीति से उसकी सेवा को संगठित रखना पुस्तकाध्यक्ष का कर्तव्य होगा -

(एक) विश्वविद्यालय पुस्तकालय में शैक्षणिक वातावरण बनाये रखना।

(दो) पुस्तकालय में वाचन और सन्दर्भ सम्बन्धी सामग्री उपलब्ध कराना

(तीन) कुलपति द्वारा की गयी व्यवस्था के माध्यम से विश्वविद्यालय पुस्तकालय को सुरक्षा उपलब्ध कराना।

(चार) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकार द्वारा सम्यक् रूप से निधिकृत पुस्तक बैंक को सुनिश्चित करना, अनुरक्षित रखना तथा उसे अद्यतन बनाना।

अध्याय – आठ
विभागीय समितियाँ

धारा 41

8.01 (1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्यापन विभाग में एक विभागीय समिति होगी।

(2) विभागीय समिति में निम्नलिखित होंगे-

(एक) विभागाध्यक्ष, जो समिति का संयोजक भी होगा।

(दो) सम्बन्धित विभाग के सह आचार्य।

(तीन) सम्बन्धित विभाग के पचास प्रतिशत सह आचार्य ज्येष्ठता के आधार पर सदस्य होंगे जिनमें से आधे सदस्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से होंगे।

(चार) सम्बन्धित विभाग के पचास प्रतिशत सह आचार्य/प्राध्यापक ज्येष्ठता के आधार पर सदस्य होंगे जिनमें से आधे सदस्य उपलब्धता के आधार पर अनूसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से होंगे।

(3) उपर्युक्त श्रेणी (तीन) और (चार) के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

(4) विभागीय समिति एक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेंगी।

(5) विभागीय समिति -

(एक) सम्बन्धित विभाग के अध्यापकों के मध्य अध्यापन कार्य/भार/कार्यसूची के आवंटन के सम्बन्ध में संस्तुति देगी।

(दो) अनुसंधान सहित अध्यापन/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समन्वय के सम्बन्ध में सुझाव देगी।

(तीन) विभाग के सामान्य और शैक्षणिक हितों के सम्बन्ध में सुझाव देगी।

(चार) अध्यापकों के मध्य चक्रानुक्रम में कार्यों और दायित्वों के आवंटन को सुनिश्चित करेगी और विभाग के समस्त अध्यापकों को सुविधाएं उपलब्ध करायेगी।

परीक्षा समिति

धारा 41 8.02 (1) छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति में निम्नलिखित होंगे:-

(एक) कुलपति, जो समिति का अध्यक्ष होगा।

(दो) परीक्षा नियंत्रक, जो समिति का सदस्य सचिव होगा।

(तीन) विश्वविद्यालय के समस्त संकायों के संकायाध्यक्ष।

(चार) चक्रानुक्रम में विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष से भिन्न ज्येष्ठतम आचार्य।

(पांच) चक्रानुक्रम में विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम सह आचार्य।

(छः) समस्त अपर और सहायक परीक्षा नियंत्रक।

(सात) विश्वविद्यालय प्राक्टर।

(आठ) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के दो ज्येष्ठ संकाय सदस्य और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के दो ज्येष्ठ संकाय सदस्य।

(नौ) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले उपर्युक्त श्रेणियों से भिन्न विश्वविद्यालय के अध्यापकों के मध्य से दो सदस्य।

(2) परीक्षा समिति के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

(3) परीक्षा समिति -

(एक) विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं का सामान्यतः पर्यवेक्षण करेगी।

(दो) विश्वविद्यालय परीक्षा परिणामों का समय समय पर समीक्षा करेगी।

(तीन) परीक्षा प्रणाली में किये जानेवाले सुधारों के सम्बन्ध में संस्तुति देगी।

(चार) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा सम्यक रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त विभिन्न विषयों के पाठ्य बोर्ड द्वारा संस्तुत परीक्षक पैनल की संवीक्षा करेगी और उनके पैनल को ऐसे पैनलों, जिनमें विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत पैनल में असम्मिलत व्यक्तियों

के पैनल भी सम्मिलित हैं, में से आंतरायिक परीक्षकों के अनुमोदन हेतु तथा बाह्य परीक्षकों की वांछित संख्या के नामनिर्देशन हेतु कुलपति-परीक्षा समिति का अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी।

(पांच) परीक्षकों के दौरान परीक्षार्थी के आचरण और व्यवहार सहित उनके द्वारा अपनाए गये अनुचित साधनों के मामलों को व्यवहृत करने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा सम्यक रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त अनुचित साधन समिति, इस सम्बन्ध में अनुमोदन तथा की जाने वाली कार्यवाही के लिए अपनी संस्तुति परीक्षा समिति के अध्यक्ष के माध्यम से कुलपति को प्रस्तुत करेगी।

(छः) भारतीय चिकित्सा परिषद के प्रतिमानों के अनुसार परीक्षकों के चक्रानुक्रम को सुनिश्चित करेगी।

अध्याय – नौ
चिकित्सालय

धारा 10 एवं 11

9.01 (1) विश्वविद्यालय के चिकित्सीय, दन्त, परिचर्या सम्बन्धी तथा पैरामेडिकल छात्रों के चिकित्सा विज्ञान के विभिन्न शाखाओं से सम्बन्धित रोगी देखभाल सहित अध्यापन और प्रशिक्षण के लिए छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय के समबद्ध चिकित्सालय होंगे। इसके अतिरिक्त चिकित्सालय भी चिकित्सीय अनुसंधान हेतु सामग्री और अवसंरचना उपलब्ध करायेंगे।

(2) विभिन्न शाखाओं से सम्बन्धित चिकित्सालयों को सामूहिक रूप से "छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय" के रूप में जाना जाएगा।

(3) गांधी स्मारक चिकित्सालय, छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय के सम्बद्ध चिकित्सालयों में से एक होगा।

(4) अन्य विद्यमान चिकित्सालय अर्थात् क्वीनमेरी हॉस्पिटल (आब्स्ट एवं गाइना.) कस्तूरबा क्लीनिक और हॉस्पिटल (ट्यूबरकुलोसिस और पल्मोनरी मेडीसीन), चिल्ड्रेन हास्पिटल (पाइडियाट्रिक) रिहाविलिटेशन तथा आर्टिफिसियल लिम्ब सेंटर डेन्टल हॉस्पिटल, ट्रामा सेंटर/निड इमर्जेन्सी काम्पलेक्स सेन्टेनरी हॉस्पिटल, ब्लड बैंक और भविष्य में खोले जाने वाले कोई अन्य चिकित्सालय भी विश्वविद्यालय के सम्बद्ध विश्वविद्यालय के अंग होंगे।

(5) उपर्युक्त चिकित्सालयों के अतिरिक्त छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय में परिसर के अन्दर और परिसर के बाहर पृथक पृथक भवनों में स्थित चिकित्सीय/गैर चिकित्सीय विशिष्ट और अतिविशिष्ट विभाग होंगे जो सम्बन्धित शाखाओं से सम्बद्ध अध्यापन/प्रशिक्षण/अनुसंधान और रोगी देखभाल से तात्पर्यित होंगे। ऐसी विद्यमान क्रियाशील इकाइयाँ यथा कार्डियोलॉजी विभाग,

साइकियाट्री विभाग, जंरियाटिक मेडिकल हेल्थ विभाग भविष्य में और संयोजित की जाएंगी।

(6) छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (ड़) और धारा 11 की उपधारा (16) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय, सम्बद्ध/सहयुक्त चिकित्सालयों को, प्रशासित, प्रबंधित और नियंत्रित करेगा और आवश्यक रोगी देखभाल की व्यवस्था करेगा।

(7) "छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों" के रूप में ज्ञात छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय के सम्बद्ध/सहयुक्त चिकित्सालय कुलपति के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे।

(8) राज्य सरकार चिकित्सालयों और रोगियों की देखभाल की समुचित व्यवस्था करने के लिए अपेक्षित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और अनेक चिकित्सा अधीक्षकों, उपचिकित्सा अधीक्षकों तथा सहायक चिकित्सा अधीक्षकों को नियुक्त करेगी।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

धारा 7 और 41 9.02 (1) उत्तर प्रदेश सरकार छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों के लिए विश्वविद्यालय या अन्यथा की संस्तुति पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की नियुक्ति करेगी। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की सहायता राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चिकित्सा अधीक्षक करेगा।

(2) कुलपति द्वारा यथा समनुदेशित और विनिश्चित रूप से "छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों" के चिकित्सालय/चिकित्सालयों की देखभाल और प्रबंध करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक कर्मचारी होगा/होंगे।

(3) मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को किसी प्रकार की निजी प्रेक्टिस करने या ऐसे क्रियाकलापों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलत होने का अधिकार नहीं होगा।

(4) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षकगण को कार्यपरिषद की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा इस आधार पर हटाया जा सकता है कि उसका/उनका बना रहना संगठन के हित के लिए घातक है।

(5) चिकित्सालयों के मुख्य अधीक्षक, यदि विश्वविद्यालय के आचार्यों के मध्य से अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये हों, विश्वविद्यालय के विभाग में आचार्य के कर्तव्य के अतिरिक्त अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

(6) चिकित्सालयों के मुख्य अधीक्षक कुलपति के प्रति और उनके प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे।

(7) चिकित्सालयों के मुख्य अधीक्षकों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट कुलपति द्वारा लिखी जाएगी जो उनके सम्पूर्ण वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के अंग

होंगी जिनमें विश्वविद्यालय के किसी विभाग में आचार्य पद की गोपनीय रिपोर्ट सम्मिलित होंगी।

(8) अनुशासन और उत्तरदायित्व बनाये रखने तथा पर्याप्त रूप में रोगियों की देखभाल की व्यवस्था करने के निबन्धनों के साथ चिकित्सालयों की प्रशासनिक व्यवस्था करने में चिकित्सा अधीक्षक, उपचिकित्सा अधीक्षक सहायक अधीक्षक मुख्य अधीक्षक की सहायता करेंगे।

(9) चिकित्सालयों का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक समय-समय पर कुलपति द्वारा समनुदेशित अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(10) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कुलसचिव को यथा अपेक्षित समस्त सूचनाएं और सामयिक विवरणियां प्रस्तुत करेगा।

(11) चिकित्सालयों में कर्मचारियों की तैनाती और स्थानान्तरण मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक या अन्यथा की संस्तुति पर कुलसचिव द्वारा किया जाएगा।

चिकित्सा अधीक्षक

धारा 41 — 9.03 (1) उत्तर प्रदेश सरकार छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों के लिए विश्वविद्यालय या अन्यथा की संस्तुति पर चिकित्सा अधीक्षकों की नियुक्ति करेगी।

(2) छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों" के प्रत्येक महत्वपूर्ण इकाई के लिए अधिमानतः अनन्य चिकित्सा अधीक्षक होंगे।

(3) कुलपति विश्वविद्यालय के हित में स्वविवेक से एक चिकित्सा अधीक्षक की देखभाल में छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों की एक और/या उससे अधिक इकाईयां नियत कर सकता है।

(4) छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों से सम्बन्धित कुलपति द्वारा यथा समनुदेशित और विनिश्चित चिकित्सालय/चिकित्सालयों की देखभाल और व्यवस्था करने के लिए चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षकगण विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक कर्मचारी होगा/होंगे।

(5) चिकित्सा अधीक्षकों को किसी प्रकार की निजी प्रेक्टिस करने या ऐसे क्रियाकलापों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्मिलित होने का अधिकार होगा।

(6) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षकों को राज्य सरकार द्वारा कार्य परिषद की सुंस्तुति पर इस आधार पर हटाया जा सकता है कि उसका/उनका बना रहना संगठन के हित के लिए घातक होगा।

(7) चिकित्सा अधीक्षकों के पद छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों के चिकित्सा अधीक्षकों के पद के रूप में अभिहित किये जाएंगे और विशेष रूप से उनकी किसी इकाई का अंकन नहीं होगा।

(8) छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों की विभिन्न इकाई/इकाईयों की देखभाल और प्रबन्ध

करने वाले चिकित्सा अधीक्षक कुलपति के विवेक पर किसी भी समय छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों के एक इकाई से किसी अन्य इकाई के लिए स्थानान्तरणीय होंगे।

(9) चिकित्सा अधीक्षकों के वेतन और भत्ते, वही होंगे जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवधारित किये जाएंगे।

(10) चिकित्सा अधीक्षक कुलपति के समग्र नियंत्रण सहित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के प्रति उत्तरदायी तथा उसके नियंत्रणाधीन होगे।

(11) चिकित्सा अधीक्षकों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट मुख्य अधीक्षक तथा कुलपति द्वारा लिखी जाएगी।

(12) चिकित्सा अधीक्षकों के पद के लिए पात्रता मापदण्ड अधिमानत : भारतीय चिकित्सा परिषद/भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद की संस्तुतियों के अनुसार होगा। तथापि आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार द्वारा मापदण्ड में शिथिलता प्रदान की जा सकती है।

(13) मुख्य अधीक्षक की सहायता करने के दौरान चिकित्सा अधीक्षकगण अपने प्रभार के अधीन चिकित्सालय/चिकित्सालयों का प्रबन्ध करने के लिए उप चिकित्सा अधीक्षकों और सहायक अधीक्षकों द्वारा सहायतित किये जा सकते हैं।

(14) यदि और जब कार्यपरिषद के अनुमोदन के अध्यधीन पद रिक्त हो तब कुलपति काम चलाऊ व्यवस्था के तहत चिकित्सा अधीक्षक के रूप में स्थानापन्न व्यवस्था करने के लिए विश्वविद्यालय विभाग के किसी अध्यापक को नामनिर्दिष्ट कर सकता है।

(15) **चिकित्सा अधीक्षक –**

(एक) अपने अधीन कार्यरत कर्मचारिवर्ग की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे।

(दो) चिकित्सालय में कर्मचारिवर्ग, रोगियों के नातेदारों और आगन्तुकों के मध्य अनुशासन बनाये रखेंगे।

(तीन) पर्याप्त रोगी-देखभाल की व्यवस्था करने के लिए चिकित्सालय के मामलों की व्यवस्था करेंगे।

(चार) यह सुनिश्चित करेंगे कि आशा और प्रतिमान के अनुरूप आवश्यक सफाई, स्वस्च्छता तथा चिकित्सालय के अपशिष्ट के निस्तारण पर ध्यान दिया जाय।

(पांच) चिकित्सालय की सुरक्षा तथा चिकित्सालय की अवसंरचना सुनिश्चित करेंगे।

(छः) चिकित्सालय में समुचित रोगाणुनाशन तथा कपड़ा धुलाई सेवाओं की व्यवस्था करेंगे।

(सात) चिकित्सालय में परिचर्या कर रहे/दाखिल लोगों को चिकित्सीय विधिक मामलों को व्यवहृत करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

(आठ) चिकित्सालयों में कार्यरत कर्मचारिवर्ग –उपचिकित्सा अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, अधीक्षिका (मेट्रोन) परिचर्या /पैरामेडिकल कर्मचारिवर्ग और श्रेणी-तीन

तथा श्रेणी-चार के अन्य कर्मचारियों के अनुशासनिक नियंत्रण तथा कार्य निष्पादन के लिए उत्तरदायी होंगे।

(नौ) अपने अधीन कार्यरत समस्त कर्मचारिवर्ग की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखेंगे।

(दस) किसी कारण यथा कर्तव्य विमुखता, लम्बी अनुपस्थिति, कदाचार, चोरी में संलिप्तता, शक्ति के दुरूपयोग और गबन आदि के निमित्त अपने अधीन कार्यरत किसी कर्मचारी के विरूद्ध की जानेवाली अनुशासनिक कार्यवाही हेतु चिकित्सालयों के मुख्य अधीक्षक, यदि कोई हो, के माध्यम से छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलसचिव से संस्तुति करेंगे।

(ग्यारह) अपने अधीन कार्यरत कर्मचारिवर्ग को देय छुट्टी का अनुमोदन करेंगे।

(बारह) चिकित्सालय परिसर सहित चिकित्सालय भवनों, उपस्करों, अवसंरचना और मार्गों की देखभाल करेंगे तथा उनकी अनुरक्षा एवं व्यवस्था करेंगे।

(तेरह) कुलपति द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित चिकित्सालय क्रय समिति के मार्गदर्शनों के अनुसार रोगी देखभाल तथा उपचार के लिए अपेक्षित आवश्यक औषधियों और अन्य मदों को क्रय करेंगे तथा उनकी व्यवस्था करेंगे।

(चौदह) कुलपति द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित चिकित्सालय परामर्श समिति की संस्तुतियों के आधार पर कुलपति के अनुमोदन के अधीन समनुदेशनों को कार्यान्वित करेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

(पन्द्रह) दोनों केन्द्रीय और विभागीय चिकित्सालय/चिकित्सालयों के स्टाकों को अनुरक्षित रखेंगे और समय समय पर सत्यापित करेंगे।

(सोलह) कुलपति द्वारा गठित की जानेवाली रद्दकरण समिति द्वारा विचारार्थ वस्तुओं का सामयिक रद्दकरण प्राप्त करेंगे।

(सत्तरह) चिकित्सालय के आधारभूत अवसंरचना स्वरूप आवश्यक कीमती उपस्कर/उपस्करों को क्रय करने के लिए कुलसचिव, छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय से सुस्तुति करेंगे।

(अठारह) चिकित्सालय आय-व्ययक को तैयार करेंगे तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु कुलपति को प्रस्तुत करेंगे।

(उन्नीस) यथा अपेक्षित समस्त सूचनाएं तथा सामयिक विवरणी कुलसचिव को प्रस्तुत करेंगे।

(16) चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक गण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा/करेंगे तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निष्पादन करेगा/करेंगे जो कुलपति द्वारा समय समय पर उसे/उन्हें प्रतिनिधानित/समनुदेशित किये जायं।

(17) चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षकगण को हटाया जा सकता है और उसकी/उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है यदि उसका/उनका कार्य और आचरण विश्वविद्यालय के हित में न पाया जाय।

उपचिकित्सा अधीक्षक

धारा 41 9.04 (1) "छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों" के प्रत्येक महत्वपूर्ण इकाई के लिए अधिमानतः उपचिकित्सा अधीक्षक होंगे।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय के हित में स्वविवेकानुसार छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों की उपचिकित्सा अधीक्षक की देख रेख में एक और या उससे अधिक इकाइयां आवंटित कर सकता है।

(3) उपचिकित्सा अधीक्षक, कुलपति द्वारा यथा समनुदेशित और विनिश्चित "छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों" के चिकित्सालय/चिकित्सालयों की देखभाल और व्यवस्था करने के लिए विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक कर्मचारी होंगे।

(4) उपचिकित्सा अधीक्षक को किसी प्रकार की निजी प्रेक्टिस करने का अधिकार नहीं होगा या वह ऐसी किन्हीं क्रियाकलापों में स्वयं को सम्मिलित नहीं करेगा।

(5) उपचिकित्स अधीक्षकों के पद "छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों" के पदों के रूप में अभिहित किये जाएंगे और न कि विशिष्ट रूप से इसकी किसी इकाई को अंकित किया जाएगा।

(6) "छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों" की विभिन्न इकाई/इकाइयों की देखभाल और प्रबंध करने वाले उपचिकित्सा अधीक्षक, मुख्य चिकित्सालय अधीक्षक की संस्तुति पर विचार करते हुए कुलपति के विवेक पर किसी भी समय छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों के एक इकाई से किसी अन्य इकाई के लिए स्थानान्तरणीय होंगे।

(7) उपचिकित्सा अधीक्षक, कुलपति/मुख्य चिकित्सालय अधीक्षक, यदि कोई हो, /चिकित्सा अधीक्षक के प्रति उत्तरदायी होंगे तथा उनके नियंत्रणाधीन होंगे।

(8) उपचिकित्सा अधीक्षकों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सालय अधीक्षक/कुलपति द्वारा लिखी जाएगी।

(9) इस प्रयोजनार्थ उपचिकित्सा अधीक्षकों की नियुक्ति कुलपति द्वारा गठित किसी चयन समिति की संस्तुतियों के अधार पर कुलपति द्वारा की जाएगी। तथापि उपचिकित्सा अधीक्षकों की नियुक्ति सरकारी औद अर्द्धसरकारी विभागों/संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भी की जा सकती है।

(10) उपचिकित्सा अधीक्षकों के पद हेतु पात्रता के मानदण्ड के लिए ऐसा व्यक्ति पात्र हो सकता है जो सहायक आचार्य हो या समकक्ष व्यक्ति, जो प्रशासनिक अनुभव की अधिमानता सहित स्नातकोत्तर चिकित्सा उपाधि रखता हो, की श्रेणी से अनिम्न हो।

(11) उपचिकित्सा अधीक्षकों की नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए होगा। तथापि परिवीक्षा अवधि में कुलपति द्वारा अग्रतर वृद्धि की जा सकती है।

(12) उपचिकित्सा अधीक्षकों के वेतन एवं भत्ते वहीं होंगे जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवधारित होंगे।

(13) चिकित्सा अधीक्षक की स्वयं सहायता करते समय उपचिकित्सा अधीक्षक की सहायता उनके प्रभार के चिकित्सालय/चिकित्सालयों की व्यवस्था करने के लिए सहायक अधीक्षक करेगा।

(14) यदि और जब पद रिक्त हो, उप चिकित्सा अधीक्षक के रूप में स्थानापन्न व्यवस्था करने के लिए विश्वविद्यालय के विभागों के किसी अध्यापक को नामनिर्दिष्ट करेगा।

(15) उप चिकित्सा अधीक्षक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जो उसे कुलपति/मुख्य चिकित्सालय अधीक्षक, यदि कोई हो, या चिकित्सा अधीक्षक द्वारा समनुदेशित या प्रतिनिधानित हों।

(16) उपचिकित्सा अधीक्षकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा हटाया जा सकता है और उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं यदि उनका कार्य और आचरण विश्वविद्यालय के हित में न पाया जाय।

सहायक अधीक्षक

धारा 41 9.05 (1) सहायक अधीक्षकों की नियुक्ति कुलपति द्वारा सम्यक रूप से गठित चयन समिति की संस्तुति पर कुलपति द्वारा की जा सकती है।

(2) सहायक अधीक्षकों की नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए की जाएगी। तथापि परिवीक्षा अवधि में कुलपति द्वारा अग्रतर वृद्धि की जा सकती है।

(3) सहायक अधीक्षकों के वेतन एवं भत्तों का अवधारण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा।

(4) सहायक अधीक्षक मुख्य चिकित्सालय अधीक्षक, यदि कोई हो, या चिकित्सा अधीक्षकों के प्रति उत्तरदायी होंगे और उनके नियंत्रणाधीन होंगे।

(5) सहायक अधीक्षकों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट मुख्य चिकित्सालय अधीक्षक, यदि कोई हो, या चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा लिखी जाएगी।

(6) सहायक अधीक्षक ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जो उसे मुख्य चिकित्सालय अधीक्षक, यदि कोई हो, या चिकित्सा अधीक्षक द्वारा समनुदेशित/प्रतिनिधानित हों।

चिकित्सालय परामर्श दात्री समिति

धारा 41 9.06 (1) चिकित्सालय/चिकित्सालयों के सुधार तथा उत्तम कार्यप्रणाली के लिए कुलपति को संस्तुतियाँ उपलब्ध कराने के लिए इस तथ्य को दृष्टिगत

रखते हुए एक "चिकित्सालय परामर्श दात्री समिति" होगी कि अनुशासन बनाये रखने तथा प्रणाली की सत्यनिष्ठा और जवाबदेही बनाये रखने के साथ पर्याप्त रोगी देखभाल की व्यवस्था की जाए।

(2) चिकित्सालय परामर्श दात्री समिति में निम्नलिखित होंगे-

(1) विश्वविद्यालय आचार्यों के मध्य से कुलपति का नामनिर्देशिती, जो अध्यक्ष होगा।

(2) ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा विश्वविद्यालय के चिकित्सीय और अर्द्धचिकित्सकीय विभागों के पांच आचार्य।

(3) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के तीन तथा पिछड़े वर्गों के तीन संकाय सदस्य।

(4) संवर्ग में ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम द्वारा दो सह आचार्य।

(5) संवर्ग में ज्येष्ठता के आधार एक सहायक आचार्य।

(6) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट लखनऊ के दो विशिष्ट नागरिक।

(7) प्रत्येक एकल संस्था बलरामपुर हास्पिटल, संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान और राम मनोहर लोहिया सुपर स्पेसियालिटी हास्पिटल या किन्हीं अन्य प्रख्यात एकल संस्थाओं के तीन संकाय या प्रशासनिक व्यक्ति।

(8) विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी।

(9) छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों, यदि कोई हो, का मुख्य अधीक्षक।

(10) "छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों" के समस्त चिकित्सा अधीक्षक।

(11) विश्वविद्यालय का प्राक्टर

(12) चिकित्सालय अधीक्षिका (मेट्रन)।

(13) विश्वविद्यालय परिचर्या महाविद्यालय का प्राचार्य।

(14) कुलसचिव सदस्य सचिव होगा।

(3) उपर्युक्त 8, 9, 10, 11, 12, 13 में इंगित सदस्यों के सिवाय चिकित्सा परामर्शदात्री समिति के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

(4) चिकित्सा परामर्शदात्री समिति की संस्तुतियां आवश्यक रूप में विचारार्थ कुलपति को प्रस्तुत की जाएंगी।

(5) "छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों" की समस्त इकाइयों/चिकित्सालयों हेतु प्रयोज्य केवल एक चिकित्सा परामर्शदात्री समिति होगी।

चिकित्सालय क्रय समिति

धारा 41 9.07 (1) रोगी देखभाल, तथा चिकित्सालय और इसके परिसर के अनुरक्षण तथा उसमें सुधार के लिए प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं, विभिन्न मदों, चिकित्सालय अवसंरचना एवं औषधियों आदि की प्राप्त करने के लिए एक केन्द्रीय क्रय समिति होगी।

(2) चिकित्सालय क्रय समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(1) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, यदि कोई हो या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम चिकित्सा अधीक्षक - संयोजक।

(2) ज्येष्ठतम चिकित्सा अधीक्षक, यदि एक से अधिक चिकित्सा अधीक्षक हों।

(3) ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम में चिकित्सीय और अर्द्धचिकित्सीय विभागों के दो आचार्य।

(4) कुलसचिव या उसका प्रतिनिधि।

(5) प्रख्यात संस्थाओं से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला सम्बन्धित मदों के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ।

(6) विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी।

(7) विभागाध्यक्ष/समनुरूप विभाग प्रभारी।

(8) "छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों" के विभिन्न इकाईयों/चिकित्सालयों के लिए लागू अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा सम्यक रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त केवल एक केन्द्रीय चिकित्सालय क्रय समिति होगी।

(9) पदेन सदस्यों के सिवाय चिकित्सालय क्रय समिति के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

अध्याय – दस
विश्वविद्यालय के अध्यापक
संकाय सदस्य

धारा 41

10.01 (1) छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (12) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार 'अध्यापक', का तात्पर्य अनुदेश या मार्गदर्शन प्रदान करने या विश्वविद्यालय में शोध संचालित करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित किसी अध्यापक से है।

(2) विश्वविद्यालय के अध्यापकों को विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों के रूप में भी जाना जाएगा।

(3) विश्वविद्यालय के अध्यापकों/संकाय सदस्यों की विभिन्न श्रेणियाँ/सांविधिक स्थितियां निम्नलिखित होंगी -

(क) आचार्य

(ख) सह आचार्य

(ग) सहायक आचार्य/प्राध्यापक

(4) छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति कार्यपरिषद द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (4) और आरक्षण अधिनियम, 1994 के उपबन्धों में यथा परिभाषित चयन समिति की संस्तुति पर ही की जायेगी।

(5) अध्यापकों की नियुक्ति तदर्थ आधार पर नहीं की जाएगी।

(6) विभिन्न अध्यापन स्थितियों :- आचार्य, सह आचार्य और सहायक आचार्य के लिए पात्रता मानदण्ड-अर्हता तथा अनुभव वही होंगे जो भारतीय चिकित्सा परिषद/भारतीय दंत चिकित्सा परिषद द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट किये जाएंगे।

(7) कोई अध्यापक, अध्यापक के दायित्वों के साथ-साथ अंतः रोगियों और बाह्य रोगियों के लिए पूर्णकालिक परामर्श दाता होगा।

(8) अध्यापन स्थितियों की पत्रता के मानदण्ड, जिनकी विशेषताएं भारतीय चिकित्सा परिषद/भारतीय दंत चिकित्सा परिषद की संस्तुतियों में परिलक्षित नहीं हों, वही होंगे जैसा कि कुलपति द्वारा विद्या परिषद/कार्यपरिषद के अनुमोदनाधीन अवधारित किया जाए।

(9) विश्वविद्यालय में विशेष अध्ययन विभाग की स्थापना के दौरान विश्वविद्यालय के विशेष अध्ययन इकाई में किसी अध्यापक के योगदानों पर विचार आगामी चयन हेतु किया जाएगा।

(10) विश्वविद्यालय के अध्यापक/अध्यापकों की नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर किया जाएगा। वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक कर्मधारी होगा।

(11) प्रारम्भिक रूप से अध्यापकों की नियुक्ति परिवीक्षा पर एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा जिसे कुलपति की संस्तुति पर कार्यपरिषद द्वारा एक और वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकती है।

(12) अध्यापकों के वेतन का अवधारण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर किया जा सकता है।

(13) आचार्य की श्रेणी से नीचे के अध्यापकों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के सम्बन्ध में पहल उनके सम्बंधित विभागाध्यक्षों द्वारा की जा सकती है जिसकी समीक्षा संकायाध्यक्ष द्वारा की जाएगी। तथापि आचार्यों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की पहल सम्बंधित संकायाध्यक्ष द्वारा की जाएगी तथा उसे कुलपति की अध्यक्षता वाली वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट समिति द्वारा स्वीकृत की जाएगी। वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट समिति में कुलपति, संकायाध्यक्ष, एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा दूसरा अन्य पिछड़े वर्ग का आचार्य होगा।

(14) किसी अन्य विश्वविद्यालय कर्मधारी के समान किसी अध्यापक का निलंबन और सेवा समाप्ति, विद्या परिषद द्वारा अवधार, कर्त्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा, अनधीनता, अवज्ञा योवसिद्धि, नैतिक अधमता, वित्तीय अनियमितता, गबन, कर्त्तव्य अवहेलना तथा विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक के लिए अशोभनीय क्रियाकलापों के आधार पर कुलपति की संस्तुतियों पर की जा सकती है।

(15) प्रत्येक अध्यापक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का अनुमोदन वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट समिति द्वारा की जाएगी और उसे कुलसचिव कार्यालय में रखा जएगा।

चयन प्रक्रिया

धारा 34 और 41	10.02	(एफ)	किसी संकाय के रिक्त सांविधिक पद/पदों का विज्ञापन किया जाएगा और आरक्षण सूची के समुचित उल्लेख सहित इसकी सूचना को भी व्यापक रूप में परिचालित की जाएगी।

(दो) विज्ञापन/सूचना की अनुक्रिया में प्राप्त सभी प्रकार से सम्यक रूप से पूर्ण किये गये आवेदन पत्रों की संवीक्षा विहित पात्रता मानदण्ड पूरा करने पर की जाएगी।

(तीन) साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संक्षिप्त सूचीकरण, संक्षिप्त सूचीकरण समिति द्वारा तैयार किया जाएगा जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ेवर्गों के आचार्यों के समुचित प्रतिनिधित्व सहित अधिकतम पांच आचार्य होगें। सामान्यतः एक पद के लिए साक्षात्कार हेतु अधिकतम दस पात्र अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है।

(चार) छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे, द्वारा सम्यक रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त चयन समिति का गठन किया जाएगा।

(पांच) चयन समिति में विशेषज्ञों के नामों को गोपनीय रखा जाएगा और इस सम्बन्ध में कुलपति द्वारा ऐसा सुनिश्चित करने के लिए वही उपाय किये जाएंगे जैसा कि उचित समझा जाय।

(छः) चयन समिति कुलपति के आदेश से दिनांक/समय/स्थान का अवधारण करेगी।

(सात) चयन समिति अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करने के दौरान श्रेष्ठता क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों का/के नाम/नामों को सूचीबद्ध करेगी। विज्ञापन की अपेक्षानुसार चयन समिति द्वारा साक्षात्कार कृत अनारक्षित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए पृथक पृथक श्रेष्ठता सूची होगी और उन्हें आरक्षण के रोस्टर में रखा जाएगा।

(आठ) चयन समिति एक रिक्त विज्ञापित पद के सापेक्ष एक ही अभ्यर्थी की संस्तुति करेगी। यदि एक से अधिक पद हों तो संस्तुत अभ्यर्थियों को विनिर्दिष्ट श्रेणी की श्रेष्ठता के अनुसार सूचीबद्ध किया जाएगा।

(नौ) केवल एक पद संवर्ग हेतु अभ्यर्थियों के लिये अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची उपलब्ध कराना चयन समिति के लिए सुलभ होगा।

(दस) चयन समिति सामान्यतः, यदि ऐसा वांछित हो, प्रतीक्षा सूची में प्रत्येक पद के सापेक्ष एक से अधिक नामों को संस्तुत नहीं करेगी जो पुनः चयनित अभ्यर्थी की अगली श्रेष्ठता क्रम में हो।

(ग्यारह) साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व समिति को उपर्युक्त उपबन्धों के सम्बन्ध में सूचित किया जाएगा।

(बारह) चयनित अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों, जो कार्यपरिषद द्वारा की गयी नियुक्ति के दिनांक को कार्यभार ग्रहण करेगा/करेंगे, की ज्येष्ठता का अवधारण अध्याय "अध्यापकों की ज्येष्ठता" के अधीन प्रचलित शासनादेशों सहित परिनियमावली में निर्धारित उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

सह आचार्य और आचार्य के रूप में अध्यापकों की वैयक्तिक पदोन्नति

धारा 41 10.03 (एक) छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के अनुसार "विश्वविद्यालय में मौलिक रूप से

नियुक्त किसी सहायक आचार्य, विश्वविद्यालय में इस धारा के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त या पदोन्नत किसी सह आचार्य, जिसका उतना सेवाकाल हो गया हो और जो ऐसी अर्हता रखता हो जैसाकि विहित किया जाए, को भारतीय चिकित्सा परिषद/भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद के सन्नियमों के अनुसार क्रमशः सह आचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जा सकती है।

(दो) सहायक आचार्य के पद से सह आचार्य के पद और तत्पश्चात् आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति की योजना उत्कृष्ट योगदान की मान्यता शैक्षणिक कार्यनिष्पादन और वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की आवश्यकता पर आधारित है।

(तीन) वैयक्तिक पदोन्नति वस्तुतः श्रेष्ठता की पदोन्नति है। यह सम्बन्धित व्यक्ति के लिए लागू है। यह पद की पदोन्नति नहीं हैं वैयक्तिक पदोन्नति में किसी अध्यापक को ऐसे पद, जिससे वह पदोन्नत किया गया हो, के उन्नयन के बिना यथा स्थिति सह आचार्य या आचार्य का उच्चतर पदनाम दिया जाता है। उसके द्वारा धारित मूल पद अर्थात् यथास्थिति सहायक आचार्य या सह आचार्य के पद पर उसका धारणाधिकार बना रहेगा। वैयक्तिक पदोन्नति पदनाम की पदोन्नति है। तथापि पदोन्नति हेतु प्रचलित विधि/आरक्षण रोस्टर के आधार पर जारी शासनादेशों के अधीन प्रत्येक स्तर पर पदोन्नति में आरक्षण का अनुपालन किया जाएगा। पदोन्नति सह आचार्य या आचार्य की सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता पर उसके द्वारा मूल रूप में धारित मौलिक पर रिक्त हो जाएगा जिसके सापेक्ष नई सांविधिक नियुक्ति की जाएगी।

(चार) सह आचार्य या आचार्य के पद पर पदोन्नत अध्यापक का स्थायीकरण पदोन्नत पदनाम पर नहीं किया जाएगा, यदि ऐसा कोई पद न हो जिसके सापेक्ष उसे पदोन्नत किया गया हो। यथास्थिति पदोन्नत सह आचार्य या आचार्य का, उसके द्वारा पूर्व वर्ती धारित मौलिक पद पर, स्थायीकरण अनुरक्षित रहेगा।

(पांच) सहायक आचार्य से सह आचार्य और सह आचार्य से आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति से पदनाम में केवल वैयक्तिक परिवर्तन के कारण न कि किसी स्वीकृत पद के सापेक्ष नियुक्ति के कारण यथास्थिति सहायक आचार्य या सह आचार्य का मौलिक पद मूल रूप में धारण करने के दौरान यथा समनुदेशित अध्यापन, चिकित्सीय और अन्य कार्य भार पदोन्नत पद पर उसके पास अग्रनीत रहेगा। अतएव तदनुसार वैयक्तिक रूप से पदोन्नत अध्यापक के उसी पद पर रहने के दौरान उसके कार्य भार का अभिधान सवंर्ग में चयनित यथा स्थित सह आचार्य या आचार्य के कार्यभार का अभिधान नहीं होगा।

(छः) सहायक आचार्य से यह आचार्य और सह आचार्य से आचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु किसी अध्यापक का चयन किये जाने में अपनाये जाने वाले अधिमानी मानदण्ड और निबंधन -

(क) छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (4) के अधीन गठित सांविधिक चयन समिति की संस्तुति पर ही वैयक्तिक पदोन्नति दी जाएगी।

(ख) सहायक आचार्य से सह आचार्य और सह आचार्य से आचार्य के पद पर किसी अध्यापक की पदोन्नति हेतु चयन समिति वही होगी जो छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (4) में यथा निर्धारित सम्बन्धित पद पर सीधी भर्ती के लिए है।

(ग) सम्बन्धित अध्यापक के पास भारतीय चिकित्सा परिषद/भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद द्वारा यथा विहित अपेक्षित अर्हताओं और अध्यापन अनुभव का होना आवश्यक है।

(घ) सम्बन्धित अध्यापक के पास विश्वविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण, शैक्षणिक अखण्डता शैक्षणिक अनुशासन को सम्बर्द्धित करने वाले प्रकाशनों की संख्या और गुणवत्ता तथा चिकित्सा शिक्षा, परीक्षा कार्य और प्रशासनिक कार्य के प्रति अंशदानों द्वारा यथा स्पष्ट छात्रवृत्ति और शोध के क्षेत्रों में श्रेष्ठता का मानक होना चाहिए।

(ड.) सम्बन्धित अध्यापक के पास अध्यापन, शोध, प्रकाशन/पुस्तक और व्यवसायिक परिणाम के सम्बन्ध में उत्कृष्ट पहचान होनी चाहिए।

(च) विश्वविद्यालय, व्यवसायिक संघ, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय निधिकरण अभिकरणों, उत्तर प्रदेश/भारत सरकार द्वारा या किन्हीं अन्य प्रख्यात सांविधिक या गैर सांविधिक निकायों द्वारा सम्बन्धित अध्यापक की उसकी बहुमूल्य श्रेष्ठता के लिए पहचान की जानी चाहिए।

(छ) चिकित्सा व्यवसाय, अध्यापन और शोध के क्षेत्र में सम्बन्धित अध्यापक के पास महत्वपूर्ण और मान्य नवीनता होनी चाहिए।

(ज) सम्बन्धित अध्यापक को राष्ट्रीय और या अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, अद्यतनकरणों और सम्मेलनों में सहभागीकृत होना चाहिए। तथापि आरक्षित श्रेणी के आचार्य/सह आचार्यों के किसी पद को रिक्त नहीं रखा जाएगा ओर यदि आवश्यक हुआ तो आरक्षित श्रेणी के उन पदों को भरने में मानदण्ड से अधिक शिथिलता प्रदान की जा सकती है।

<u>पदोन्नति हेतु अपनायी जानेवाली प्रक्रिया</u>

10.04 सहायक आचार्य से सह आचार्य या सह आचार्य से आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति के लिए उपर्युक्त श्रेष्ठता के निबन्धनों के अन्तर्गत स्वयं को पात्र समझने वाले अध्यापक को विश्वविद्यालय के कुलसचिव को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना चाहिए:-

(एक) पिछले चार वर्षों में अपने कार्य निष्पादन के सम्बन्ध में स्वनिर्धारण।

(दो) पिछले चार वर्षों के दौरान कृत कार्यनिष्पादन, शोध, अध्यापन, प्रशिक्षण, व्यवसायिक परिणाम और वैज्ञानिक अंशदान के निबंधनों के अन्तर्गत विशिष्ट योगदान।

(तीन) पिछले पांच वर्षों के दौरान अर्जित मान्यता/विशिष्टयां और अधिनिर्णय।

(चार) सम्बन्धित अध्यापक की कोई अन्य बात/उपादान, जिससे उसकी श्रेष्ठता में वृद्धि होती हो। सम्बन्धित अध्यापक पृथक-पृथक शीर्षकों के अधीन सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के माध्यम से कुलसचिव को ऐसे किसी समय आवेदन करेगा और इन सूचनाओं को प्रस्तुत करेगा जब वह वैयक्तिक पदोन्नति के लिए पात्र हो जाए। चयन समिति यथास्थिति सह आचार्य और आचार्य की वैयक्तिक पदोन्नति की उपर्युक्तता के निबन्धनों के अन्तर्गत सम्बन्धित अध्यापक का साक्षात्कार लेगी और समालोचनात्मक रूप में उसका मूल्याकंन करेगी। चयन समिति पदोन्नति हेतु सम्बन्धित व्यक्ति की संस्तुति कर सकती है/नहीं कर सकती है। चयन समिति तत्समय प्रवृत्त आरक्षण नियमों के अनुरूप संबंधित अध्यापक की श्रेष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर अपने द्वारा साक्षात्कार कृत अभ्यर्थियों के मध्य से पदोन्नति हेतु संस्तुति एक अध्यापक की या किसी की नहीं कर सकती है।

(पांच) चयन समिति की संस्तुति विचारार्थ कार्य परिषद के समक्ष रखी जाएगी।

(छः) कुलसचिव की ओर से ऐसे सम्बन्धित अध्यापक से सम्पर्क स्थापित किया जाएगा जिसके नये पद पर अपने कार्यभारत ग्रहण करने के दिनांक से सह आचार्य/आचार्य (वैयक्तिक पदोन्नति योजना के अन्तर्गत) के रूप में पदाभिहित जिसका नाम पदोन्नति हेतु चयन समिति द्वारा सम्यक रूप से संस्तुत हो और कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदित हो।

(सात) वैयक्तिक पदोन्नति योजना के अधीन पदोन्नत सम्बन्धित अध्यापक विभिन्न पदोन्नति के निमित्त अपनी मौलिक नियुक्ति के दिनांक से नियमित सह आचार्य और आचार्य को प्राप्त होने वाले भत्तों के समान सेवा संरक्षण, ज्येष्ठता प्रसुविधा वेतन और अन्य भत्तों का हकदार होगा।

10.05 चयन समिति द्वारा चयनित न किए जा सकने वाले अध्यापक के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया –

(1) ऐसे अध्यापक जो व्यक्तिगत पदोन्नति के लिए चयनित होने में असफल रहे, उन्हें एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् लगातार तीन और प्रयास करने का अवसर दिया जाएगा।

(2) ऐसे अध्यापक जो पश्चात्वर्ती तीन प्रयासों के पश्चात् भी चयनित न हो सके, उन्हें दो और वर्ष की समाप्ति के पश्चात् एक मौका और दिया जाएगा। वह अन्तिम मौका होगा और

यदि वह चयनित किए जाने में असफल रहता है तो उसके बाद और मौका नहीं दिया जाएगा।

धारा 41 (घ) 10.06 (1) छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) कहती है -"परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालयों के किसी वैतनिक अधिकारी और अध्यापक की नियुक्ति ऐसी लिखित संविदा के बिना नहीं किया जाएगा जो अधिनियिम परिनियम और अध्यादेशों के उपबन्धों से सुसंगत न हो।"

(2) किसी संविदा या उत्तरदायित्व पत्र को विश्वविद्यालय और किसी व्यक्ति के मध्य उसके द्वारा छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में अध्यापक संकाय सदस्य के रूप में कार्य-भार ग्रहण करने के पूर्व हस्तगत/प्रवृत किया जाएगा। स्टाम्प पेपर पर दिये गये नोटरीकृत/द्विवसीय संविदा/उत्तरदायित्व का प्रारूप इस प्रकार होगा -

"मैं ..... पुत्र .....
..... निवासी .....जो छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता/सहायक आचार्य/सह-आचार्य/आचार्य के रूप में कार्य-भार ग्रहण कर रहा हूँ, एतद्द्वारा उत्तरदायित्व लेता हूँ और दृढ़ता पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय के परिनियमों/अध्यादेशों में निर्धारित समस्त उपबन्धों का पालन करूँगा। इस निमित्त किसी उल्लंघन की दशा में, मेरी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

कुलसचिव
छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा
विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश

कर्मचारी
दिनांक ..... (हस्ताक्षर)

साक्षी
1. .....
2. .....

अध्यापकों का आचरण

धारा 41 (घ) 10.07 (1) अध्यापक सदैव पूर्ण शैक्षणिक सत्यनिष्ठा वित्तीय सत्यनिष्ठा, व्यावसायिक सत्यनिष्ठा और प्रंशासनिक सत्यनिष्ठा रखेगा एवं उसे बनाये रखेगा।

(2) अध्यापक का प्रत्येक कार्य उत्तरदायित्व पूर्ण होगा।

(3) अध्यापक को "अध्यापक के लिए अशोभनीय" होने के कारण, जिसके अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित में से कोई एक या उससे अधिक कमी भी है, सेवा से पदच्युत या हटाया जा सकता है/उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है।

(1) कर्तव्यों की जान बूझकर अवहेलना करना
(2) कर्तव्यों के प्रति लापरवाही
(3) शैक्षिक बेईमानी
(4) साहित्यिक चोरी
(5) गलत सूचना प्रदान करना
(6) जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना
(7) छद्मव्यक्तिता
(8) शैक्षिक, व्यावसायिक अक्षयता
(9) नैतिक अधमता
(10) गबन/घोटाला/बदनामी
(11) न्यास भंग
(12) संविदा/उत्तरदायित्व भंग
(13) शैक्षिक परिवेश दूषित करना
(14) शैक्षिक, व्यावसायिक और प्रशांसनिक सत्यनिष्ठा का पालन न करना ;
(15) असामाजिक तत्वों से लिप्त होना ;
(16) विश्वविद्यालय को बदनाम करने वाले कृत्यों में लिप्त होना;
(17) विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न करने में लिप्त होना और या उसके लिए दुष्प्रेरित करना ;
(18) आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना ओर या उसके लिए दुष्प्रेरित करना ;
(19) हड़ताल व अन्य अविधिमान्य गतिविधियों, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाना भी है, में लिप्त होना और या उसके लिए दुष्प्रेरित करना ;
(20) अविधिमान्य शस्त्रास्त्र और गोला, बारूद रखना और लेकर चलना ;
(21) विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के बाहर आतंकवाद में लिप्त होना या उसमें एक पक्षकार होना ;
(22) विश्वविद्यालय परिसर के भीतर सक्रिय राजनीति में लिप्त होना;
(23) निजी गतिविधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं लिप्त होना/शामिल होना;
(24) जाति-धम्र या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव या पक्षपात में लिप्त होना;
(25) अध्यापन एवं रोगी की देखभाल में शिथिलता

(3) अध्यापक किसी गोपनीय सूचना को, चाहे वह शैक्षणिक, प्रशासनिक हो या व्यावसायिक, प्रकट नहीं करेगा।

(4) अध्यापक सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी समस्त अनुदेशों/निर्देशों/आदेशों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा।

(5) अध्यापक छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियमावली/अध्यादेशों में निर्धारित समस्त उपबन्धों करेगा।

(6) प्रत्येक अध्यापक को प्रचलित विधियों में दी गई परिभाषा के अनुसार लोक सेवक समझा जायेगा।

अध्याय – ग्यारह

अध्यापकों का प्रवेश और उनकी अधिवर्षिता की आयु

धारा 41 (ग) 11.01 (1) अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी, परन्तु यह कि वह उस समय लागू अधिवर्षिता की आयु न प्राप्त कर ली हो।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की अधिवर्षिता की आयु 62 वर्ष होगी।

अध्यापकों का पुनर्नियोजन

धारा 41 (घ) 11.02 (1) कोई ऐसा अध्यापक जिसकी अधिवर्षिता का दिनांक 30 जून के पश्चात् हो, वह आगामी वर्ष के 30 जून को समाप्त होने वाले चालू शिक्षा सत्र में पुनर्नियोजित अध्यापक के रूप में सेवा में बना रह सकेगा।

(2) किसी अध्यापक को शैक्षिक, अनुसंधान, अध्यापन, धैर्यपूर्ण देख-रेख और विश्वविद्यालय के निगमित जीवन के प्रति सेवा एवं सहायता के रूप में उसकी अनिवार्यता के आधार पर 65 वर्ष की आयु तक वर्षानुवर्ष के आधार पर पुनर्नियोजित किया जा सकेगा।

(3) किसी अध्यापक को राष्ट्रीय पुरस्कारों-पदम् पुरस्कार, डॉ0 एस. एस. भटनागर पुरस्कार, और डॉ0 बी. सी. राय राष्ट्रीय पुरस्कार से विभूषित किये जाने के कारण अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए उसी पद पर पुनर्नियोजन से पुरस्कृत किया जा सकेगा।

(4) किसी भी अध्यापक को उसके द्वारा 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् किसी आधार पर या किसी बहाना, चाहे वह जो भी हो, पुनर्नियोजित या पुनः नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(5) ऐसा पुनर्नियोजित अध्यापक जो अपने पुनर्नियोजन के समय किसी शैक्षणिक विभाग का अध्यक्ष था, अपने अध्यक्ष के पद पर बना नहीं रहेगा।

सेवानिवृत्ति

धारा 41 (घ) 11.03 (1) कोई अध्यापक अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्ति हो जायेगा। इसका तात्पर्य यह होगा कि जब तक अध्यापक को पुनर्नियोजित करने के लिए कोई अन्यथा विशेष आदेश नहीं दिया जाता है, वह 62 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त हो जायेगा।

(2) कोई अध्यापक सेवानिवृत्ति के पश्चात् अपनी सेवानिवृत्ति के समय राज्य सरकार के नियमों के अधीन यथा लागू समस्त सेवानिवृत्ति सम्बन्धी लाभों को प्राप्त करने का हकदार होगा।

(3) किसी अध्यापक को उसकी सेवानिवृत्ति के दिनांक से 30 दिन की अवधि के भीतर उसकी सेवानिवृत्ति सम्बन्धी सभी देयों का भुगतान कर दिया जायेगा। यह नियमानुसार ऐसे कारणों से जो इस निमित्त की गई कार्रवाई को न्यायोचित ठहराते हो, समस्त देयों या उसके भाग को रोकने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये किसी अन्य विनिश्चय के अधीन रहेगा।

(4) बहरहाल, विश्वविद्यालय किसी अध्यापक को उसकी सेवानिवृत्ति के समय विश्वविद्यालय में अध्यापक की हैसियत से उसकी सेवा के दौरान उसकी प्रतिष्ठा व किये गये महत्वपूर्ण योगदान के लिए बधाई देने के लिए विचार कर सकता है।

11.04 (1) इस चिकित्सा विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक या किसी कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करने के लिए कोई प्रावधान नहीं रहेगा। यह व्यवस्था चिकित्सा अध्यापकों को प्रलोभन में आकर संस्था को समय से पूर्व छोड़ने के लिए प्रोत्साहित न करके विश्वविद्यालय के हित की रक्षा करने के लिए की गयी है। यह चिकित्सा विश्वविद्यालय की मुख्य शैक्षणिक शाखा में कार्य करने के लिए अनिच्छुक अच्छी गुणवत्ता के अध्यापकों की बढ़ती हुई परम्परा के फलस्वरूप अध्यापकों की सम्भावित घोर कमी को दृष्टिगत रखते हुए और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

(2) किसी अध्यापक को उसके कदाचार/और या ऐसे कृत्य के लिए जो किसी विश्वविद्यालय के अध्यापक के लिए अशोभनीय हो, विश्वविद्यालय द्वारा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया जायेगा। अनिवार्य सेवानिवृत्त किसी अध्यापक की सेवा के किसी स्तर पर प्रदान की जा सकती है। उपर्युक्त आधार पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त अध्यापक अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों पर यथा लागू किसी भी सेवानिवृत्ति सम्बन्धी लाभ को प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। किसी अध्यापक या किसी अन्य कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है, यदि चिकित्सीय या अन्य आधार पर वह अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने में अयोग्य पाया जाता है। ऐसे मामलों में, अध्यापक/कर्मचारी को सेवानिवृत्ति सम्बन्धी समस्त देय लाभों का भुगतान किया जायेगा।

(3) सशर्त त्यागपत्र के लिए कोई प्रावधान नहीं रहेगा।

सेवा समाप्ति

धारा : 41 (घ) 11.05 कदाचार के सिद्ध आरोपों पर और अध्यापक होने के लिए "अपात्र" अध्यापक की सेवा किसी भी प्रक्रम पर समाप्त कर दी जायगी। किसी अध्यापक/कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने के पूर्व उचित विहित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसमें उसके मामले की तथ्यपरक समिति, जांच समिति के माध्यम से जांच करना, आरोप पत्र और कारण बताओ नोटिस जारी करना सम्मिलित है।

निलंबन

धारा : 41 (घ) 11.06 (1) जांच को और विहित प्रक्रिया के अनुसार की जाने वाली कार्रवाई को लंबित रखते हुए किसी अध्यापक को कदाचार के आरोपों पर या अध्यापक होने के लिए अपात्र को निलंबित किया जाएगा।

(2) निलंबन की अवधि उस समय तक जारी रहेगी जब तक कि उसके विरूद्ध उसे या तो दण्डित करने या उसे आरोपों से मुक्त करने की विहित प्रक्रिया के माध्यम से उसके विरूद्ध कार्रवाई न कर दी जाए।

(3) निलंबन दण्ड नहीं है।

(4) दोषी पाए जाने पर अध्यापक को उसके विरूद्ध लगाए गये आरोपों के अनुकूल दण्ड दिया जा सकता है। इसमे किसी एक अवधि के लिए उसकी वेतन वृद्धि रोकना, उसकी प्रोन्नति रोकना, उसकी पदावनति, अनिवार्य सेवा निवृत्ति और सेवा समाप्ति सम्मिलित है।

अवकाश

निम्नलिखित प्रकार की अवकाश अध्यापकों को अनुमन्य होगी –

धारा : 41 (घ) 11.07 (1) आकस्मिक अवकाश : प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के अर्थात् 01 जनवरी से 31 दिसम्बर तक अध्यापक 14 दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। आकस्मिक अवकाश को अग्रनीत नहीं किया जाएगा और इसलिए संचित नहीं की जा सकती है। अध्यापक के पास केवल एक विकल्प होगा कि वह रविवार सहित विश्वविद्यालय के अवकाशों के साथ आकस्मिक अवकाश को पहले या बाद में जोड़ लें।

(2) अर्जित अवकाश/विशेष अवकाशः अध्यापक राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अर्जित अवकाश। विशेष अवकाश का हकदार होगा। अवकाश विभाग से सम्बन्धित विश्वविद्यालय का अध्यापक ग्रीष्म और शीत अवक्राशों के लिए हकदार होगा। विश्वविद्यालय पद्धति में ग्रीष्म और शीत अवकाश क्रमशः दो और एक मास का होगा। चिकित्सा विश्वविद्यालय का अध्यापक केवल एक मास का ग्रीष्म अवकाश और पन्द्रह दिन का शीत अवकाश का उपयोग करने का हकदार होगा। वह सरकारी नियमों के अनुसार शेष अनुप मुक्त अवकाश अवधि के लिए विशेष अवकाश अर्जित करने का हकदार होगा।

(3) अध्यापक को हकदार अवकाश का उपभोग करना होगा जब तक कि कतिपय विनिर्दिष्ट कारण से विश्वविद्यालय द्वारा उसे कार्य करने से रोक न दिया जाए। आकस्मिक अवकाश को अर्जित, विशेष अवकाश या अन्य प्रकार की अवकाश के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है।

(4) अध्यापक चिकित्सा, मातृत्व, पितृत्व अवकाश का राज्य सरकार के नियमानुसार हकदार होगा।

(5) कर्तव्यस्थ अवकाशः अध्यपाक एक कलैण्डर वर्ष में 15 दिन की कर्तव्यस्थ अवकाश का हकदार होगा। कर्तव्यस्थ अवकाश का प्रयोग केवल शैक्षणिक और वैज्ञानिक बैठकों में, अन्य महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लेने के लिए परीक्षा लेने के लिए बाहर जाने में और अन्य शैक्षणिक/शोध क्रियाकलापों के प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

(6) विशेष अवकाश : विशेष परिस्थितियों में अध्यापक को प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के हित में कतिपय विशेष कार्य या बैठक में भाग लेने के लिए 15 दिन तक का विशेष अवकाश दिया जा सकता है।

(7) वेतन के बिना अवकाश : विश्वविद्यालय के कुल सेवाकाल में कुलपति द्वारा अध्यापक को 3 वर्ष की अवधि की वेतन के बिना अवकाश दिया जा सकता है। आपवादिक मामलों में दो वर्ष की और बिना वेतन की अवकाश कार्य परिषद द्वारा स्वीकृत की जा सकती है।

(8) आकस्मिक अवकाश/अर्जित अवकाश/विशेष अवकाश/छुट्टी अवकाश का उपयोग केवल तब ही किया जा सकता है जब यह सम्बन्धित अध्यापक को देय हो।

(9) परिवीक्षाधीन अध्यापक को कोई अवकाश नहीं दिया जायेगा।

(10) किसी भी प्रकार के अवकाश का उपभोग अधिकार स्वरूप नहीं किया जा सकता है। कुलपति अपने विवेक से विश्वविद्यालय के हित में किसी भी प्रकार के अवकाश को मना कर सकता है।

(11) पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी अध्यापक अवकाश पर नहीं जाएगा।

(12) अध्यापक को अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार (आकस्मिक अवकाश के सिवाय) विश्वविद्यालय के हितों का विचार करते हुए कुलपति के पास रहेगा।

धारणाधिकार/प्रतिनियुक्ति

धारा : 41 (घ) 11.08 (1) किसी अन्य संस्था में की जाने वाली सेवा के लिए अध्यापक को धारणाधिकार या प्रतिनियुक्ति दी जा सकती है। दोनों ही स्थितियों में ऐसा वेतन के बिना अवकाश के रूप में होगा।

(2) विश्वविद्यालय के हितों को सर्वोच्च रखते हुए धारणाधिकार/प्रतिनियुक्ति की अनुमति होगी।

(3) धारणाधिकार/प्रतिनियुक्ति केवल तब ही दी जाएगी जब इस अवधि के दौरान अध्यापक की उपस्थिति से विश्वविद्यालय के अध्यापन/प्रशिक्षण/शोध क्रियाकलाप पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(4) कुलपति, विश्वविद्यालय के हितों की रक्षा करते हुए, अपने विवेक से धारणाधिकार/प्रतिनियुक्ति के आवेदन को अस्वीकृत कर सकता है।

(5) अध्यापक, यथास्थिति, धारणाधिकार की अवधि के पूर्ण होने के पश्चात का उससे पूर्व भी अपने मूल पद पर विश्वविद्यालय में वापस आने का हकदार होगा।

(6) विश्वविद्यालय में अध्यापक को उसके सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान तीन वर्ष से अनधिक अवधि का धारणाधिकार दिया जा सकता है। यह एक बार या विभिन्न अवधियों में हो सकता है।

(7) अध्यापक द्वारा अपने धारणाधिकार की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय से बाहर की गई सेवा को इस विश्वविद्यालय में सेवा के वर्षों की संख्या में गणना की जाएगी। इस प्रकार धारणाधिकार पर बिताई गई अवधि को विश्वविद्यालय में ज्येष्ठता या वैयक्तिक पदोन्नति की पात्रता के लिए गणना की जाएगी।

(8) धारणाधिकार केवल तब ही स्वीकृत किया जाएगा जब अन्य संस्था विश्वविद्यालय से उच्चतर स्तर की हो या सरकारी संस्था हो जिसके विकास को उन्नत करना हो।

(9) परिवीक्षाधीन अध्यापक को कोई छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाएगी।

धारा: 41 (घ) 11.09 (1) प्रतिनियुक्ति तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए बिना वेतन के अवकाश होगी जिसे विशेष परिस्थितियों में कार्य परिषद द्वारा दो वर्ष की अग्रतर अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है यदि ऐसे अध्यापक को दी गई है जिसकी सेवाओं की किसी अन्य संस्था द्वारा विशेष रूप से माँग की गई है।

(2) अध्यापक की प्रतिनियुक्ति में - दो पक्ष होंगे।
(1) दाता अर्थात विश्वविद्यालय और दूसरा प्राप्तकर्ता (अर्थात् उसकी सेवाओं की माँग करने वाली संस्था)

(3) दाता अर्थात् विश्वविद्यालय का यह अधिकार होगा कि वह विशेष परिस्थितियों में प्रतिनियुक्ति के किसी प्रक्रम पर अध्यापक को विश्वविद्यायल वापस बुला सकता है। इसे प्रकार प्राप्तकर्ता भी अवधि के किसी प्रक्रम पर अध्यापक को उसकी मूल संस्था को वापस कर सकता है।

(4) प्राप्तकर्ता सामान्य भविष्य निधि/भविष्य निधि और छुट्टी के नँगदीकरण/पेंशन अंशदान का अध्यापक को उसके प्रतिनियुक्ति काल के दौरान भुगतान करेगा।

(5) धारणाधिकार के सम्बन्ध में यथा विनिर्दिष्ट अन्य शर्तें प्रतिनियुक्ति की छुट्टी पर लागू होगी।

(6) दोनों पक्षों के मध्य प्रतिनियुक्ति के विभिन्न निबंधन और शर्तों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता

धारा 41 (घ) और 41 (ड.) 11.10 (1) (क) आचार्य सह आचार्य से ज्येष्ठ समझा जायेगा और सह-आचार्य सहायक आचार्य से ज्येष्ठ होगा।

(ख) किसी अध्यापक की ज्येष्ठता का अवधारण, विश्वविद्यालय में प्रत्यक्ष पार्श्व प्रविष्ट और विश्वविद्यालय में व्यक्तिगत पदोन्नति दोनों दशा में, पदनाम पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक के सम्बन्ध में किया जायेगा।

(2) चयन समिति द्वारा योग्यता क्रम में उच्च स्थान प्राप्त करने वाला अध्यापक चयन सूची में निम्नतर स्थान प्राप्त करने वाले अन्य अध्यापकों से ज्येष्ठ होगा। यह कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को ध्यान न रखते हुए लागू होगा।

(3) ऐसी दशा में जब अध्यापकों की ज्येष्ठता से सम्बन्धित सभी प्राचल समान हो, तो आयु में ज्येष्ठ अध्यापक को अन्य अध्यापकों से ज्येष्ठ समझा जायेगा।

(4) इस विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के पहले अध्यापक द्वारा उसकी पूर्व नियुक्ति में प्राप्त शिक्षण अनुभव की भावना इस विश्वविद्यालय में उसकी ज्येष्ठता के अवधारण के लिए नहीं की जायेगी।

(5) विश्वविद्यालय में अध्यापकों के लिए कार्यभार ग्रहण करने पर वेतन आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं रहेगा।

(6) कुलपति एक ज्येष्ठता समिति का गठन करेंगे जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणियों से सम्बन्धित ज्येष्ठ संकाय सदस्यों द्वारा सम्यक रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले तीन वरिष्ठ आचार्य और कुलसचिव होंगे जो ऊपर वर्जित प्राचल के आधार पर अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची की संवीक्षा करके उसे तैयार करेंगे।

(7) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को तैयार करके अध्यापकों के मध्य आपत्ति के लिए, यदि कोई हो, परिचालित किया जायेगा।

(8) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की ज्येष्ठता के बारे में प्रत्येक विवाद ज्येष्ठता समिति को विनिर्दिष्ट किया जायेगा जो विनिश्चय के कारण उल्लेखित करते हुए उसे विनिश्चित करेगी।

(9) उपरोक्तानुसार सम्यक् रूप से तैयार की गई और कुलपति द्वारा अनुमोदित अन्तिम ज्येष्ठता सूची को तब कार्य परिषद के समक्ष इसके परिशोधन के लिए रखा जाएगा।

(10) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रस्तरों में उल्लेखित उपबन्धों के अनुसार पूर्ण और अद्यतन ज्येष्ठता सूची बनाएं रखें।

(11) विश्वविद्यालय में नियुक्ति के पश्चात् यदि सम्यक् रूप से नियुक्त कोई अध्यापक पूर्व अनुभव के आधार पर ज्येष्ठता की गणना किए जाने के लिए दावा करता है तो उसे इस समर्थक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना चाहिए कुलसचिव सवीक्षा करने के पश्चात् आवेदक के दावे को उन अध्यापकों जिन्हें प्रभावित होने की सम्भावना है विभागाध्यक्षकक्ष और संकायाध्यक्ष के मध्य सम्बन्धित लोगों की आपत्ति के लिए परिचालित किया जाएगा। दावे और प्रकट की गई आपत्तियों की जांच संकायाध्यक्ष विभागाध्यक्ष और अनुसूचित जातियों/जन जातियों और पिछड़े वर्गों की श्रेणियों के दो सदस्यों और कुलसचिव से मिलकर बनी एक समिति द्वारा की जाएगी। यदि अनुभव पर आधारित ज्येष्ठता दावेदार को प्रदत्त किये जाने के लिए प्रस्तावित है तो मामले को कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। फिर भी यदि इस परिनियम/प्रवृत्त होने के पूर्व एक पक्षीयरूप से कोई लाभ प्रदान किया गया है तो व्यथित व्यक्ति प्रवृत्ति के दिनांक से तीन माह के भीतर समर्थक साक्ष्यों के साथ अपनी शिकायत के समाधान के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसे मामलों में सम्बन्धित लोगों को अवसर देने के पश्चात् उपरोक्त गठित समितियाँ समस्त मामलों की जांच करेंगी और अपनी संस्तुति को कुलपति के समक्ष कार्य परिषद के आगामी निर्णय के लिए रखेगी। आगे यह व्यवस्था की

गई है कि कार्य परिषद द्वारा पहले से ही प्रदान किया गया लाभ कार्य परिषद द्वारा अन्यथा निर्णय लिए जाने तक जारी रहेगा।

अनुशासनिक समिति

धारा 23 (झ) 11.11 (1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय में ऐसी अवधि के लिए जिसे वह उचित समझे एक अनुशासनिक समिति का गठन करेगी जिसमें कुलपति और कार्यपरिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट चार अन्य व्यक्ति होंगे जिसमें एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति और एक सदस्य अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी का होगा इसके अतिरिक्त कुल सचिव समिति का सदस्य सचिव होगा।

(2) यदि कार्यपरिषद् समीचीन समझे तो वह विभिन्न मामलों या मामलों के वर्गों पर विचार करने के लिए ऐसी एक से अधिक समिति गठित कर सकती है।

(3) जिस अध्यापक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का कोई मामला विचाराधीन हो, वह मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करने वाली अनुशासनिक समिति के सदस्य के रूप में कार्य नहीं करेगा।

(4) अनुशासनिक समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे :-

(एक) विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गयी किसी अपील पर विनिश्चय करना।

(दो) ऐसे मामलों में जांच करना जिसमें विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक या पुस्तकालयाध्यक्ष के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अन्तर्ग्रस्त हो।

(तीन) उपर्युक्त उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी ऐसे कर्मचारी को निलम्बित करने की संस्तुति करना जिसके विरूद्ध जांच विचाराधीन या अनुध्यात हो।

(चार) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो उसे समय-समय पर कार्यपरिषद् द्वारा सौंपे जायें।

(5) साक्ष्य के आधार पर अनुशासनिक समिति का विनिश्चय या उसकी रिपोर्ट यथाशीघ्र कार्यपरिषद् के समक्ष रखी जायेगी जिससे कार्यपरिषद् मामले में अपना विनिश्चय कर सकें।

जन सम्पर्क अधिकारी

धारा 14 (झ) 11.12 (1) ऐसे दो विशेष प्रकोष्ठ होंगे, जिसमें से एक के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/और दूसरा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए होगा, जिसमें एक प्रकोष्ठ की अध्यक्षता क्रमशः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा और दूसरा प्रकोष्ठ की अध्यक्षता अन्य पिछड़े वर्ग के जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(2) जन सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों की सम्बन्धित श्रेणी में से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

(3) जन सम्पर्क अधिकारी सम्बन्धित श्रेणियों के लिए आरक्षण नीति और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन व अनुश्रवण करेगा।

(4) विश्वविद्यालय के स्तर पर विभिन्न समितियों में सम्बन्धित श्रेणियों के सदस्यों का नाम निर्देशन करते समय जन सम्पर्क अधिकारी के सुझाव पर विचार किया जाएगा।

(5) सम्बन्धित प्रकोष्ठ की रिपोर्ट और संस्तुति पर कार्य परिषद में कम से कम प्रत्येक छः माह पर चर्चा की जायेगी।

(6) जन सम्पर्क अधिकारी का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

अध्याय – बारह
विश्वविद्यालय के छात्र

धारा 41 (ण) 32 12.01 (1) विश्वविद्यालय के छात्र वे होंगे जिन्हें शासनादेशों और चयन समिति के तत्समय प्रवृत्त उपबन्धों के अधीन पूर्व स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, पी. एच. डी. या किसी अन्य समकक्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान किया जाता है।

(2) खण्ड (1) के उपबन्धों का उल्लघंन करते हुए विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रदान किए गये किसी छात्र को किसी भी परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(3) विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रदान किये जाने वाले छात्र प्राधिकारियों द्वारा आवश्यकता अनुसार विरचित किए गये प्रवृत्त विनियमों आचरण के सिद्धान्तों, व्यवहार, पोशाक संहिता, अनुशासन की संहिता का अनुपालन करेंगे।

(4) विश्वविद्यालय के छात्र राजनीतिक गतिविधियों व्यापार संघों या किसी ऐसी अन्य गतिविधियों में लिप्त नहीं होंगे जो प्राधिकारियों द्वारा घोषित विश्वविद्यालय के शैक्षिक वातावरण के लिए अहित कर हों।

(5) सभी जाति मत और धर्म के छात्र बिना किसी पक्षपात की भावना के, शिक्षा में समान अवसर प्राप्त करेंगे।

(6) छात्रों को प्राधिकारियों द्वार विरचित विनियमों के अनुसार छात्रों को छात्रावास आवंटित किया जाएगा।

(7) पूर्ववर्ती खण्डों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रवेश में आरक्षण, छात्रावास के आवंटन और अनसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों हेतु किसी कल्याणकारी योजना से सम्बन्धित विशेष अधिकार विषयक सरकार नीतियों का अनुसरण किया जाएगा।

प्रवेश समिति

धारा 123 (छ) और 32 12.02 (1) विश्वविद्यालय की एक प्रवेश समिति होगी जो निम्नलिखित से मिलकर गठित है :-

(एक) कुलपति, उसके अध्यक्ष के रूप में।

(दो) समस्त सकांयध्यक्ष, सदस्य के रूप में।

(तीन) परीक्षा नियंत्रक, सदस्य सचिव के रूप में।

(चार) सभी विभागाध्यक्ष/सम्बन्धित इकाईयों के प्रभारी।

(पांच) कुलानुशासक।

(छः) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों की श्रेणियों के दो सदस्य।

(सात) अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणियों के दो सदस्य।

(2) प्रवेश समिति को उतनी संख्या में उपसमितियाँ गठित करने की शक्ति होगी जितनी वह उचित समझें।

(3) प्रवेश समिति विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश की नीति को शासित करने वाले सिद्धान्त और मानदंड निर्धारित करेगी।

(4) उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रवेश समिति निर्देश प्रवेश सम्बन्धी मानदण्ड या पद्धति, जिसके अन्तर्गत प्रवेश प्रदान किये जाने वाले छात्रों की संख्या भी है, जारी करेगी।

(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय या उसके सम्बद्ध महाविद्यालयों या संस्थाओं में अनुसूचित/अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणियों से सम्बन्धित छात्रों के लिए किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सीटों का आरक्षण ऐसी विधि या आदेशों द्वारा दिया और विनियमित किया जाएगा जैसा राज्य सरकार उस निमित्त अधिसूचना द्वारा पारित करें।

(6) पूर्ववर्ती उपखण्डों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश, राज्य सरकार के किन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुए, उन उपबन्धों द्वारा शासित होता रहेगा जो नियत दिनांक के ठीक पूर्व किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज पर लागू रहे हों।

(7) इस धारा के उपबन्धों का उल्लघंन करते हुए विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रदान किए गये किसी छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा किसी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी और कुलपति को ऐसा उल्लघंन करते हुए दिये गये किसी प्रवेश को रद्द करने की शक्ति होगी।

अध्याय – तेरह

चिकित्सा/दन्त महाविद्यालयों/परिचर्या महाविद्यालयों/पराचिकित्सीय विज्ञान महाविद्यालयों की सम्बद्धता

धारा : 41

13.01 (1) छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 11 और उपधारा (18) में प्राविधान है कि "विश्वविद्यालय को किसी राजकीय या निजी चिकित्सा/दन्त/परिचर्या /पराचिकित्सीय महाविद्यालय को ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर सम्बद्धता या मान्यता के विशेषाधिकार देने जैसे विहित किये जाय और किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस लेने या उसमें कटौती करने और ऐसे महाविद्यालय के कार्यों का मार्गदर्शन और नियंत्रण करने की शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे"।

(2) सम्बन्धित संस्था यथास्थिति भारतीय चिकित्सा परिषद/भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद/भारतीय परिचर्या परिषद/ और अन्य कानूनी निकाय द्वारा आवश्यक रूप से मान्यताप्राप्त होनी चाहिए।

(3) विश्वविद्यालय को विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता चाहने वाले किसी संस्था के आवेदन-पत्र को स्वीकार करें या न स्वीकार करें।

(4) किसी राजकीय या निजी चिकित्सा/दन्त चिकित्सा/परिचर्या/पराचिकित्सीय महाविद्यालय की सम्बद्धता हेतु आवेदन-पत्र इस प्रकार दिया जायेगा कि वह उस शैक्षिक सत्र के जिसके सम्बन्ध में मान्यता माँगी गयी है, के प्रारम्भ होने के कम से कम 12 माह पूर्व कुलसचित के पास पहुँच जाय।

परन्तु विशेष परिस्थितियों में कुलपति उच्च चिकित्सा/दन्त चिकित्सा/परिचर्या/पराचिकित्सीय शिक्षा के हित में उक्त अवधि को उस सीमा तक कम कर सकते हैं जहाँ तक वह आवश्यक समझें।

(5) संस्था से अन्य सुसंगत दस्तावेजों, जिसके अन्तर्गत प्रसंस्करण शुल्क भी है के साथ आवेदन-पत्र के प्राप्त हो जाने पर विश्वविद्यालय सुविधा, अवस्थापना सुविधाओं, उपस्कर, मानव संसाधन, संकाय, शैक्षिक परिवेश, स्तर, उसके प्रबन्धन, अनुशासन, परीक्षा प्रक्रिया और समग्र शैक्षिक और व्यावसायिक प्रास्थिति के सन्दर्भ में संस्था का निरीक्षण करेगा।

(6) आवेदन-पत्र के प्रसंस्करण के पश्चात् ही यदि संस्था को निरीक्षण के योग्य पाया जाता है तो सम्बन्धित संस्था से निरीक्षण शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा जायेगा।

(7) निरीक्षण तभी किया जायेगा जब निरीक्षण शुल्क प्राप्त कर लिया जाय जो आवेदन-पत्र के साथ प्रभारित प्रसंस्करण शुल्क से भिन्न होगा।

(8) कुलपति प्रश्नगत संस्था कि निरीक्षण के लिए कार्य परिषद् के अनुसमर्थन में एक निरीक्षण समिति का गठन करेगा। समिति में विशेषज्ञ, प्रशासक और शिक्षाविद्, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधि होंगे सम्मिलित होंगे। किन्तु सरकार निरीक्षण समिति में सदस्य नामनिर्दिष्ट कर सकती है।

(9) निरीक्षण समिति के सदस्यों के यात्रा भत्ता/मँहगाई भत्ता, परिवहन और आवास व्यय का वहन सम्बन्धित संस्था द्वारा किया जायेगा। निरीक्षण समिति किसी भी प्रकार की सूचना दिये बिना औचक निरीक्षण करेगी।

(10) संस्था का निरीक्षण, निरीक्षण शुल्क के प्राप्त किये जाने के पश्चात् किसी दिनांक को किया जायेगा।

(11) सम्बद्धता चाहने वाली संस्था निरीक्षण समिति के सदस्यों को प्रभावित करने के लिए अत्यधिक मेज़बानी, नकद या वस्तु के रूप में उपहार प्रस्तुत करने जैसा कोई काम नहीं करेगी।

(12) निरीक्षण समिति अपनी संस्तुति निरीक्षण करने के दिनांक से 36 घण्टे के भीतर प्रस्तुत कर देगी।

(13) निरीक्षण समिति अपनी रिपोर्ट विभिन्न मदों के सापेक्ष सूचना, तथ्यों, अंको के अपेक्षित प्रारूप पर प्रस्तुत करेगा। कमी को स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा।

(14) निरीक्षण समिति केवल तथ्यों, अंकों और संस्था के समग्र प्रभाव को प्रस्तुत करेगी।

(15) निरीक्षण समिति सम्बद्धता हेतु संस्था की संस्तुति करेगी अथवा नहीं करेगी।

(16) कुलपति निरीक्षण रिपोर्ट का प्रसंस्करण करेगा और तब उसे कार्यपरिषद के समक्ष यथास्थिति अनुमोदन या नामंजूरी के लिए प्रस्तुत करेगा।

(17) यदि निरीक्षण समिति की संस्तुति कार्य परिषद् द्वारा स्वीकार कर ली जाती है, तो सम्बद्धता से सम्बन्धित प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु शासन को संदर्भित किया जायेगा। शासन का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् ही वह उसे पहली बार में एक शैक्षणिक वर्ष की अनन्तिम सम्बद्धता की अनुज्ञा देगी।

(18) लगातार पाँच वर्ष तक प्रत्येक वर्ष आवधिक निरीक्षण किया जायेगा। नियमित (स्थायी) सम्बद्धता केवल तभी प्रदान की जायेगी जब पाँचों निरीक्षण रिपोर्ट ठीक पाई जायं और कार्य परिषर्द द्वारा सम्यक् रूप से स्वीकार कर ली जायं।

(19) अध्यापन और परीक्षा में गुणवत्ता और मात्रा बनाये रखने में विफल रहने वाली संस्था की सम्बद्धता तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और उसे सम्बन्धित पाठयक्रम में पुनः प्रवेश लेने से विवर्जित कर दिया जायेगा।

(20) संस्था की अच्छी ख्याति होनी चाहिए और उसके विरूद्ध कोई विधिक मामला लम्बित नहीं होना चाहिए।

(21) विश्वविद्यालय से महाविद्यालयों की सम्बद्धता के लिए विहित फीस परिशिष्ट 'ख' में यथा उल्लिखित रूप से होगी।

(22) संस्था की शिक्षण और प्रबन्ध तथा शासकीय समिति में विश्वविद्यालय के दो प्रतिनिधि होंगे।

(23) सम्बन्धित संस्था के संकाय की नियुक्ति चयन समिति द्वारा, जिसमें निम्नलिखित होंगे, की जायेगी।

1- कुलपति -अध्यक्ष

2- सम्बद्धक संस्थाओं का निदेशक/प्राचार्य

3- छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय के सम्बन्धित विभाग का विभागाध्यक्ष

4- सम्बद्धक संस्थाओं के सम्बन्धित विभाग का विभागाध्यक्ष।

5- दो/तीन विशेषज्ञ, जिनका नामनिर्देशन छत्रपति शाहूजी महाराजा चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा किया जायेगा (आचार्य या सह-आचार्य की दशा में, तीन विशेषज्ञ और किसी अन्य दशा में दो आचार्य) और साथ में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधि।

6- सम्बद्धक संस्थाओं की शासकीय निकाय का नामनिर्देशिती

7- विश्वविद्यालय का अनुसूचित जाति का एक प्रतिनिधि और अन्य पिछड़े वर्गों का एक प्रतिनिधि जिनका नामनिर्देशन

सरकार द्वारा किया जायेगा। चयन समिति की सिफारिशों पर छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय की कार्य परिषद द्वारा विचार किया जाएगा। इस निमित्त व्यय का वहन सम्बन्धित संस्था द्वारा किया जायेगा।

(24) सम्बद्धक संस्थाओं के छात्रों की परीक्षा का संचालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(25) सम्बन्धित संस्था के छात्रों की सैद्धान्तिक परीक्षा का आयोजन छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय के छात्रों को परीक्षा के आयोजन के समय और दिनांक को किया जायेगा। सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों की परीक्षा का आयोजन सम्बन्धित संस्था में किया जायेगा और विशेष परिस्थितियों में छात्रों को उक्त प्रयोजन के लिए लखनऊ आने के लिए कहा जा सकता है। व्यावहारिक परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ लखनऊ नगर में या सम्बद्धक संस्थाओं पर किया जायेगा। विश्वविद्यालय का परीक्षा नियंत्रक समस्त परीक्षाओं का संचालन करेगा।

(26) शिक्षा के मानक को और परीक्षाओं में पवित्रता को बनाये रखने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा सभी प्रकार आवश्यक कदम उठाए जायेंगे। संस्था के प्रबन्धतन्त्र का इस निमित्त किसी मामले में, चाहे वह जो भी हो, कोई अधिकार या हस्तक्षेप नहीं होगा।

(27) छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों और विनियमों के समस्त उपबन्ध परीक्षा के मानक और अभ्यर्थियों की योग्यता को बनाये रखने के लिए सम्बद्ध संस्थाओं पर लागू होंगे।

(28) सम्बन्धित संस्थाओं में छात्रों का प्रवेश समरूप आधार पर किया जायेगा अर्थात् आयुर्विज्ञान तथा शल्य-विज्ञान स्नातक (एम. बी. बी. एस.) और दन्त शल्य-चिकित्सा स्नातक (बी. डी. एस) में प्रवेश संयुक्त पूर्व चिकित्सा परीक्षा और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूर्व चिकित्सा परीक्षा के आधार पर और जब कि आर्युविज्ञान निष्णात, शल्य-निष्णात/दंत शल्य-चिकित्सा निष्णात और विशेषज्ञता वाले पाठ्यक्रम में प्रवेश परास्नातक चिकित्सा प्रवेश-परीक्षा और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूर्व चिकित्सा परीक्षा के आधार पर किया जायेगा।

बी. एस. सी. परिचर्या/पराचिकित्सीय पाठयक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा का संचालन भारतीय परिचर्या परिषद् और अन्य कानूनी निकायों के दिशानिर्देश के अनुसार छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा कराया जायेगा।

(29) विश्वविद्यालय से सम्बद्धता चाहने वाली संस्था में प्रबन्धक कोटे की सीट नहीं होगी।

(30) सम्बद्धता चाहने वाली संस्था इस आशय का एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगी कि छात्रों पर प्रभारित शुल्क सरकार द्वारा नियत मानकों के अनुसार है।

(31) यदि उपर्युक्त पात्रता मानदण्डों में से किसी में कमी है और या संस्था उपर्युक्त विनिर्दिष्ट निबन्धन और शर्तों को मानने में विफल रहती है तो कोई अग्रतर निरीक्षण नहीं किया जायेगा और आवेदन-पत्र पर अग्रतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(32) यदि यह पाया जाय कि संस्था अनुशासन, शैक्षिण पवित्रता और परिवेश बनाये रखने में विफल है और/या विनिर्दिष्ट शुल्क आदि से अधिक प्रभावित कर रही है तो सम्बद्धता किसी भी स्तर पर समाप्त की जा सकती है।

(33) प्राचार्य/निर्देशक और अध्यापक वर्ग के आवास के लिए, जहाँ तक परिस्थितियाँ अनुज्ञा देगी, महाविद्यालय, संस्था या छात्रों के आवास के लिए उपबन्धित स्थान में या उसके करीब सम्यक् उपबन्ध किया जायेगा।

(34) सम्बद्धता प्रदान किये जाने के पश्चात् प्रबन्धन, अध्यापक वर्ग में किये गये परिवर्तन और सम्बद्धता की शर्तों और निबन्धनों में किए गये परिवर्तन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को तत्काल सूचित किया जाएगा।

(35) यह कि सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अनिवार्य भविष्य निधि आदि से सम्बन्धित किसी योजना के प्रबन्ध तंत्र द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

(36) यह कि महाविद्यालय/संस्था किसी भी परीक्षा को जो उसे विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में सौंपी जाए, अनुशासित और व्यवस्थित रूप में संचालित करेगी और विश्वविद्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किए गये निर्देशों और नियमों का पालन करेगी। इसके अनुपालन में किसी विफलता के फलस्वरूप महाविद्यालय ऐसी अनुशासनिक कार्यवाही का भागी होगा जो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझी जाए जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे महाविद्यालय की सम्बद्धता के रद्द करने के प्रयोजन से सम्बन्धित कार्रवाई का प्रयोजन से सम्बन्धित कार्रवाई का प्रारम्भ किया जाना सम्मिलित है। परन्तु यह कि खण्ड 31,32,33 और 34 में अन्तर्विष्ट कोई बात राज्य सरकार द्वारा दिये गये आवेदन पत्र के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

प्रत्येक शासकीय निकाय का सविंधान यह प्रावधान करेगा कि :-

(क) महाविद्यालय/संस्था का प्राचार्य निदेशक शासकीय निकाय का पदेन सदस्य होगा।

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अध्यापको द्वारा सम्यक् रूप से प्रतिनिधित्व बनाये रखने की व्यवस्था करते हुए शासकीय निकाय में 25 प्रतिशत सदस्य, प्राचार्य/निदेशक को छोड़ कर अध्यापक होंगे।

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्राचार्य/निदेशक वर्ग छोड़कर, अध्यापक ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुसार से , तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे सदस्य हैं।

(घ) कुलपति वर्ग पूर्व अनुज्ञा के बिना उक्त संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(ड.) यदि इस सम्बन्ध में यह प्रश्न उठता है कि क्या किसी व्यक्ति का चयन सम्यक् रूप से किया गया है या क्या वह शासकीय निकाय का सदस्य या पदधारी बनने के लिए हकदार है या क्या प्रबन्धतन्त्र का गठन विधिव रूप से किया गया है तो कुलपति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(च) महाविद्यालय/संस्था से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह कुलपति द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के समक्ष या विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त निरीक्षण-पैनल के समक्ष महाविद्यालय/संस्था की आय और व्यय से सम्बन्धित सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करे जिसके अन्तर्गत उस संस्था/सोसाइटी/न्यास/मूल निकाय का लेखा भी है जिसके अधीन वह संचालित हो।

(छः) पूर्ववर्ती परिनियम में निर्दिष्ट विन्यास निधि से हुई आय संस्था के रख-रखाव के लिए उपलब्ध रहेगी।

टिप्पणी :–

(1) प्रस्ताव/सम्बद्धता से सम्बन्धित आवेदन पत्रों आदि को राज्य सरकार को उसके विचारार्थ और आदेशार्थ वापस लेने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(2) सम्बद्धता शुल्क (नया, नवीकरण/पुनराम्भ अतिरिक्त पाठ्यक्रम) का भुगतान विश्वविद्यालय के कुलसचिव के नाम से मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में किया जाएगा।

(3) सम्बद्धता शुल्क के साथ सम्बद्धता (नया, नवीकरण/पुनराम्भ/ अतिरिक्त पाठ्यक्रम के लिए नियत दिनांक के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार निम्नलिखित विलम्ब शुल्क के भुगतान पर ही किया जाएगा:-

(क) पूर्ववर्ती शैक्षिक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किए गये दिनांक के पश्चात् रियायती अवधि रू. 50,000/- के विलम्ब शुल्क के साथ 15 दिन की है।

(ख) पूर्ववर्ती शैक्षिक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किए गये 15 दिन के पश्चात् किन्तु 30 दिन के अपश्चात् विलम्ब शुल्क 75,000/- है। छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्ध महाविद्यालय निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगा :-

(क) प्रत्येक सम्बद्ध विश्वविद्यालय की एक सम्यक् रूप से गठित शासकीय निकाय होगी जो कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित 15 से अनधिक व्यक्तियों से बनी होगी जिसमें अन्य लोगों में से कम से कम तीन प्रतिनिधि शैक्षणिक कर्चचारियों में से होंगे, जिसमें अध्यादेशो द्वारा यथा उपबन्धित

महाविद्यालय/संस्था के प्राचार्य/निर्देशक छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के प्रतिनिधि होंगे :

परन्तु यह कि सरकार द्वारा अनुमोदित महाविद्यालय की एक सलाहकार समिति होगी जो 15 से अनधिक ऐसे सदस्यों से मिलकर बनी होगी जैसा सरकार अवधारित करें जिसमें से कम से कम तीन महाविद्यालय के अध्यापक होगें, जिनके अंतर्गत प्राचार्य और विश्वविद्यालय के दो प्रतिनिधि होंगे।

(ख) महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा विचरित परिनियमावली, अध्यादेश और विनियमावली का अनुपालन करेगा :

परन्तु यह और कि विद्यमान पाठ्यक्रम के लिए सम्बद्धतस का पुनरारम्भ और अनुवर्तन, पाठ्यक्रम के लिए सम्बद्धता का विस्तार विद्या परिषद् के सलाह से कार्य परिषद द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।

छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्यापकोंकी सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसा समय-समय पर इस निमित्त परिनियमों द्वारा विहित किये जाए।

प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरिक्षण कुलपति द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा सामान्यतः प्रत्येक वर्ष एक बार किया जाएगा कार्यपरिषद उसमें दी गई ऐसी रिपोर्ट और संस्तुतियों पर विचार करेगा।

यदि महाविद्यालय यथा संशोधित छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा 11 (8) के अनुसार सम्बद्धता की शर्तों के किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन करने में विफल रहता है तो विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता को पूर्णतः या अंशतः वापस लिया या उपान्तरित किया जा सकता है।

अध्याय – चौदह

दीक्षान्त समारोह

धारा 41 (त)	14.01	(1)	विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि, डिप्लोमा, और विद्या सम्बन्धी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करने के लिए वर्ष भर में एक बार और ऐसे समय पर जैसा कुलाधिपति अनुमोदित करें, एक दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जा सकता है।
		(2)	दीक्षान्त समारोह में छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 3 में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे व्यक्ति होंगे जिनमें विश्वविद्यालय का निगमित निकाय गठित हो।
		(3)	छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 3 में किये गये प्रावधान के अनुसार कुलाधिपति, कुलपति और तत्समय विश्वविद्यालय में इस रूप में पद धारण करने वाले कार्यपरिषद् और विद्यापरिषद् के सदस्य छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय के नाम से एक नियमित निकाय का गठन करेंगे।
		(4)	माननीय कुलाधिपति दीक्षान्त समारोह में सम्बोधन भाषण देने के लिए मुख्य अतिथि बनाये जाने वाले व्यक्ति के नाम का अनुमोदन करेंगे।
		(5)	माननीय कुलाधिपति ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के नामों का अनुमोदन करेंगे जिन्हे विज्ञान के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए डाक्टरेट की उपाधि प्रदान किया जाना है।

अध्याय – पन्द्रह

प्रकीर्ण

धारा	15.01	(1)	विश्वविद्यालय के चिकित्सालयों के आय का उपयोग विश्वविद्यालय के छात्रों, रोगियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों तथा विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए किया जायेगा और उसका अधिनियम की धारा 47(2) के उपबन्धों के अनुसार लेखा-परीक्षा किया जायेगा।
		(2)	उपर्युक्त परिनियमों के अधीन व्ययों की रिपोर्ट कार्यपरिषद को भेजी जायेगी।
धारा 41 (छ:)	15.02	(2)	विश्वविद्यालय निर्धारित उपबन्धों के अनुसार छात्रवृत्तियाँ, अधिछात्रवृत्तियाँ, पदक और अन्य पारितोषिक संस्थित कर सकता है और उन्हें प्रदान कर सकता है।

अध्याय – सोलह

भाग –1

विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी शर्तें

धारा 41 (थ)	16.01	इस अध्याय में विश्वविंद्यालय के अधिकारी, मुख्य अधीक्षक, अधीक्षक और उपअधीक्षक सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।
	16.02	विकल्प :- विश्वविद्यालय में पहले से कार्यरत कर्मचारियों के लिये यह विकल्प होगा कि वे अपनी पुरानी सेवानियमावली के अधीन कार्य करते रहें, यदि वे इस परिनियमावली के प्रकाशित होने के 15 दिन पूर्व एक लिखित अनुरोध-पत्र प्रस्तुत कर दें।

16.03 विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की निम्नलिखित सेवायें होगी जो निम्नलिखित समूहों के समक्ष प्रदर्शित श्रेणियों में वर्गीकृत होंगी :-

समूह क अधीनस्थ प्रशासनिक सेवायें

समूह ख
1- तकनीकी सेवायें श्रेणी दो
2- नर्सिंग सेवायें श्रेणी दो
3- फार्मासिस्ट सेवायें श्रेणी दो
4- सफाई सम्बन्धी सेवायें श्रेणी दो
5- लेखा-परीक्षा और लेखा सेवायें श्रेणी दो
6- दन्त विज्ञान श्रेणी दो

समूह ग
1- लिपिक वर्गीय सेवायें
2- नर्सिंग सेवायें श्रेणी तीन
3- फार्मासिस्ट सेवायें श्रेणी तीन
4- पैरामेडिकल सेवायें
5- अधीनस्थ प्रशासनिक सेवायें
6- तकनीकी सेवायें
7- सफाई सम्बन्धी सेवायें
8- लेखा-परीक्षा और लेखा सेवायें
9- दन्त सेवायें

समूह घ चतुर्थ वर्ग कर्मचारी सेवायें

परन्तु यह कि कार्य परिषद को राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आवश्यकतानुसार इस अध्याय में कर्मचारियों के किसी और सामान्य या विशेष संवर्ग को गठित करने की शक्ति होगी।

16.04 प्रत्येक समूह (16.03 में उल्लेखित) की सेवायें निम्नवत् होगी :

(एक) समूह -क
उप कुलसचिव
सहायक कुलसचिव
ज्येष्ठ मैट्रन
प्रभारी ऑफिसर (फार्मासिस्टस)
ज्येष्ठ जन सम्पर्क अधिकारी (ज्येष्ठतम)
ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी-सह-प्रशासनिक अधिकारी
ज्येष्ठ क्लीनिकल पैथोलॉजिस्ट
पूर्णकालिक एनेस्थेटिस्ट
ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी
आपात चिकित्सा अधिकारी
अधिशासी अभियन्ता सिविल/विद्युत बायो मेडिकल इंजीनियर
कम्प्यूटर सिस्टम ऑफिसर

(दो) समूह - ख
मैट्रन
प्रधान ट्यूटर
सहायक मैट्रन
प्रॉविज़नल नर्सिंग सर्विसेज ट्यूटर (पी. एन. एस. ट्यूटर)

ऑपरेशन थियेटर से सुपरवाइज़र
पब्लिक हेल्थ नर्स ट्यूटर (पी. एच. एन. ट्यूटर)
चीफ फार्मासिस्ट
जन सम्पर्क अधिकारी
प्रशासनिक अधिकारी
सहायक अभियन्ता सिविल / इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक / कम्प्यूटर/बायो मेडिकल
सफाई अधिकारी/ एम. ओ. सैनिटरी
लेखा-परीक्षा और लेखा अधिकारी
उप पुस्तकालयाध्यक्ष
डेन्टल डिसिप्लिन

(तीन) समूह - ग

आशुलिपिक प्रथम श्रेणी
आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी
सामाजिक कार्यकर्ता
स्टोर कीपर
इंक्वायरी क्लर्क
स्टीवार्ड
कार्यालय अधीक्षक
सहायक कार्यालय अधीक्षक
लेखाकार
बिल क्लर्क
क्रय अधिकारी
ज्येष्ठ लिपिक
कनिष्ठ लिपिक/रिकॉर्ड कीपर
लेखा लिपिक (रेजिडेन्ट हास्टल)
लेखाकार-सह-रोकड़िया
वार्ड टेक्नीशियन
स्वागत -सह-पंजीयन लिपिक
तकनीकी संवर्ग
व्यावसायिक पुनर्वास अधिकारी
व्यवसाय परामर्शदाता
भौतिक -चिकित्सक
व्यवसाय चिकित्सक
व्यायाम-सह-निरीक्षक-सह मनोविनोद
चिकित्सक मैसियर
कर्मशाला पर्यवेक्षक
चिकित्सा पर्यवेक्षक
कृत्रिमांग पर्यवेक्षक
आर्थोटिक सुपरवाइज़र
लेदर वर्क सुपरवाइज़र
वुडवर्क तकनीशियन

कृसिमांग मास्टर
ज्येष्ठ कृषिमांग
कृतिमां मैकेनिक
ब्रेव पैडर
ज्येष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन
प्रयोगशाला तकनीशियन
आडियोमेटॅरी तकनीशियन
ई. ई. जी. तकनीशियन
ई. के. जी. तकनीशियन
ई. सी. जी. तकनीशियन
ओ. टी. तकनीशियन
तकनीशियन सर्जरी
तकनीशियंन (कर्डियोवैसक्यूलर)
तकनीशियन (प्लास्टिक)
तकनीशियन (आर्थोपायडिक सर्जरी)
एक्सरे तकनीशियन
रेडियोग्राफर
डार्करूम सहायक
स्वास्थ्य परिदर्शक
बिजली तकनीशियन
यंत्र मेकैनिक
रेफरीजिरेटर मैकेनिक
मैकेनिक बिजली
मेकैनिक
तकनीशियन-सह-स्टोरकीपर
ड्राइवर
मेडिकल सो. वर्कर
ड्राफ्ट मैन
रेमेडियल जिमनास्ट
ज्येष्ट कृसिमांग
होजरी मेकैनिक आपरेटर
लेदर वर्कर
जूनियर ब्रैश मेकर
लुहार
टंकक
कुशल हेल्पर
फोटोग्राफर
डेन्टल डिसिप्लिन

(ख) नर्सिंग संवर्ग
सिस्टर
स्टाफ नर्स

(ग) फार्मासिस्ट संवर्ग
फार्मासिस्ट
(चार) समूह - घ
लैब अटेंडैट
दर्जी
हेड सफाई कर्मचारी
हेड सिक अटेंडैन्ट
हेड प्यून
बण्डल लिफ्टर
रिकार्ड ब्वाय
दफ्तरी
खित
प्यून
चौकीदार
फिटर
वेल्डर
रनर
केयर टेकर
प्लंबर
लिफ्ट मैन
आहार वितरक
टाइम कीपर
बावर्ची
धोबी
माली
महिला (सिक अटेडैन्ट)
सिक अटेडैन्ट
सुरक्षा वार्डन
नाई
क्लीनर
मेट
कहार
मजदूर
म्यूजियम अटेंडैन्ट
पेंटर
लुहार
बढ़ई
मोची
महिला सफाई कर्मचारी
सफाई कर्मचारी

भर्ती / पदोन्नति

धारा 20 (4) 16.05 भिन्न-भिन्न सेवाओं में भिन्न-भिन्न पदों पर भर्ती/पदोन्नति सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भर्ती बोर्ड/पदोन्नति समितियों की सिफारिश पर किया जायेगा, जिसका गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा :

(1) (एक) कुलसचिव या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति अध्यक्ष होगा।

(दो) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक विभागाध्यक्ष

(तीन) विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से अनुसूचित जाति का एक सदस्य और अन्य पिछड़ा वर्ग (अन्य पिछड़े वर्गों) का एक सदस्य, जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

(चार) तकनीकी सेवा की दशा में, सम्बन्धित शाखा का एक सदस्य, जो कुलसचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(पाँच) आरक्षण का रोस्टर परिनियम (1.05 और 1.06) के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की सभी प्रकार की नियुक्तियों में होगा और विधि के अधीन लागू होगा। प्रत्येक चयन इस आधार पर अविधिमान्य हो जायेगा कि चयन समिति का गठन समुचित रूप से नहीं किया गया था।

(छः) अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सम्बन्धित शिक्षणेत्तर कर्मचारियों या अधिकारियों की पदोन्नति में प्रत्येक स्तर पर विभागीय पदोन्नत समिति के माध्यम से पृथक- सूची द्वारा आरक्षण रहेगा।

(सात) विभागीय पदोन्नति समिति निम्नवत होगी-

कुलसचिव या उसका प्रतिनिधि- अध्यक्ष,

सम्बन्धित विभाग का विभागाध्यक्ष -. सदस्य

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से एक सदस्य और अन्य पिछड़े वर्गों से एक सदस्य, जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा

प्रत्येक स्तर पर कोटा या रिक्ति को भरने के लिए जब और जैसे ही आवश्यकता होगी, विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया जायेगा।

16.06 सेवा और सेवा में प्रत्येक श्रेणी के पदों की सदस्य संख्या उतनी होगी जैसा समय-समय पर कार्यपरिषद द्वारा अवधारित और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाय।

धारा 20 (4) और 41(थ) 16.07 नियुक्ति के लिए रिक्तियों का अवधारण:

कुलसचिव वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों का संख्या का अवधारण राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण सम्बन्धी विधि के अनुसार करेगा।

धारा : 17 (9), 25(1)(15) और 41(थ) 16.08 भर्ती और पदोन्नति के लिए पात्रता:

विभिन्न पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति के लिए आयु अर्हता और अनुभव ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा विहित है। तथापि आवश्यकता होने पर अधिमानी अर्हता अनुभवों और आयु में छूट विश्वविद्यालय

			की कार्यपरिषद द्वारा अवधारित की जा सकती है। परिनियम (1.06) के अधीन पृथक सूचना द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के सभी शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण होगा।
धारा 41 (थ)	16.09		भर्ती : सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां निम्नलिखित रीति में अधिसूचित की जाएंगी:-
		(क)	व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन जारी करके,
		(ख)	कार्यालय के सूचना पट पर सूचना चस्पा कराकर या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन दे कर, और
		(ग)	सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।
धारा 22 (41) और 41 (थ)	16.10		नियुक्ति के लिए भर्ती बोर्ड की संस्तुति के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन किये जाने के पश्चात्, कुलसचिव कार्यालय द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।
धारा 41 (थ)	16.11		पक्ष समर्थन : पद के विज्ञापन की शर्तों के अधीन अपेक्षित और पद या सेवा पर प्रयोज्य से भिन्न लिखित या मौखिक किसी सिफारिश पर विचार नहीं किया जाएगा। अपने अभ्यर्थन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का अभ्यर्थी का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।
धारा 41 (थ)	16.12		नियुक्तियाँ/पदोन्नति : कुलसचिव तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होगा। नियुक्ति प्राधिकारी उस क्रम में जिसमें व सरकारी आरक्षण नियमों के अधीन रोस्टर के अनुसार चयन समिति द्वारा तैयार की गई सुसंगत सूची में है, किन्तु पदोन्नति की दशा में, उस संवर्ग में, जिससे वे पदोन्नत किये जाय, रोस्टर के क्रम में, अभ्यर्थियों के नामों को लेकर नियुक्त करेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए शासनादेश के अनुसार पृथक पदोन्नति सूची तैयार की जायेगी और वह कार्यान्वित की जायेगी।
धारा 20 (4) 41 (थ)	16.13		परिवीक्षा:
		(1)	सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।
		(2)	नियुक्ति प्राविधाकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगें अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढाई जाय: परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि छः माह से अधिक और किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नहीं बढाई जायेगी।
		(3)	यदि परिवीक्षा अवधि या बढाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्त प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके

मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ किये जाने की अनुमति दे सकता है।

धारा 41 (थ) 15.14 **स्थायीकरण:** किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ी हुई परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जाएगा यदि -

(क) उसने विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो ;

(ख) उसने विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक कर लिया हो ;

(ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय ;

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये ;

(ङ.) कुलसचिव का यह समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है ;

(च) वह विश्वविद्यालय के चिकित्सा बोर्ड के माध्यम से सफल होकर पद के लिए चिकित्सीय रूप से उपयुक्त है।

नियुक्ति और पदोन्नति के लिए नियम

समूह ग और समूह घ के सभी कर्मचारियों की सेवायें विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित की गयी सम्बन्धित सेवा नियमावली द्वारा शासित होगी।

तथापि, जब तक सम्बन्धित नियमावली अन्तिम रूप से तैयार नहीं कर ली जाती है तब तक राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में प्रवृत्त तत्समान सेवा नियमावली लागू होगी।

विश्वविद्यालय के समूह घ के कर्मचारियों की समूह ग श्रेणी में सीधी भर्ती

सम्बन्धित समूह ग संवर्ग के सबसे अवर वेतन के 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत पदों को समूह घ के पात्र कर्मचारियों में से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय निम्नतम श्रेणी के लिपिक वर्गीय समूह 'ग' के पदों (पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियमावली, 2001 के अनुसार चयन प्रक्रिया माध्यम के माध्यम से भरा जायेगा। तथापि इस उपबन्ध की उपेक्षा कर दी जायेगी, यदि पद पूर्ण रूप से तकनीकी प्रकृति का है और पोषक समूह घ संवर्ग के पास आवश्यक न्यूनतम अर्हता और अनुभव नहीं है।

ज्येष्ठता

धारा 41 (थ)	16.15	(1)	ज्येष्ठता- किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्ति व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।
		(2)	पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में थी जिनमें से वे एक चयन में पदोन्नति हुए थे। कर्मचारियों की तैनाती के स्थान पर ध्यान न देते हुए सम्पूर्ण विश्वविद्यालय के लिए सम्बन्धित शाखा के पद के लिए एक ज्येष्ठता सूची होगी।
		(3)	यदि कोई व्यक्ति अपनी ज्येष्ठता के निर्धारण के सम्बन्ध में कुलसचिव के विनिश्चय से व्यथित हो तो ऐसे विनिश्चय के पारिचालन/सूचना या प्रकाशन से तीस दिन के भीतर कुलपति को अपील कर सकता है। कुलपति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

कोटिक्रम सूची

धारा 20 (4)	16.16	कुलसचिव का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह सेवाओं में प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारिवर्ग की कोटिक्रम सूची समय-समय पर तैयार और प्रदर्शित करे जिसमें नाम, शैक्षिक अर्हता, जन्मदिन, नियुक्ति का दिनांक, स्थायीकरण का दिनांक, धृत पद का नाम, चयन की रीति या भर्ती का स्रोत, वेतनमान और अभ्युक्ति इंगित होगी।

वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट

धारा 19 (7) 20 (4) और 41 (थ)	16.17	कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट नियमित और उचित रूप से अनुरक्षित की जायेगी और यह देखना कुलसचिव और समस्त विभागाध्यक्ष और अनुभाग अध्यक्ष का कर्तव्य होगा कि उनके नियंत्रण के अधीन सभी विभागों में उनके अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट उचित रूप से प्रदान और नियमित रूप से अनुरक्षित की जा रही है और प्रतिकूल प्रविष्ट के मामले में उसे सम्बन्धित कर्मचारी को उसके अन्तिम रूप दिए जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर संसूचित की जाएगी। कोई व्यक्ति जिसके विरूद्ध प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है, तीस दिन की अवधि के भीतर अगले उच्चतर प्राधिकारी को अपील कर सकता है और ऐसे उच्चतर प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।
धारा 41 (थ)	16.18	किसी भी सेवा के किसी भी कर्मचारी को उसकी नौकरी की प्रकृति और आवश्यकता के अनुसार विश्वविद्यालय के किसी विभाग/संस्थान, किसी अनुभाग या किसी कार्यालय में कार्य करना होगा और इस रूप में कार्य करते हुए कर्मचारी विभागाध्यक्ष या उस विभाग के प्रभारी के जिसमें कर्मचारी कार्य कर रहा है, प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा और यथास्थिति कुलसचिव सम्बन्धित विभागध्यक्ष/वित्त अधिकारी के अनुशासनिक नियंत्रण में होगा।

धारा 41 (थ)	16.19	सभी नियुक्तियाँ ऊपर विहित रीति से की जायेगी। तथापि आपातकालीन मामलों में, यथास्थिति, कुलसचिव या तो स्वयं या मुख्य अधीक्षक, वित्त अधिकारी या परीक्षा नियंत्रक की संस्तुति पर, कुलपति के अनुमोदन से पात्र व्यक्ति को तीन मास से अनधिक की अवधि के लिए नियुक्त कर सकता है और ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात् ऐसी नियुक्ति अपने आप ही समाप्त हो जाएगी जिसके लिए किसी लिखित आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ ऊपर यथा उल्लेखित शर्तों के विरूद्ध किन्हीं निबन्धन और शर्तों पर नियुक्त किसी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा कि वह विश्वविद्यालय की सेवा में अपने विनियमितीकरण या बने रहने के लिए दावा करें।
धारा 20 (4)	16.20	यथास्थिति, कुलसचिव या तो स्वयं मुख्य अधीक्षक, वित्त अधिकारी या परीक्षा नियंत्रक की संस्तुति पर, कुलसचिव के अनुमोदन से संविदा के आधार पर किसी पद पर या स्थायी या अस्थायी प्रकृति के किसी कार्य को करने के लिए केवल छः मास की अवधि के लिए किसी पात्र व्यक्ति को रख सकता है और इस प्रकार रखे हुए किसी व्यक्ति का अपने विनियमितीकरण के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
धारा 41 (थ)	16.21	कर्मचारी अपनी तैनाती के अनुसार कुलसचिव के अनुशासनिक/सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष की रिपोर्ट पर प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा। कुलसचिव उसके अधीन कार्यरत किसी कर्मचारी के विरूद्ध दुराचरण, अनधीनता, दुर्व्यवहार या जानबूझकर, उपेक्षा या अवज्ञा के किसी कार्य के लिए अनुशासनिक कार्रवाई कर सकता है।
धारा 41 (थ)		**अधिवर्षिता / सेवानिवृत्ति** (क) इस परिनियमावली में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, प्रत्येक कर्मचारी उस मास के जिसमें वह 60 वर्ष की आयु पूर्ण करेगा, अन्तिम दिन अपराह्न में सेवा निवृत्त होगा : प्रतिबन्ध यह है कि कोई कर्मचारी, जिसका जन्मदिन मास का प्रथम दिन हो पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन अपराह्न में 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा। (ख) 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के पश्चात किसी भी कर्मचारी को सेवा विस्तार स्वीकृत नहीं किया जाएगा। (ग) इस परिनियमावली में निहित किसी बात के विपरीत होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह किसी कर्मचारी को, जिसने 50 वर्ष की आयु करी ली है, लिखित में तीन मास से अन्यून का नोटिस देकर या ऐसे नोटिस के बदले में तीन मास का वेतन और भत्ते देकर सेवा निवृत्त कर दे यदि उसकी यह राय हो कि ऐसी कार्रवाई लोकहित में आवश्यक है।

(घ) कोई कर्मचारी, जिसने 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में तीन मास से अन्यून की नोटिस देकर सेवानिवृत्त हो सकता है। नियुक्त प्राधिकारी को आवश्यक सूचना देने के पश्चात् ऐसा कर्मचारी सम्बन्धित प्राधिकारी की विनिर्दिष्ट अनुमति के सिवाय सूचना की अपनी नोटिस को वापस लेने के लिए प्रवारित हो जाएगा।

त्यागपत्र

धारा 41 (थ) 16.23 कोई कर्मचारी अपने त्याग-पत्र के बारे में एक मास की सूचना देकर सेवा से त्यगा-पत्र दे सकता है। उसके त्यागपत्र के स्वीकार हो जाने के पश्चात् उसे ऐसे नोटिस को वापस लेने से प्रवारित कर दिया जाएगा। सेवा से त्याग-पत्र देने वाला कर्मचारी किसी सेवानिवृत्ति सम्बन्धी लाभों का हकदार नहीं होगा सिवाय उसके भविष्य निधि लेखा या छुट्टी नकदीकरण में अर्जित किया हो।

छुट्टी

धारा 41 (थ) 16.24

(क) समय-समय पर सरकारी सेवकों पर लागू छुट्टी नियम विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(ख) कर्मचारी का आवेदन यथास्थिति, कुलसचिव, मुख्य अधीक्षक या वित्त अधिकारी को विभागाध्यक्ष विशेष रूप से संस्तुत करते हुए अग्रसारित किया जाएगा और कुलसचिव, मुख्य अधीक्षक या वित्त अधिकारी या परीक्षा नियंत्रक, जिसके अधीन कर्मचारी कार्य कर रहा है, उसे स्वीकृत करने के लिए प्राविधाकारी होगा।

(ग) छुट्टी से सम्बन्धित सभी अभिलेख कुल सचिव द्वारा रखें जाएंगे।

भाग – 2

अनुशासन और अपील

धारा 41 (थ) 16.25 **शास्तियाँ** : निम्नलिखित शास्तियाँ मान्य और पर्याप्त कारणों से कर्मचारियों पर आरोपित की जा सकती हैं और इसमें पश्चात् उपबन्धित है :

(क) लघु शास्तियाँ

(एक) परिनिन्दा

(दो) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन वृद्धि को रोकना

(तीन) दक्षता रोक को पार न करना

(चार) विश्वविद्यालय को उपेक्षा या आदेश के उल्लघंन से हुई किसी आर्थिक हानि को पूर्ण या आंशिक रूप से वेतन से वसूल करना,

(पांच) तृतीय या चतुर्थ श्रेणी पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के मामले में अर्थदण्ड:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे अर्थदण्ड की धनराशि की वसूली किसी भी स्थिति में कर्मचारी के एक मास के वेतन के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ख) वृहद् शास्ति

(एक) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि को रोकना।

(दो) किसी निम्नतर पद या वेतनमान या समयमान वेतनमान में निम्न प्रक्रम पर अवनत करना।

(तीन) सेवा से हटाना जो उसे भविष्य में सेवायोजन से अनर्ह न करें।

(चार) सेवा से पदच्युत करना जो उसे भविष्य मे सेवा योजन से अनर्ह कर दे।

स्पष्टीकरण :– इन उपबन्धों के अन्तर्गत निम्नलिखित को शास्ति नहीं माना जायेगा, अर्थात् :-

(एक) किसी विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने में विफलता के लिए या उसमें बैठने में विफलता के लिये या सेवा को शासित करने वाली शर्तों या आदेशों के अनुसार किसी अन्य शर्त को पूरा करने में विफलता के लिए किसी कर्मचारी की वेतन वृद्धियों को रोकना।

(दो) दक्षतारोक पार करने के लिए किसी कर्मचारी को उपयुक्त न पाये जाने के कारण समयमान वेतनमान में उसकी दक्षतारोक को पार न करना।

(तीन) नियुक्ति के निबन्धों या परिनियम और परिवीक्षा को शासित करने वाले आदेश के अनुसार परिवीक्षा अवधि के दौरान या समाप्ति पर सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति की पदावनति और

(चार) सेवा के निबन्धनों या परिनियम और परिवीक्षा को शासित करने वाले आदेशों के अनुसार परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति को सेवा से हटाना।

निलम्बन, निलम्बन अवधि का वेतन और भत्ते आदि, जाँच रिपोर्ट पर कार्रवाई, लघु एवं वृहद् शास्तियाँ अधिरोपित करने, अपील आदि से सम्बन्धित अन्य नियम, जो विभिन्न श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों पर लागू हैं, यथावश्यक परिवर्तन सहित, छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर लागू होंगे।

16.26 समूह 'ग' और समूह 'घ' के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का निस्तारण, जब तक कि विधि की सम्यक् प्रक्रिया के अधीन सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा अन्तिम रूप से कोई नई नियमावली नहीं बना ली जाती है, तब तक उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन और अपील) नियमावली, 1999 में दिये गए उपबंधों के अनुसार किया जायेगा।

आज्ञा से,

कपिल देव,

प्रमुख सचिव।

परिशिष्ट 'क'
(परिनियम 4.11 देखिये)
आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन
भाग 1
सामान्य

1- जब तक कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किसी निर्वाचन के प्रति निर्देश से विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल न हो :

(i) "अभ्यर्थी" का तात्पर्य निर्वाचन लड़ने के लिये सम्यक रूप से अर्ह ऐसे व्यक्ति से है जो सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट किया गया हो,

(ii) "अनवरत अभ्यर्थी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो न तो निर्वाचित हुआ हो और न किसी समय विशेष पर मतदान से अपवर्जित हुआ हो,

(iii) "निर्वाचक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निर्वाचन में अपना मत देने के लिये सम्यक रूप से अर्ह हो,

(iv) "निःशेष पत्र" का तात्पर्य ऐसे मत-पत्र से है जिस पर किसी अनवरत अभ्यर्थी के लिए अग्रतर अधिमान अभिलिखित न हो, परन्तु कोई पत्र तब भी निःशेषित समझा जायेगा : यदि-

(क) उसमें दो अथवा अधिक अभ्यर्थियों के नाम, चाहे वे अनवरत हों या न हों उसी अंक से चिन्हित हों और उनका स्थान अधिमान क्रम में अगला हो, या

(ख) अधिमान-क्रम में अगले अभ्यर्थी का नाम चाहे वह अनवरत हों या ना हो-

(1) ऐसे अंक से चिन्हित हों जो मतपत्र में किसी अन्य अंक के पश्चात क्रमानुसार न हो,

या

(2) दो अथवा अधिक अंकों से चिन्हित हो।

(v) "प्रथम अधिमान मत" का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी के पक्ष में मत से है जिसके नाम के सामने मत-पत्र में अंक 1 लिखा हो, "द्वितीय अधिमान-मत" का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी के पक्ष में मत से है जिसके नाम के सामने अंक 2 लिखा हो, "तृतीय अधिमान मत" का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी के पक्ष में मत से है जिसके नाम के सामने अंक 3 लिखा हो और इसी प्रकार क्रम में आगे लिखा हो,

(vi) किसी अभ्यर्थी के संबंध में "मूल मत का तात्पर्य ऐसे मत-पत्र द्वारा प्राप्त मत से है जिस पर उस अभ्यर्थी के लिये प्रथम अधिमान अभिलिखित हो,

(vii) "कोटा का तात्पर्य मतों के उस न्यूनतम मूल्यांकन से है जो किसी अभ्यर्थी से निर्वाचित होने के लिए पर्याप्त हों,

(viii) "आधिक्यत" का तात्पर्य उस संख्या से है जितने से कि किसी अभ्यर्थी के मूल और संक्रमित मतों का मूल्यांक कोटा से अधिक हो,

(ix) किसी अभ्यर्थी के संबंध में, "संक्रमित मत" का तात्पर्य ऐसे मत- पत्र द्वारा प्राप्त मत से है जिस पर उस अभ्यर्थी के लिये द्वितीय अथवा उसके बाद वाला कोई अधिमान लिखा हो और जिसका मूल्यांकन भाग उस अभ्यर्थी के पक्ष में जोड़ा जाय,

(x) पद "अनि:शेष पत्र" का तात्पर्य ऐसे मत-पत्र से है जिस पर किसी अनवरत अभ्यर्थी के लिये अग्रतर अधिमान अभिलिखित हों।

2- कुल सचिव रिटर्निंग आफिसर होगा जो सभी निर्वाचनों के संचालन के लिये उत्तरदायी होगा।

3- कुलपति-

(i) प्रत्येक निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रमों के लिये परिनियम के उपबन्धों के अनुरूप दिनांक नियत करेगा तथा इसे आपातिक स्थिति में इन दिनांको में परिवर्तन करने की, सिवाय उस दशा के जब ऐसे परिवर्तन से परिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन होता हो, शक्ति होगी।

(ii) सन्देह की दशा में, किसी अभिलिखित मत की वैधता अथवा अवैधता का विनिश्चय करेगा।

4- सभा के रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का निर्वाचन (तथा अन्य ऐसे निर्वाचन जिसके विषय में कुलपति सुविधा तथा मितव्ययिता के कारण निदेश दे) डाक द्वारा मत-पत्र से किया जायेगा। अन्य निर्वाचन संबंधित प्राधिकारियों अथवा निकायों के अधिवेशनों में किये जायेंगे।

5- मत-पत्र निम्नलिखित प्रपत्र में होगा :-

विश्वविद्यालय का नाम

निर्वाचन क्षेत्र द्वारा निर्वाचन (अभ्यर्थियों के नाम, तथा अधिमान क्रम 1,2,3 इत्यादि अंकों द्वारा रिक्त स्थान में इंगित किये जायेंगे)

.....

.....

.....

6- निर्वाचक अपना मत देने में-

(i) अपने मत-पत्र पर अंक 1 उस अभ्यर्थी के नाम के सामने लिखेगा जिसकों कि वह अपना मत दे, और

(ii) इसके अतिरिक्त जितने अन्य अभ्यर्थी को वह चाहे, अपनी पसन्द या अधिमानता को उस अभ्यर्थियों के नाम के सामने क्रमशः 2,3,4 तथा इसी प्रकार अविछिन्न अंकों द्वारा लिखकर व्यक्त कर सकता है।

7- वह मत-पत्र अविधिमान्य होगा -

(i) जिस पर वह अंक 1 न लिखा हो, या

(ii) जिस पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के आगे अंक 1 लिखा हो, या

(iii) जिस पर अंक 1 तथा कोई अंक एक ही अभ्यर्थी के नाम के आगे लिखा हो, या

(iv) जिस पर अंक 1 ऐसा लिखा हो जिससे यह सन्देह हो कि वह किस अभ्यर्थी के लिए अभिप्रेत है, या

(v) मत-पत्र निर्वाचन की दशा में जिस पर कोई ऐसा चिन्ह बना हों जिससे कि मतदाता बाद में पहिचाना जा सके, या

(vi) जिस पर मतदाता के अधिमान को व्यक्त करने वाला अंक मिटाया गया हो या उसमें परिवर्तन किया गया हो, या

(vii) जो उक्त प्रयोजनों के लिये व्यवस्थित प्रपत्र में न हो।

भाग – 2

डाक मत–पत्र द्वारा संचालित निर्वाचन

8- डाक मत-पत्र द्वारा भरी जाने वाले रिक्तियां होने के कम से कम तीन माह पहले कुल सचिव प्रत्येक अर्ह मतदाता के पास उसके रजिस्ट्रीकृत पते पर, रजिस्ट्रीकृत डाक से नोटिस भिजवायेगा, जिसमें उसने नोटिस

भेजे जाने के पन्द्रह दिन के भीतर नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने को कहा जायेगा। नोटिस के साथ निर्वाचकों की एक सूची होगी।

9- कुल सचिव को, मतदाताओं की सूची की प्रत्येक ऐसी अशुद्धि तथा लोप को, जो उसकी जानकारी में लाया जाये, ठीक करने की शक्ति होगी। यदि किसी व्यक्ति का नाम सूची से निकाल दिया जाय तो उसके मत की गणना नहीं की जायेगी, भले ही उसे मत-पत्र मिल गया हो और उसने अपना मत दे दिया हो, और एक प्रमाण पत्र कि ऐसा किया गया है, कुलसचिव तथा निर्वाचन तैयार करने में उससे सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा, यदि कोई हो, अभिलिखित किया जायेगा।

10- प्रत्येक निर्वाचक को भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनधिक अभ्यर्थियों का नाम - निर्देशन करने का विकल्प होगा।

11- प्रत्येक नाम-निर्देशन पत्र पर प्रस्तावक द्वारा जो स्वयं निर्वाचक होगा, हस्ताक्षर किया जायेगा और उसके साथ निर्वाचन के लिये नाम- निर्दिष्ट अभ्यर्थी की सहमति होगी जो या तो लिखित होगी या नाम-निर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा की गयी होगी। उसमें नाम निर्देशन के समर्थकों के रूप में अन्य निर्वाचकों के हस्ताक्षर हो सकते हैं। किन्तु कोई भी अभ्यर्थी किसी ऐसे नाम-निर्देशन-पत्र पर, जिसमें उसका नाम अभ्यर्थी के रूप में लिखा हो, प्रस्तावक या अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर नहीं करेगा।

12- नाम-निर्देशन-पत्र नोटिस में उल्लिखित समय के भीतर कुलसचिव को बन्द लिफाफे में या तो स्वयं प्रस्ताव या किसी ऐसे निर्वाचक द्वारा दिया जायेगा, जो नाम निर्देशन का समर्थन करता हो या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जायेगा।

13- कोई अभ्यर्थी निर्वाचन से अपना नाम वापस लेने की लिखित सूचना, जिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे और जो किसी वैतनिक मजिस्ट्रेट, राजपत्रित अधिकारी या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अनुप्रमाणित होगा, कुलसचिव को इस प्रकार भेजकर कि वह नाम-निर्देशन की प्राप्ति के लिये अन्तिम दिन के रूप में निश्चित दिन तथा समय के पूर्व पहुंच जाये, निर्वाचन से अपना नाम वापस ले सकता है अनुप्रमाणन पर संबंधित अधिकारी की मुहर लगी होनी चाहिये।

14- कुलसचिव नाम-निर्देशन पत्रों के लिफाफों को खोलने का स्थान, दिनांक और समय अधिसूचित करेगा। ऐसे अभ्यर्थी या निर्वाचक जो उपस्थित होना चाहे, उस अवसर पर उपस्थित हो सकते है।

15- कुलसचिव विधि मान्य नाम- निर्देशनों की एक सूची तैयार करेगा। यदि कोई नाम- निर्देशन पत्र कुलसचिव द्वारा अस्वीकृत किया जाये तो वह अस्वीकृत करने के कारणों की सूचना अभ्यर्थी को दो दिन के भीतर देगा। यह अभ्यर्थी पर निर्भर होगा कि वह ऐसी संसूचना की प्राप्ति के तीन दिन के भीतर आवेदन पत्र भेजे कि मामला कुलपति को निर्दिष्ट किया जाय। तत्पश्चात वह मामला कुलपति को निर्दिष्ट किया जायेगा। जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

16- यदि सम्यक् रूप से नाम-निर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से न हो तो कुलसचिव उन्हें निर्वाचित घोषित कर देगा यदि कोई स्थान भरने से रह जाय तो उसे भरने के लिये पूर्वोक्त रीति से नया निर्वाचन किया जायेगा और ऐसा निर्वाचन सामान्य निर्वाचन का भाग समझा जायेगा।

17- यदि सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक हो तो निर्वाचन किया जायेगा।

18- कुलसचिव संवीक्षा पूरी होने के 15 दिन के भीतर प्रत्येक निर्वाचक को रजिस्ट्रीकृत डाक से उसके रजिस्ट्रीकृत पते पर एक मत-पत्र के साथ लिफाफा भेजेगा जिस पर केवल निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखा होगा और एक बड़ा लिफाफा भी भेजेगा जिसके बाई ओर निर्वाचन नामावली में निर्वाचक की संख्या निर्वाचन क्षेत्र का नाम, और निर्वाचन नामावली में निर्वाचक की संख्या निर्वाचक क्षेत्र का नाम, और दाहिनी ओर विश्वविद्यालय के कुलसचिव का पता लिखा अथवा छपा होगा। कुलसचिव अभिज्ञान का एक प्रमाण पत्र भी संलग्न करेगा।

19- (i) निर्वाचक अभिज्ञान के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और उसे निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी सम्यक रूप से अनुप्रमाणित करायेगा :-

(क) तत्समय भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलसचिव,

(ख) किसी ऐसे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय का प्राचार्य अथवा उस विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग का अध्यक्ष,

(ग) सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी।

(ii) अनुप्रमाणक अधिकारी अपने पूर्ण हस्ताक्षर और अपनी मुहर से अनुप्रमाणित करेगा।

(iii) निर्वाचक मत-पत्र को, बिना अपने नाम अथवा हस्ताक्षर के, सम्यक रूप से भरकर छोटे लिफाफे में बंद करेगा, और तब उसे सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और अनुप्रमाणित अभिज्ञान के प्रमाण पत्र के साथ बड़े लिफाफे में बंद कर देगा और उसे सम्यक रूप से मुहर बंद करके या तो रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा कुलसचिव के पास भेज देगा या उन्हें स्वयं देगा।

20- मत-पत्र कुलसचिव के पास निश्चित समय और दिनांक तक अवश्य पहुंच जाना चाहिए। यदि नियत समय और दिनांक के पश्चात प्राप्त हो तो वह उसे अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

21- यदि दो या उससे अधिक मत - पत्र एक ही लिफाफे में भेजे जायं तो उसकी गणना नहीं की जायेगी।

22- कोई मतदाता जिसे अपना मत-पत्र तथा अन्य संबंधित पत्रादि प्राप्त न हुये हों अथवा जिससे वे खो गये हों अथवा जिसके पत्रादि कुलसचिव को वापस किये जाने के पूर्व अनवधानतावश विकृत हो गये हों, इस आशय की स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र कुलसचिव को भेजकर उनसे प्राप्त न हुये, खो गये अथवा विकृत पत्राति के स्थान पर पत्रादि की दूसरी प्रति भेजने का अनुरोध कर सकता है। कुलसचिव यदि उसका समाधान हो जाये, "द्वितीय प्रति" अंकित करके, दूसरी प्रति जारी कर सकता है।

23- कुलसचिव मत-पत्रों को उसकी संवीक्षा के लिये निश्चित दिनांक और समय तक मुहर बंद तथा बिना खोले सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

24- संवीक्षा के दिनांक, समय तथा स्थान की सम्यक् सूचना कुलसचिव द्वारा सभी अभ्यर्थियों को दी जायेगी जिन्हें संविक्षा के समय उपस्थित होने का अधिकार होगा,

परन्तु किसी अभ्यर्थी को किसी मत पत्र का निरीक्षण करने की मांग करने का हक न होगा।

25- कुलसचिव को, यदि आवश्यक हो, ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा सहायता दी जायेगी, जिन्हें कुलपति संवीक्षा कार्य में सहायता देने के लिये नियुक्त करें।

26- नियत दिनांक समय तथा स्थान पर कुलसचिव मत-पत्रों के लिफाफे खोलेगा तथा उनकी संवीक्षा करेगा और जो विधिमान्य न हों उन्हें अलग कर देगा।

27- विधि मान्य मत- पत्रों को छांटकर उनकी पार्सल बनायी जायेगी। एक पार्सल में वे समस्त मत- पत्र होंगे जिनमें किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिये प्रथम अधिमान अभिलिखित हो।

28- इस परिनियम द्वारा विहित प्रकिया को सुगम बनाने के प्रयोजन से प्रत्येक मत-पत्र का मूल्यांकन एक सौ समझा जायेगा।

29- परिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये कुलसचिव:

(i) सभी भिन्नो की उपेक्षा करेगा।

(iI) निर्वाचित हो चुके अथवा मतदान से अपविर्जित अभ्यर्थियों के लिये अभिलिखित सभी अधिमानों पर ध्यान न देगा।

30- कुलसचिव तब समस्त पार्सलों के मत-पत्रों के मूल्यांकन का योग निकालेगा। उस योग को ऐसी संख्या से भाग देगा जो कि भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से एक अधिक हो, तथा भागफल में एक जोड़ेगा। इस प्रकार प्राप्त संख्या 'कोटा' होगी।

31- यदि किसी समय उतनी संख्या में अभ्यर्थी कोटा प्राप्त कर लें जितने कि निर्वाचित होने है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को निर्वाचित समझा जायेगा और आगे कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

32- (i) प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी जिसके पार्सल का मूल्यांकन प्रथम अधिमान गिनने पर कोटा के बराबर अथवा उससे अधिक हो, निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा।

(iI) यदि किसी ऐसे पार्सल में मत-पत्रों का मूल्यांक कोटा के बराबर हो तो वे मत-पत्र अन्तिम रूप से बरते गये के रूप में अलग रख दिये जायेंगे।

(iii) यदि किसी ऐसे पार्सल में मत-पत्रों का मूल्यांक कोटा से अधिक होता आधिक्य उन अनवरत अभ्यर्थियों को इस परिनियम में आगे दी हुयी रीति से संक्रमित कर दिया जाएगा जो कि मत पत्रों में निर्वाचक के अधिमान क्रम में निकटतम अनुगामी के रूप में इंगित हो।

33- (i) यदि उपर्युक्त परिनियम द्वारा विहित किसी प्रयोग के फलस्वरूप कभी किसी अभ्यर्थी को कुछ आधिक्य प्राप्त हो तो वह आधिक्य इस परिनियम के उपबन्धों के अनुसार संक्रमित किया जाएगा।

(ii) यदि एक से अधिक अभ्यर्थी को आधिक्य प्राप्त हो, तो अधिकतम आधिक्य पहले बरता जाएगा तथा परिमाण के न्युनतम क्रम के अनुसार दूसरों से बरता जाएगा, परन्तु मतों की प्रथम मणना में उभ्दूत प्रत्येक आधिक्य दूसरी गणना में उभ्दूत आधिक्य से पहले बरता जाएगा और सही क्रम में आगे भी चलेगा।

(iii) यदि दो अथवा उससे अधिक आधिक्य बराबर हों तो कुलसचिव उपर्युक्त खण्ड (ii) में विहित शर्तों के अनुसार यह विनिश्चय करेगा कि किसके सम्बन्ध में पहले बरता जाए।

(iv) (क) यदि किसी अभ्यर्थी का संक्रमित किया जाने वाला आधिक्य केवल मूलमतों से उद्भूत हो, तो कुलसचिव उस अभ्यर्थी के, जिसका कि आधिक्य संक्रमित किया जाने वाला हो, पार्सल के सब मत-पत्रों की जांच करेगा और अनि:शेष पत्रों को उनमें अभिलिखित निकटतम अनुगामी अधिमानों के अनुसार उप पार्सलों में विभाजित करेगा। वह नि:शेष पत्रों का भी एक पृथक उप-पार्सल बनायेगा।

(ख) वह प्रत्येक उप-पार्सल के मत-पत्रों का तथा अनि:शेष मत पत्रों का मूल्यांक अभिनिश्चित करेगा।

(ग) यदि किसी अनि:शेष मत पत्रों का मूल्यांक आधिक्य के बराबर अथवा उससे कम हो तो सब अनि:शेष मत-पत्रों को उसके मूल्यांक पर, जिस पर कि वे उस अभ्यर्थी को प्राप्त हुये थे, जिसका आधिक्य संक्रामित किया जा रहा हों, संक्रमित होगा।

(घ) यदि अनि:शेष मत-पत्रों का मूल्यांक आधिक्य से अधिक हो तो वह अनि:शेष पत्रों के उप-पार्सलों का संक्रमण करेगा और वह मूल्यांक जिस पर प्रत्येक मत-पत्र संक्रमित किया जाएगा, आधिक्य को अनि:शेष पत्रों की कुल संख्या से विभाजित करके अभिनिश्चिय किया जाएगा।

(v) यदि किसी अभ्यर्थी का संक्रमित किया जाने वाला आधिक्य संक्रमित तथा मूलमतों से उद्भूत हुआ हो तो कुलसचिव अभ्यर्थी की सबसे अन्त में संक्रमित उप पार्सल के समस्त मत-पत्रों की पुनः जांच करेगा तथा अनि:शेष पत्रों को उन पर अभिलिखित अनुगामी अधिमानों के अनुसार उप पार्सलों में विभाजित करेगा। तदुपरान्त वह उप पार्सलों से उस रीति से बरतेगा जैसी कि पूर्वगामी अन्तिम उपखण्ड में निर्दिष्ट उप पार्सलों के सम्बन्ध में व्यवस्थित है।

(vi) प्रत्येक अभ्यर्थी को संक्रमित मत-पत्र ऐसे अभ्यर्थी के पहले के ही मत-पत्रों में उप पार्सल के रूप में मिला दिये जायेगें।

(vii) निर्वाचित अभ्यर्थी के पार्सल अथवा उप पार्सलों के वे सब मत-पत्र जो इस खण्ड के अधीन संक्रमित न किये गये हों, अन्तिम रूप से बरते गये के रूप में अलग से रख दिये जायेगें।

34 (i) यदि उपर्युक्त निदेशों के अनुसार सब आधिक्यों के संक्रमित कर दिये जाने के पश्चात अपेक्षित संख्या से कम अभ्यर्थी निर्वाचित हुये हों तो कुलसचिव मतदान में निम्नतम अभ्यर्थी को मतदान से अपवर्जित कर देगा और उसके अनि:शेष पत्रों को अनवरत अभ्यर्थियों में उन अनुगामी अधिमानों के अनुसार वितरित कर देगा जो उन पर अभिलिखित हों। कोई नि:शेष पत्र अन्तिम रूप से बरते गये के रूप में अलग रख दिया जाएगा।

(ii) फिर उन पत्रों को, जिनमें अपवर्जित अभ्यर्थी का मूलमत अन्तर्विष्ट हो सर्वप्रथम संक्रमित किया जाएगा, प्रत्येक मत-पत्र का संक्रमण मूल्यांक एक सौ होगा।

(iii) फिर उन पत्रों को, जिनमें अपवर्जित अभ्यर्थी के संक्रमित मत हों, संक्रमण के उसी क्रम से संक्रमित किया जाएगा जिस क्रम में और जिस मूल्यांक पर उसे प्राप्त हुये हैं।

(iv) ऐसे प्रत्येक संक्रमण पृथक संक्रमण समझा जाएगा।

(v) मतदान में एक के बाद दूसरे निम्नतम अभ्यर्थियों के अपवर्जन पर इस खण्ड द्वारा निदेशत प्रक्रिया तब तक दुहराई जाएगी जब तक कि अन्तिम रिक्ति की पूर्ति किसी अभ्यर्थी के कोटा प्राप्त कर लेने पर निर्वाचन द्वारा अथवा आगे के उपबन्धों के अनुसार न हो जाए।

35- यदि मत पत्रों के संक्रमण के फलस्वरूप अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों का मूल्यांक कोटा के बराबर अथवा उससे अधिक हो जाये तो संक्रमण की कार्यवाही पूरी की जाएगी, किन्तु अग्रतर कोई मत-पत्र उसे संक्रमित नहीं किया जाएगा।

36 (i) यदि उक्त खण्ड के अधीन किसी संक्रमण के पूरा होने के पश्चात किसी अभ्यर्थी के मतों का मूल्यांक कोटा के बराबर अथवा उससे अधिक हो जाए तो उसे निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

(ii) यदि किसी ऐसे अभ्यर्थी के मतों का मूल्यांक कोटा के बराबर हो जाए तो सभी मत-पत्र जिन पर ऐसे मत अभिलिखत हों, अन्तिम रूप से बरते गये के रूप में अलग रख दिये जाएंगे।

(ii) यदि किसी ऐसे अभ्यर्थी के मत-पत्रों का मूल्यांक कोटा से अधिक हो जाये तो तदुपरान्त किसी अन्य अभ्यर्थी को अपविर्जित करने के पूर्व उसका आधिक्य एतद् पूर्व व्यवस्थित रीति से वितरित कर दिया जायेगा।

37- (i) जब अनवतर अभ्यर्थियों की संख्या घट कर आपूर्ति रिक्त स्थानों की संख्या के बराबर रह जाए, तो अनवरत अभ्यर्थियों को निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

(ii) जब केवल एक ही रिक्त स्थान अपूर्त रह जाए और किसी अनवरत अभ्यर्थी के मत-पत्रों के मूल्यांक अन्य अनवरत अभ्यर्थियों के सभी मतों के मूल्यांक के पूर्ण योग तथा असंक्रमित आधिक्य से अधिक हो जाए तो वह अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

(iii) जब केवल एक रिक्त अपूर्त रह जाए और केवल दो अनवरत अभ्यर्थी हों और उन दोनों अभ्यर्थियों में से प्रत्येक के मतों का मूल्यांक एक बराबर हो और संक्रमण के योग्य कोई आधिक्य न रह जाए तो अगले खण्ड के अधीन एक अभ्यर्थी को अपवर्जित तथा दूसरे को निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

38- जब कभी एक से आधिक्य वितरण के लिये हों, और दो या उससे अधिक आधिक्य बराबर हों अथवा यदि किसी समय किसी अभ्यर्थी को अपवर्जित करना आवश्यक हो जाये और दो या उससे अधिक अभ्यर्थी मतदान में निम्नतम हों और उनके मत-पत्रों का मूल्यांक बराबर हो तो प्रत्येक अभ्यर्थी के मूल मतों पर ध्यान दिया जायेगा, और जिस अभ्यर्थी के सबसे कम मूल मत हों, तो, यथास्थिति, उसका आधिक्य पहले वितरित किया जाएगा अथवा उसको पहले अपवर्जित किया जाएगा। यदि उनके मूल मत पत्रों के बराबर हों तो कुलसचिव पर्ची डालकर यह निश्यच करेगा कि किस अभ्यर्थी का आधिक्य वितरित किया जाए अथवा किसको अपवर्जित किया जाए।

39- पुर्नगणना यदि कुलसचिव पूर्वतन गणना की शुद्धता के विषय में संतुष्ट न हो तो वह या तो स्वतः या किसी अभ्यर्थी के अनुरोध पर मतों की पुर्नगणना एक या उससे अधिक बार करा सकता है।

परन्तु यहाँ दी गयी किसी बात से कुलसचिव के लिये ये बाध्यकर नहीं होगा, कि वह उन्हीं मतों की एक से अधिक बार पुनर्गणना कराये।

40- संवीक्षा पूरी हो जाने के पश्चात्, कुलसचिव निर्वाचन परिणाम की रिपोर्ट कुलपति को तुरन्त देगा।

41- **कुलसचिव नाम-** निर्देशन पत्र तथा मत-पत्रों को मुहरबन्द पैकेट में रखेगा, जिन्हें एक वर्ष की अवधि तक सुरक्षित रखा जाएगा।

भाग – 3
अधिवेशनों में निर्वाचनों का किया जाना

42- विश्वविद्यालय प्राधिकारी के किसी अधिवेशन में आयोजित किसी निर्वाचन की स्थिति में दावा तथा आपत्तियां आमंत्रित करने के प्रयोजन से पहले से निर्वाचक नामावली को प्रकाशित करना अथवा नाम-निर्देशन में आमंत्रित करना आवश्यक नहीं होगा। सम्यकरूप से बुलाये गये अधिवेशन में सम्बद्ध प्राधिकारी के उपस्थित सदस्यगण निर्वाचन में भाग लेंगे। निर्वाचन के लिये नाम अग्रिम रूप से अथवा अधिवेशन में प्रस्तावित किये तथा वापस लिये जा सकते हैं। मतदाताओं को दिये गये मत-पत्रों में वे नाम होंगे जिनकी सूचना छपने के लिये ठीक समय पर प्राप्त हो गयी हों तथा उसमें अन्य नाम जिनके अन्तर्गत अधिवेशन से प्रस्तावित नाम भी हैं, बढ़ाने के लिये रिक्त स्थान होगा। कुलसचिव प्रत्येक सदस्य को ऐसे अधिवेशन की, जिसमें निर्वाचन होना है, सूचना भेजेगा और उसमें सदस्यों की सूचना के साथ ऐसे अधिवेशन का समय, दिनांक और स्थान का उल्लेख होगा। सूचना की अवधि कुलपति द्वारा निश्चित की जायेगी।

परिशिष्ट - ख
(प्रस्तर संख्या-13.01 (21) देखें)

एक-	"अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्राप्त करने के लिये शुल्क		रू. 10,000/-
		निजी महाविद्यालयो के लिए शुल्क	राजकीय महाविद्यालयों के लिए शुल्क
दो -	आवेदन शुल्क	रू. 10,000/-	रू. 5,000/-
तीन-	सम्बद्धता से पूर्व प्रसंस्करण शुल्क	रू. 50,000/-	रू 15,000/-

चार- निरीक्षण शुल्क	निजी महाविद्यालयों के लिए शुल्क	राजकीय महाविद्यालयों के लिए शुल्क
एक - चिकित्सा	रू. 6,00,000/-	रू. 2,00,000/-
दो - दन्त चिकित्सा	रू. 5,00,000/-	रू. 1,50,000/-
तीन - परिचर्या	रू. 4,00,000/-	रू. 1,00,000/-
चार - परा चिकित्सा	रू. 3,50,000/-	रू. 75,000/-

पाँच- प्रथम बार सम्बद्धता शुल्क, जब संस्था/महाविद्यालय को विश्वविद्यालय विश्व विद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान की गयी हो

3-सम्बद्धता शुल्क	निजी महाविद्यालयों के लिएं शुल्क	राजकीय महाविद्यालयों के लिए शुल्क
(एक) चिकित्सा	रू. 20,00,000/-	रू. 5,00,000/-
(दो) दन्त चिकित्सा	रू. 15,00,000/-	रू. 4,00,000/-
(तीन) परिचर्या	रू. 12,00,000/-	रू. 3,00,000/-
(चार) पराचिकित्सा	रू. 10,00,000/-	रू. 3,00,000/-

छः- वार्षिक सम्बद्धता शुल्क	निजी महाविद्यालयों के लिए शुल्क	राजकीय महाविद्यालयों के लिए शुल्क
(एक) चिकित्सा	रू. 10,00,000/-	रू. 2,50,000/-
(दो) दंत चिकित्सा	रू. 7,50,000/-	रू. 2,00,000/-
(तीन) परिचर्या	रू. 5,00,000/-	रू. 1,50,000/-
(चार) पराचिकित्सा	रू. 3,00,000/-	रू. 1,00,000/-

सात- प्रवेश वृद्धि (प्रति सीट)	स्नातकोत्तर उपाधि (प्रति सीट)	
	निजी महाविद्यालयों के लिए शुल्क	राजकीय महाविद्यालयों के लिए शुल्क
(एक) चिकित्सा	रू. 20,000/-	रू. 3,000/-
(दो) दंत चिकित्सा	रू. 15,000/-	रू. 2,000/-
(तीन) परिचर्या	रू. 12,000/-	रू. 500/-
(चार) पराचिकित्सा	रू. 10,000/-	रू. 400/-

आठ- स्थायी सम्बद्धता का नवीनकरण, प्रतिवर्ष पाठ्यक्रम (पाँच वर्ष बाद या उसके पश्चात्)

	निजी महाविद्यालयों के लिए शुल्क	राजकीय महाविद्यालयों के लिए शुल्क
(एक) चिकित्सा	रू. 5,00,000/-	रू. 1,25,000/-
(दो) दंत चिकित्सा	रू. 4,00,000/-	रू. 1,00,000/-
(तीन) परिचर्या	रू. 3,50,000/-	रू. 1,00,000/-
(चार) पराचिकित्सा	रू. 3,00,000/-	रू. 75,000/-

नौ- पुनः निरीक्षण शुल्क

	निजी महाविद्यालयों के लिए शुल्क	राजकीय महाविद्यालयों के लिए शुल्क
(एक) चिकित्सा	रू. 6,00,000/-	रू. 1,50,000/-
(दो) दंत चिकित्सा	रू. 5,00,000/-	रू. 1,25,000/-
(तीन) परिचर्या	रू. 4,00,000/-	रू. 1,00,000/-
(चार) पराचिकित्सा	रू. 3,50,000/-	रू. 1,00,000/-

दस- प्रशासनिक और सेवा प्रभार

	रू.
1. एम. बी. बी. एस.	
(क) संस्वीकृत संख्या 1 से 40	1,00,000/-
(ख) संस्वीकृत संख्या 41 से 60	1,50,000/-
(ग) संस्वीकृत संख्या 61 से 100	1,75,000/-
(घ) संस्वीकृत संख्या 101 से ऊपर	2,00,000/-
2. दन्त चिकित्सा बी. डी. एस.	रू.
(क) संस्वीकृत संख्या 1 से 40	50000/-
(ख) संस्वीकृत संख्या 41 से 60	75,000/-
(ग) संस्वीकृत संख्या 61 से 100	1,00,000/-
(घ) संस्वीकृत संख्या 101 से ऊपर	150,000/-
3. परिचर्या और परा चिकित्सा	रू.
(क) संस्वीकृत संख्या 1 से 40	40,000/-
(ख) संस्त्रीकृत संख्या 41 से 60	60,000/-
(ग) संस्वीकृत संख्या 61 से 100	80,000/-
(घ) संस्वीकृत संख्या 101 से ऊपर	1,00,000/-

ग्यारह- सम्बद्धता आवेदन पत्र भरने के लिए विलम्ब शुल्क रू. 30,000/-

बारह- संस्था/प्रबन्धतन्त्र/स्थान के नाम पर परिवर्तन करने के लिए शुल्क रू. 50,000/-

तेरह- केवल नये और नवीनकरण विषयक सम्बद्धता शुल्क के सम्बन्ध में 50 प्रतिशत रियायत दी जा सकती है और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़ वर्गों के द्वारा चलाये जा रहे महाविद्यालयों और संस्थाओं के वार्षिक शुल्क और सेवा प्रशासनिक सेवा प्रभार के तहत कोई राहत नहीं दी जायेगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no-2682/71-2-11-CMU-6/03, dated 29 July, 2011.

No. 2682 /71-2-11-CMU-6/03

Lucknow, Dated July 29, 2011

In exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 42 of the Uttar Pradesh Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Act, 2002 (U.P. Act .No 8 of 2002), the Governor is pleased to make the following First Statutes for the Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Uttar Pradesh, Lucknow.

CHHATRAPATI SHAHUJI MAHARAJ MEDICAL UNIVERSITY

FIRST STATUTES, 2011

CHAPTER – I

PRELIMINARY

1.01 (1) These Statutes may be called the Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University First Statutes, 2011.

(2) They shall come into force at once.

1.02 All the Government orders, notification and rules issued by the Government in connection with the service conditions of the teachers and employees of Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University, as are inconsistent with these Statutes, are to the extent of such inconsistency, hereby rescinded and shall forthwith cease to have effect except with respect to things done or omitted to be done before the commencement of these Statutes.

Section: 42 1.03 In these Statutes, unless the context otherwise requires-

a) "Act" means the Uttar Pradesh Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Act, 2002 as amended from time to time.

b) 'Clause' means a clause of the Statutes in which that expression occurs;

c) 'Officer of the University' means an officer mentioned in any of the clause of section 14 of the Act and the officers declared as such in Chapter II of these Statutes.

d) 'Section' means a section of the Act.

e) 'Employee' means an employee of Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University.

1.04 In these Statutes, all references to the age of teacher shall be construed to be references to the date of birth of the teacher concerned as mentioned in his High School certificate or that of any other examination recognized as equivalent thereto.

1.05 There shall be roster of reservation as per Government Rules passed from time to time in appointment for Scheduled Caste/Scheduled Tribes and other backward classes teachers (Lecturer/Assistant Professor/Associate Professor/Professor), non-teaching staffs and all other employees of the University. In the following authorities in such places where there is provision for selection or election of more than one person, the representation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizen in accordance with the reservation provided therefore shall be ensured. Similarly in the

Selection Committees to be constituted for promotion and also in any other Committee representation of reserved classes shall be essential:

a) the Executive Council;

b) the Academic Council;

c) the Finance Committee;

d) the Boards of Faculties;

e) the Selection Committees for appointment of teachers of the University;

f) the Admission Committee;

g) the Research Committee;

h) the Examination Committee; and other authorities as mentioned in Statutes 7.02 and 7.03 .

i) Any other administrative posts in the University/Hostels such as Proctor, Provost (Warden) etc.

1.06 Reservation for the Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Categories shall be in accordance with the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994 and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighter and Ex-Service men) Act, 1993, as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

1.06 A For the Selection of teaching posts in the Medical University, reservation shall be applicable in according with statute 1.06 after determining of cadre on the basis the similar status, payscale and qualification/eligibility to the faculty member.

1.07 There shall be institution of Scheduled Castes / Scheduled Tribes cell and Other Backward Class Cells / Committees headed by respective Liaison Officers designated by the State Government, i.e., one from Scheduled Castes / Scheduled Tribes and one from other backward class teachers shall be nominated to monitor the matters of reservation under University Grants Commission guidelines.

CHAPTER II

OFFICERS AND OTHER FUNCTIONARIES OF THE UNIVERSITY

THE CHANCELLOR

Section: 15(1)&41(c) 2.01 (1) The Governor of State of Uttar Pradesh, shall be the Chancellor of the Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University, Lucknow.

Section : 53 (2) The Chancellor may, while considering any matter referred to him under Section 53 of the Act, call such documents or information from the University or parties concerned, as he may deem necessary and may in any other case, call for any document or information from the University.

(3) Where the Chancellor calls for any documents or information from the University under sub statute (2), it shall be the duty of the Registrar and the Vice-Chancellor to ensure that such documents or information are promptly provided to him.

Section : 16 (12) (4) If in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of the Act including compliance of reservation laws or abuses the powers vested in him and if it appears

to the Chancellor that the continuance of the Vice Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, the Chancellor may, after any such inquiry as he deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor.

(5) The Chancellor shall have power to suspend the Vice Chancellor during the pendency or contemplation of any inquiry referred to in sub statute (4).

THE VICE CHANCELLOR

Section: 16 & 41(c)

2.02 (1) The Vice-Chancellor shall be appointed from amongst the eminent persons of the country or abroad having sufficient administrative experience.

(2) The Vice Chancellor shall be appointed in the manner laid down in the Act and he shall perform all the duties and exercise all the powers as laid down in the Act and Statutes.

(3) The Vice-Chancellor shall be responsible and answerable to all the matters relating to the University alongwith all hospitals attached to it.

(4) All the employees of the University including that of its attached hospitals (excluding affiliated ones) shall be subservient and shall work under the administrative control of the Vice-Chancellor.

(5) The Vice-Chancellor being the chairman of the Executive Council, Academic Council, Admission Committee, Examination Committee, Finance Committee, Hospital Advisory Committee, Selection Committee, Disciplinary Committee, Seniority Committee, Court and other Statutory Committees shall be responsible for promoting and upgrading the Academic/Research and training activities, creating positive innovations, utilization of potential and talents of the teachers and other staff for placing the university as one among the best medical institution in the country and abroad.

(6) The Vice-Chancellor shall be responsible for maintenance and upliftment of the standard of medical education in the University, introducing innovation, new and updated technology, different courses relevant to present and future needs in the field of medical education and training and shall be solely responsible for total governance of the University including its associated Hospitals.

(7) The Vice-Chancellor shall ensure proper conduct and expected performance of all the teaching staff, officers of the University, medical superintendents, persons on deputation to the University, nurses and Class III and IV employees. He shall take necessary action as deemed fit to accomplish it.

(8) The Vice-Chancellor shall be responsible for maintenance and improvement of the discipline, academic ambience, work culture, accountability and academic/Financial/Ethical integrity among the officers, teachers/non-teaching staff including the students of the University. He shall take necessary action as deemed proper to accomplish it.

(9) The Vice-Chancellor shall make special efforts to ensure that an updated Central Library is made available alongwith the proper communication and networking facilities to provide the necessary boost for academic and Research publications.

(10) The Vice-Chancellor, in order to promote an academic excellence, shall make special efforts to establish academic/professional collaboration and exchange programmes for Faculty/students/other

employees as applicable with the eminent medical institutions in the country and abroad.

(11) The Vice-Chancellor shall make special efforts to provide an updated/specialized infrastructure for patient care and to take necessary steps/actions for further improvement and extension of the attached Hospitals and their services.

(12) The Vice-Chancellor shall be responsible to provide updated professional teaching/training programes and he shall also ensure the accountability of the Officers, Faculty, Medical Superintendents, Residents, Employees, Nursing staff, Para Medical staff and others in terms of their duties and shall take necessary action as deemed fit to accomplish it.

(13) The Vice-Chancellor shall have the power to suspend a teacher/an officer or any other employee whose appointing authority is Vice Chancellor or Executive Council of the University including that of attached hospitals who if in his opinion wilfully omits or refuses to carry out provisions of the Act/Statute or abuses the power vested in him and if it appears to the Vice-Chancellor that his continuance is detrimental to the interest of the University. If found guilty, the case of a teacher or an officer alongwith the recommendation of the Vice-Chancellor for a proposed punishment including the termination/dismissal from the service shall be placed before the Executive Council for necessary action.

(14) The Vice-Chancellor shall also encourage the public-private participation for ensuring better facilities and academic ambience in the institutions.

(15) The Vice-Chancellor when on short leave, personal or official, shall request any of the Senior Professors to look after the routine work of the University in his absence.

(16) The Vice-Chancellor shall also make efforts to raise donation and funds form the alumuni of Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University and erstwhile King George Medical University and others to be utilized for upgradation of the University.

(17) The Vice Chancellor shall have power to call for such documents and information from an affiliated or recognized college or institutes, in respect of any matter connected with teaching, examination, research, finance or any matter affecting the discipline or efficiency of teaching in the college or institutes, as he think fit.

FINANCE OFFICER

Sections: 19 and 41(c) 2.03

2.03 (1) The Finance Officer shall be a whole time officer of the University.

(2) The Finance Officer shall be appointed on deputation by the State Government of Uttar Pradesh.

(3) The Finance Officer's appointment shall be governed by the rules, terms and conditions of deputation laid down from time to time by the State Government of Uttar Pradesh.

(4) The Finance Officer shall perform duties under the powers as delegated by the Vice-Chancellor.

(5) The Finance Officer shall also be ex-officio Secretary of the Finance Committee.

(6) The Finance Officer shall exercise all such powers as may be necessary or expedient for carrying into effect the orders of the Chancellor, the Vice-Chancellor and the Finance Committee.

(7) The Finance Officer shall conduct all the financial correspondence of the University to the Government of Uttar Pradesh and / or competent authority pertaining to the University unless otherwise specified by the Vice-Chancellor.

(8) The Finance Officer, subject to the provisions of the Act and the Statutes, shall have disciplinary control and shall recommend the Registrar for punitive action against any employee working under him along with draft of the charges supported with evidences which include the power of suspension, dismissal, removal, reduction in rank, reversion, termination or compulsory retirement of an employee of his section with justified reasons after the approval of the Vice-Chancellor.

(9) When the office of the Finance Officer is vacant or when the Finance Officer is on leave, the duties of his office shall be performed as per financial rules of the State Government.

(10) The Finance Officer shall perform duties and exercise the powers as laid down in the Act/Financial rules of the State Government.

(11) The Finance Officer shall exercise general supervision over the funds of the University.

(12) The Finance Officer shall advise in any financial matter either *suo motu* or on his advice being sought by the Vice-Chancellor.

(13) The Finance Officer shall keep a constant watch on the State of the cash, bank balances and investments of the University.

(14) The Finance Officer shall collect the incomes, disburse the payments and maintain the accounts of the University.

(15) The Finance Officer shall ensure that no expenditure not authorized in the budget, is incurred by the University (otherwise than by way of investment).

(16) The Finance Officer shall probe into any unauthorized expenditure and other financial irregularities and suggest to the competent authority a disciplinary action to be taken against person(s) at fault.

(17) The Finance Officer shall have access to and may require the production of such records and documents of the University and the furnishing of such information pertaining to its affairs as in his opinion may be necessary for the discharge of his duties.

(18) The Finance Officer shall arrange the conduct of continuous internal audit of the accounts of the University, and shall pre-audit such bills as may be required in accordance with any standing orders in that behalf. However the accounts of the confidential section of controller examination section shall not be audited.

(19) The Finance Officer shall perform such other functions in respect of financial matters as may be assigned to him by Vice-Chancellor.

(20) The Finance Officer shall ensure proper utilization of funds allocated for the welfare of Scheduled Castes , Scheduled Tribes and other backward castes.

THE REGISTRAR

Sections: 20(1), 20(2) & 56(e)

2.04 (1) The Registrar shall be a whole time officer of the University.

(2) The Registrar shall be appointed on deputation by the State Government of Uttar Pradesh.

(3) The Registrar's appointment shall be governed by the rules, terms and conditions of deputation laid down from time to time by the State

Government of Uttar Pradesh. Registrar shall be entitled to get all the service benefits as he was getting in the State Government including deputation allowances and medical reimbursement etc as per existing Government Rules.

(4) The Registrar shall also perform the powers as delegated by the Vice-Chancellor and the Executive Council.

(5) The Registrar shall exercise all such powers as may be necessary or expedient for carrying into effect the orders of the Chancellor and the Vice-Chancellor, Academic Council and Executive Council of the University.

(6) The Registrar shall also be ex-officio Member Secretary of the Executive Council, Court, Academic Council and Admission Committee or any other Administrative Committees constituted at any point of time.

(7) The Registrar shall be custodian of all the properties of the University. He shall also sanction routine expenses of the University under financial rules.

(8) The Registrar shall supervise all the development activities in the university including construction, repair and establishment of new plants, furniture, equipments and machines and shall pass suitable instructions in the interest of the university.

(9) The Registrar shall conduct all the official correspondence of the University unless otherwise specified by the Vice-Chancellor.

(10) The Registrar shall represent the University in legal suits and proceedings by and against the University. He shall sign as the powers of attorney in these proceedings and verify the pleadings.

(11) The Registrar shall ensure implementation of Scheduled Castes / Scheduled Tribes and other backward classes reservation policy in accordance to the provisions of the Act and the policy enacted by the State Government form time to time.

(12) The Registrar, subject to the provisions of the Act and the Statutes, shall have disciplinary control over all employees of the University except the officers, teachers and the librarian. However the staff under the control of Controller of Examination and Finance Officer shall be dealt with by the Registrar according to rules whenever reported by the Controller of Examinations and the Finance Officer respectively.

(13) The Registrar shall transfer and appoint all the employees of the university (except teachers, officers and librarians) as per their ability and discipline to get optimum output in the interest of the institution and shall also ensure periodical transfer in different departments of teaching, patient care and different offices.

(14) (i) The Registrar shall take action under clause 2.04(14) which include the power of suspension, dismissal, removal, reduction in rank, reversion, termination or compulsory retirement of an employee (other than specified clause 2.04(13) with justified reasons.

(ii) The Registrar shall ensure that no punitive action (except the minor punishment defined in the Uttar Pradesh Government Servant (Discipline and Appeals) Rules, 1999 is taken against an employee without a proper enquiry, show cause notice and charges leveled against him.

(iii) The aforesaid procedure shall however not apply in the following cases where the reasons for the action taken (including the misconduct and inefficiency) are not disclosed in the order.

(a) Reversion of a promoted official to his substantive rank.

(b) Termination of service of a temporary employee.

(c) Compulsory retirement of an employee after he attains the age of fifty years and beyond.

(iv) An aggrieved employee shall have an option to make representation and or appeal to the Vice-Chancellor for redressal of his grievances.

(15) The Registrar shall put forth the factual position of any subject as per prevailing Act, Statutes and different Government Orders in order to decide the issue in different Committees including the Executive Committee. The views of the Registrar shall be recorded in the proceeding of the Committee.

THE CONTROLLER OF EXAMINATION

Sections: 21(1)(2) (3) (4)(5)(6)&(7) 2.05 (1) The Controller of Examination shall be a whole time officer of the University.

(2) The Controller of Examination shall be appointed on deputation by the State Government of Uttar Pradesh by notification for a period not exceeding three years beginning from the date of his joining of his duties in the University. Until the Controller of Examination is appointed by the State Government, the function of Controller of Examination shall be performed by a teacher of the University nominated by the Vice-Chancellor from amongst the Professors.

(3) The Controller of Examination's appointment shall be governed by the rules, terms and conditions of deputation laid down from time to time by the State Government of Uttar Pradesh.

(4) The Controller of Examination's Annual Confidential Report shall be written by the Vice-Chancellor which shall be duly forwarded to his parent department and the Government of Uttar Pradesh.

(5) The Controller of Examination shall perform under the powers as delegated by the Vice-Chancellor.

(6) The Controller of Examination shall also be ex-officio Secretary of the Examination Committee.

(7) The Controller of Examination shall exercise all such powers as may be necessary or expedient for carrying into effect the orders of the Chancellor, the Vice-Chancellor and the Examination Committee in respect of the matters pertaining to examinations.

(8) The Controller of Examination shall perform duties and exercise the powers as laid down in the Act.

(9) (i) The Controller of Examination, subject to the provisions of the Act and the Statutes, shall have disciplinary control on behalf of the Vice-Chancellor over all employees in the Examination Section of the University.

(ii) He shall recommend action to the Registrar against any employee working in his section for punitive action against any employee working under him along with draft of the charges supported with evidences which include the power of suspension, dismissal, removal, reduction in rank, reversion, termination or compulsory retirement of an employee of his section with justified reasons after the approval of the Vice-Chancellor.

(iii) The Controller of Examination shall ensure that no punitive action is taken against an employee without a proper enquiry, show cause notice and charges leveled against him.

(iv) The aforesaid procedure shall however not apply in the following cases where the reasons for the action taken(including the misconduct and inefficiency) are not disclosed in the order.

(a) Reversion of a promoted official to his substantive rank.

(b) Termination of service of a temporary employee.

(c) Compulsory retirement of an employee after he attains the age of fifty years and beyond.

(v) An aggrieved employee shall have an option to make representation and or appeal to the Vice-Chancellor for redressal of his grievances.

(10) The Controller of Examination shall be responsible for ensuring the secrecy and the confidentiality of the examinations. He shall ensure that the examinee or examiners shall not be allowed to use any unfair means both in theory and practical examinations.

(11) The Controller of Examination shall be responsible for the proper conduct of examinations and declarations of results within a specified time.

(12) The Controller of Examination shall adopt methodology, innovations and procedures for conducting the University examinations as may be necessary to be introduced and implemented from time to time under the approval of Vice-Chancellor after consultation with the Exam Committee.

(13) The Controller of Examination shall be held responsible for leakage of any confidential papers and or for any unfair evaluation adopted in the University examinations. In such a case, the Controller of Examination shall report the matter alongwith his recommendation for an appropriate action to be taken by the Vice-Chancellor.

(14) The Controller of Examination shall ensure proper conduct and transparency both of theory and practical examinations in coordination with respective Head of the Departments.

(15) The Controller of Examinations shall appoint the Tabulators under the approval of the Vice-Chancellor.

(16) The Controller of Examination shall submit the panel of names of external and internal examiners as proposed by the Board of studies of the concerned subjects to the Vice-Chancellor. The Vice-Chancellor shall nominate the desired numbers of both the internal and external examiners of the University examination either from among the panel names or any other eligible person/s beyond the panel. The Controller of Examinations shall appoint only those nominated by the Vice-Chancellor as the examiners of the University., However additional representation of other backward classes and Scheduled Castes / Scheduled Tribes examiners shall also be ensured subject to availability of teachers internally in the university or externally.

(17) The Controller of Examination shall be assisted by Additional Controller and Assistant Controller, whose number may vary according to need of the hour. The Additional/Assistant Controller of Examinations shall be appointed by the Vice-Chancellor from among the teachers of the University with adequate representative of other backward classes and Scheduled Castes / Scheduled Tribes teachers.

(18) The Controller of Examination shall be responsible under the guidance of the Vice-Chancellor for conducting the Entrance test/tests for admission both in under and postgraduate courses in the University if at any stage in future, the University decides to have its own entrance tests

(19) The Controller of Examination shall perform such other functions in respect of examinations as may be assigned to him by Vice-Chancellor.

(20) The Controller of Examination shall be directly answerable to the Vice-Chancellor for all actions taken by him pertaining to the examinations.

DEAN OF FACULTY

Sections: 14(g) & 41(b) 2.06 (1) The Dean of the Faculty shall be appointed in accordance with the provisions contained in section 14 of the University Act for each faculty of the University.

(2) The Vice-Chancellor shall appoint the Senior most Professor of the Faculty as the Dean.

(3) The tenure of the appointment of Dean shall be of three years only.

(4) The Vice-Chancellor shall not appoint a Professor as Dean, whose integrity, conduct and performance has been proved to be detrimental to the institution at the level of the University, investigating agencies, or Hon'ble Courts. However in case of any dispute the decision of the State Government shall be final.

(5) The appointed Dean shall continue in his office only till such time that he holds the position of the Senior most Professor by virtue of which he was appointed as Dean.

(6) The Dean of Faculty shall discharge his duties of the Dean in addition to that of the Professor in the University Department.

(7) If in the opinion of the Vice-Chancellor the Dean of the Faculty willfully, omits or refuses to carry out the provisions of the Act, Statutes or Ordinances or abuses the powers vested in him or if it otherwise appears to the Vice-Chancellor that the continuance of the Dean in office is detrimental to interest of the University, the Vice-Chancellor after making such inquiry as he deems proper by order remove the Dean and appoint the next Senior most Professor as Dean.

(8) The Annual Confidential Report of the Dean of the Faculty shall be written by the Vice-Chancellor.

(9) The Dean of the Faculty shall perform the academic activities and also other powers as delegated by the Vice-Chancellor.

(10) The Dean shall take necessary action for carrying out into effect the orders of the Vice-Chancellor including in matters pertaining to the Academic affairs of the University.

(11) The Dean shall preside at all the meetings of the Board of Faculty of the University. He shall also be the member of the Admission Committee.

(12) The Dean shall have the right to be present and to speak at any meeting of the Board of studies pertaining to his faculty but shall have no right to vote there at unless he is a member thereof.

(13) The Dean shall prepare an Academic Calendar of the University and ensure that the schedules thereof are strictly adhered.

(14) The Dean shall monitor and be accountable for the academic schedules and other academic activities in the different departments of Faculty and report to the Vice-Chancellor for action as Vice-Chancellor deems fit for maintenance and improvement of academic integrity/ambience in the University.

(15) The Dean shall ensure that each of the admitted student is allotted an Enrollment number within two months of the admission in the University.

(16) The Dean shall :-

(i) to make periodic assessment of the class attendance of the students in different subjects.

(ii) to communicate to the parents of the students falling short in their attendance and also regarding their conduct which may/shall debar them form appearing in the examinations.

(iii) to ensure that only the eligible candidates are sent up for examinations and no student/candidate be allowed to appear in examination whose conduct/integrity has been found detrimental to the organization at appropriate level or at the level of University.

(iv) to scrutinize the University examination Forms of the candidates before forwarding the eligible ones to the Controller of Examinations.

(v) to inform the parents/guardian of the student regarding the punitive action and/or punishment imposed on him by the University.

(17) The Dean shall verify the academic credentials including the reservation category certificates of the candidates seeking admission in the Under and Postgraduate courses at the University. However in cases of serious complaints and doubtful cases, the Dean shall refer the matter to the Vice Chancellor for further administrative action.

(18) The Dean shall issue the provisional admission letters only to those candidates who qualify for admission in the concerned course under the approval of the Vice-Chancellor.

(19) The Dean shall issue the proper admission letters to the eligible candidates only after their academic credentials and reservation category certificates have been verified by the competent issuing authority.

(20) There shall be one Dean of each Faculty of the University.

THE DEAN OF STUDENTS WELFARE

Sections: 25(i)(vii) & 41(c) 2.07

(1) The Dean of Students Welfare shall be appointed by the Vice-Chancellor preferably from among the Professors of the University. His appointment shall be ratified by the Executive Council.

(2) The tenure of the appointment of the Dean of Students Welfare shall ordinarily be for a period of three years which can be cut short or extended by the Vice-Chancellor under ratification by the Executive Council.

(3) The appointed Dean of Students Welfare shall continue in his office only till such time that he holds the position of a Faculty member of the University.

(4) The Dean of Students Welfare shall discharge his duties of the Dean of Students Welfare in addition to that of the Professor/teacher in the University Department.

(5) If in the opinion of the Vice-Chancellor the Dean of Students Welfare willfully, omits or refuses to carry out the provisions of the Act, Statutes or Ordinances or abuses the powers vested in him or if it otherwise appears to the Vice-Chancellor that the continuance of the Dean in office is detrimental to interest of the University, the Vice-Chancellor by order remove the Dean of Students Welfare and appoint any other teacher as Dean of Students Welfare which shall be ratified by the Executive Council.

(6) The Annual Confidential Report of the Dean of Students Welfare shall be written by the Vice-Chancellor, which shall also form a part of his total Annual Confidential Report.

(7) The Dean of Students Welfare shall perform under the powers as delegated by the Vice-Chancellor.

(8) The Dean of Students Welfare shall take necessary action for carrying out into effect the orders of the Vice-Chancellor including in matters pertaining to the welfare of the students.

(9) The Dean of Students Welfare shall be assisted by the Assistant Dean/s whose number may vary as per need of the hour. The Vice-Chancellor may appoint at least one lady as the Assistant Dean to take care of the female Students. The representation of Scheduled Castes / Scheduled Tribes and other backward classes shall also be ensured as per law.

(10) The Dean of Students Welfare or one Assistant Dean(s) shall be the Chairman / member of the Hostel allotment Committee.

(11) The Dean of Students Welfare and Assistant Deans may be paid such honorarium as deemed necessary duly approved by the Executive Council.

(12) The Dean of Students Welfare shall be responsible for:-

(i) providing help and advise to the students in matters related to admissions, medical ailment, accommodation and their welfare.

(ii) communicating with the parents/guardians to apprise them of the problems facing their ward which deserve to be brought to the attention of the concerned parents and/or guardian.

(iii) maintaining the Discipline among the students both of under and postgraduate courses.

(iv) ensure that the students are not involved in any undesirable activities.

HEAD OF DEPARTMENT

2.08 (1) The Vice-chancellor may delegate his powers by virtue the Senior most faculty member of the department to act as Head of the Department as per prevailing Government Orders for the university.

(2) The Head of Department shall be nominated subject to his being academically sound in the subject concerned and possessing the requisite qualifications and experience as a postgraduate teacher in accordance with the recommendations of Medical Council of India/Dental Council of India or by Government Order issued from time to time in case of any dispute.

(3) The Vice-Chancellor shall not nominate the senior most teacher as the Head of Department whose integrity, conduct and performance has been found detrimental to the at the level of the University, investigating agencies and/or Hon'ble Courts.

(4) If in the opinion of the Vice-Chancellor the Head of Department willfully omits or refuses to carry out the provisions of the Act, Statutes or Ordinances or abuses the powers delegated in him or if it otherwise appears to the Vice-Chancellor that the continuance of the Head of Department is detrimental to interest of the University, the Vice-Chancellor by order remove the Head of Department and delegate the powers preferably to the next senior member of the faculty to act as the Head of Department under ratification by Executive Council.

(5) The Head of Department shall also perform the powers as delegated by the Vice-Chancellor.

(6) The Vice-Chancellor may take over the administrative control as the Head of Department of any of the University Departments if in his opinion it is in the interest of the Department/and or University.

(7) As there being no statutory post of the Head of Department, he shall discharge his duties as Head of Department in addition to that of the Professor/or any other teacher as the case may be in the University Department.

(8) The Annual Confidential Report of the Head of Department shall be written by the Vice-Chancellor.

(9) The Head of Department shall be responsible for;-

(i) maintaining the discipline amongst the teachers, staff and the students.

(ii) recommending a disciplinary action to be taken against an employee working in his department for willful disobedience, negligence, misconduct and/or other act of omission violating the Act, Statute, order of Chancellor, Vice-Chancellor / and if any other relevant competent authority.

(iii) maintaining an academic integrity and monitoring the accountability of all the employees.

(iv) promoting academic development and research activities in the department.

(v) initiating the participation of the department in out reach health/education programmes under the approval of the Vice-Chancellor.

(vi) Organizing the entire exams of the Departments in consultation with the Controller of Examinations and ensuring the proper representation of Scheduled Castes / Scheduled Tribes and other backward classes examiners as Internal / External in the process as far as possible subject to availability.

(vii) Ensuring proper work distribution among all the teachers of the Department including infrastructure of the Department preferably by rotation.

THE PROCTOR

Sections: 22, 41(c), (q)

2.09 (1) The Vice-Chancellor shall delegate his powers to a person amongst the teachers of the University to act as a Proctor for the maintenance of discipline in the University campus.

(2) The Vice-Chancellor shall not nominate a teacher to act as the University Proctor, whose integrity, conduct and performance has been under the scrutiny and challenged at the level of the University, investigating agencies or Hon'ble Courts.

(3) The tenure of the nominated Proctor shall ordinarily be for one year which can be cut short or extended by the Vice-Chancellor.

(4) If in the opinion of the Vice-Chancellor the Proctor willfully omits or refuses to carry out the provisions of the Act, Statutes or Ordinances or abuses the powers delegated in him or if it otherwise appears to the Vice-Chancellor that the continuance of the Proctor is detrimental to interest of the University, the Vice-Chancellor by order may remove the Proctor and delegate the powers to any other faculty member to act as the Proctor.

(5) The Proctor shall perform under the powers as delegated by the Vice-Chancellor.

(6) The Annual Confidential Report of the Proctor shall be written by the Vice-Chancellor.

(7) The nominated Proctor shall continue in his office only till such time that he holds the position of a Faculty member of the University.

(8) The Proctor of the University shall discharge his duties as Proctor in addition to that of the teacher in the University Department.

(9) The University Proctor shall be assisted by Additional/Assistant Proctors whose number may vary as per need of the hour. The Vice-Chancellor may appoint at least one Lady Assistant Proctor to take care of the female students, staff and other employees including ones form out side the campus. The adequate representation of Scheduled Castes / Scheduled Tribes and other backward classes shall also be ensured in appointment of Proctors and Additional/Assistant Proctors.

(10) The Proctor shall take necessary action for carrying out into effect the orders of the Vice-Chancellor pertaining to the affairs of the discipline of University Campus.

(11) The Proctor shall be one of the member of the Unfair means Committee.

(12) The Proctor, Additional/Assistant Proctors may be paid such an honorarium as deemed necessary duly approved by the Executive Council.

(13) The Proctor shall be responsible for:-

(i) maintaining and improving the discipline in the University Campus in respect of the students, staff, employee, of the University including those of attached Hospitals/Hostels and the outside undesirable elements including the patient's attendants, if any, present in the campus with due approval of the Vice Chancellor and the Registrar, wherever necessary.

(ii) enforcing the law and order in the University campus.

(iii) filing an F.I.R with the Police on behalf of the University in cases which demand such action.

(iv) keeping the Vice-Chancellor and the Registrar posted with the situation and development of activities likely to disturb the academic ambience of the University Campus.

(v) monitoring of the duties and performance of Security guards deployed in different situations in the University campus under intimation to the Registrar.

CHAPTER III
THE EXECUTIVE COUNCIL

Sections: 8(c)& 24(1)(2)(3)

3.01 (1) The Executive Council shall be constituted as per section 24 of the Act.

(2) The term of the office of the members of the Executive Council other than Ex-officio members shall be three years.

CHAPTER IV
THE COURT

Representation of teachers, etc.

Section: 26(1) (vii)

4.01 Two provosts and wardens of the hostels and halls of the University who shall be members of the Court under clause (vii) of sub-section(1) of section 26 shall be selected by rotation on the basis of longest continuous service as such provosts or wardens.

Section: 26(1) (viii)

4.02 (1) Ten teachers who shall be members of the Court under clause (viii) of sub-section(1) of section 26 shall be selected in the following manner:

- Three Professors of the University;
- Two Associated Professors of the University.
- Two Assistant Professors/Lecturers of the University.
- The Dean of the Students Welfare.
- Two Principals of affiliated colleges.

(2) The above Professors, Associate Professors, Assistant Professors/Lecturers and Principals shall be selected in orders of seniority as Professors, Associate Professors, Assistant Professors / Lecturers and Principals as the case may be.

Section: 26(1) (ix)

4.03 Registration of Graduates and their representation in Court

The Registrar shall maintain in his Office a Register of Registered Graduates, which Register hereinafter in this Chapter shall called the "Register".

Section: 41(o)

4.04 The Register shall contain the following particulars:

- The name and addresses of the registered graduates;
- The year of their graduation;
- The name of the University or the college from which they graduated.
- The date on which the name of the graduate was entered in the Register.
- Such other details as the Executive Council may from time to time direct.

Note – The names of the Registered Graduates who died shall be struck off.

Section: 41(o)

4.05 Every graduate of the University from the date of convocation at which the degree by virtue of which he is to be registered was conferred on him if he was present there at shall, on an application in the form approved by the Executive Council and on payment of fee of rupees fifty one be entitled to have his name registered in the Register. The application shall be made by the graduate himself, and may either be delivered to the Registrar personally or sent by registered post. If two or more applications are received in the same cover, they shall be rejected.

Section: 41(o)

4.06 On receipt of an application, the Registrar shall, if he finds that the graduate is duly qualified and the prescribed fee has been paid, enter the name of the applicant in the Register.

Section: 41(o)

4.07 A registered graduate whose name has been borne on the Register for one year or more on June 30, preceding the date of notification for the election shall be entitled to vote at the election of the representative of registered graduates.

Section : 26 & 41 (o)

4.08 A registered graduate shall be eligible to seek election under clause (ix) of Section 26(1), if his name has been borne on the Register for at least three years on June 30, preceding the date of election.

Section : 26 (i) & 41 (o)

4.09 A representative of registered graduates elected under clause (xi) of sub section (1)of section 26 shall cease to be a member on entering the service of the University or of an Institute or constituent college, an associated college, a hostel a hall or being connected with the management of an associated college, a hall or hostel or on becoming a students, and the seat so vacated shall be filled up by the person available who secured the next highest votes at the time of the previous election for the residue of his term.

Section : 26 (i) & 41 (o)

4.10 A registered graduate, who is already a member of the Court in another capacity, may seek election as a representative of registered graduates and on his being so elected, the provisions of Statute, 4.09 shall *mutatis mutandis* apply.

4.11 The election of the registered graduate under this Chapter shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable votes as laid down in Appendix A.

Section : 26 (i) & 41 (o)

4.12 The term of the members of the Court shall commence from the date of the first meeting of the Court.

CHAPTER V

THE ACADEMIC COUNCIL

Section : 29 (2)

5.01 The Academic Council shall be the principal academic body of the University.

5.02 (1) The Academic Council shall consist of the following members-

(i) The Vice-Chancellor,

(ii) The Deans of Faculties,

(iii) All other Heads of Departments of the University.

(iv) All Professors of the University, who are not the Heads.

(v) Two Principals of State Medical Colleges to be nominated by the Vice-Chancellor of Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University.

(vi) Five teachers- Three Associate and Two Assistant Professors of the Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University in order of seniority.

(vii) Two Principals from affiliated colleges nominated by the Vice Chancellor

(viii) The Dean of Students Welfare

(ix) The Librarian of the University

(x) Eight Teachers (Scheduled Castes / Scheduled Tribes -Four, other backward classes -Four) of the University who are not ex-officio members shall be nominated by the Vice-Chancellor

Statute 5.02 (1) - Amended vide the King George's Medical University, Uttar Pradesh (Amendment) Statutes, 2019.

(xi) Five persons of academic eminence preferably three in Medical Sciences and two in Dental Sciences to be nominated by the Vice-Chancellor.

(2) The tenure of the nominated members viz. (v) and (ix) (x) supra shall be that of three years.

(3) The Academic Council shall be responsible for the maintenance of standards of instruction, education and research carried on or imparted in the University.

(4) The Academic Council may advise the Executive Council on all academic matters.

(5) The Academic Council shall -

(i) to scrutinize and make its recommendations on proposals submitted by the Boards of Studies through the Faculties in regard to the courses of study.

(ii) to report on any matter referred or entrusted to it by the Vice-Chancellor and the Executive Council.

(iii) to recommend the recognition of the diplomas and degrees of other Universities and Institutions and also their equivalence with diplomas and degrees of the Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University.

(6) The Vice-Chancellor shall be the Chairman of the Academic Council.

(7) The Registrar, Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University shall be ex-offico Member Secretary of Academic Council.

(8) The Academic Council meeting shall be called by the Registrar under the direction of the Vice-Chancellor.

CHAPTER VI

THE FINANCE COMMITTEE

Sections: 30(3) and 41(a)

6.01 (1) The Finance Committee of the University shall consist of the following:-

(i) The Vice-Chancellor, who shall be the Chairman.

(ii) The Principal Secretary / Secretary of Medical Education, Department, Government of Uttar Pradesh or his nominee who shall not be below the rank of a Joint Secretary in his department.

(iii) The Principal Secretary of Finance, Government of Uttar Pradesh or his nominee who shall not be below the rank of a Joint Secretary in his department.

(iv) Registrar of the Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University.

(v) The Controller of Examinations, Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University.

(vi) Two persons well versed in finance and accounts - one of Scheduled Castes / Scheduled Tribes and the other of other backward classes Category nominated by the Vice-Chancellor *either* from the staff of the University or out side. The tenure of these nominated persons shall be one year renewable for a total period not exceeding three years.

(vii) Two persons: one from Scheduled Castes / Scheduled Tribes and one from other backward classes nominated by the State Government.

(vii) The Finance Officer of Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University shall also be a Member Secretary of the Finance Committee.

(2) The Finance Committee shall meet at least twice during one financial year. This shall examine the University accounts and scrutinize proposals for expenditure in the University.

(3) The Finance Committee meetings shall be convened under the directions of the Vice-Chancellor.

(4) The Finance Committee may constitute a High Level Purchase Committee (HLPC) For purchase of each Equipments/items exceeding Rs. 50.00 Lac. The Vice Chancellor shall be the President, the Finance Officer shall be the Convener and the Registrar shall be the Member of this Committee. The Principal Secretary of Medical Education Department, Finance Department and Industry Department of the Government of Uttar Pradesh or his nominee not below the rank of Joint Secretary shall be the members of this Committee. One Officer/Teacher of the University shall be nominated as a Special Member by the Vice-Chancellor of the University.

For the purchase of Equipments/items less than Rs. 50.00 Lac, a Purchase Committee shall be constituted at the level of University. The Vice Chancellor shall be President,. The Finance Officer shall be the Convener and the Registrar shall be the Member of this Committee. One Officer/Teacher shall be nominated as subject Specialist member by the Vice-Chancellor of the University.

CHAPTER VII
THE FACULTIES

Section: 31 (1) 7.01 (1) The University shall have such faculties as may be prescribed.

(1) The Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University may also have the sub faculties in the disciplines of Allied Medical Sciences.

(2) There shall be a Dean for every faculty.

(3) The above Faculties shall comprise different departments of the University respective disciplines imparting the undergraduate and postgraduate teaching/training programmes.

(4) Each Faculty shall consist of the following-

(i) Dean of Faculty concerned, who shall also be the chairman.

(ii) Heads of all the University teaching departments in respective discipline.

(iii) All the Professors of the University teaching Departments in respective discipline.

(iv) One Associate Professor from each department in order of seniority in respective discipline.

Statute 7.01 (1) - Amended vide the King George's Medical University, Uttar Pradesh (Amendment) Statutes, 2019

(v) One Assistant Professor from each university teaching department in order of seniority in respective discipline.

(vi) Two Lecturers / Assistant Professors and one Associate Professor of University teaching departments belonging to each Scheduled Castes / Scheduled Tribes Category as well as other backward classes Category shall be nominated by the Vice-Chancellor.

(vii) Registrar / Deputy Registrar nominated by the Registrar.

(5) The tenure of the Faculty belonging to the clause (iv) (v) and (vi) supra shall be only of one year.

(6) The Meeting of the Faculty shall be convened under the direction of the Chairman - Dean of Faculty concerned.

(7) The Faculty shall-

(i) to make recommendation to the Academic Council regarding the courses of studies after considering the recommendations of Boards of Studies ;

(ii) to make recommendations to the Academic Council on any question pertaining to the academic matters which may be relevant and appear necessary for consideration by the Academic Council and also as assigned by the Vice-Chancellor.

(iii) Ensure transparent distribution of academic / departmental works among members including teachers belonging to Scheduled Castes / Scheduled Tribes and other backward classes.

Other Authorities of the University

Section 23 (i) 7.02 (1) It is hereby declared that the following shall be the other authority of the university:-

(a) the Central Research Committee of the university be constituted to promote and facilitate the quality as well as quantity of the scientific research in the institution with the aim to propel it as apex medical institution of excellence.

(b) The Faculty Incharge of the Research Committee who shall be appointed by the Executive Council on recommendation of the Vice-Chancellor from the Professors of the university with the eminent track record and interest in academics and research.

(2) The tenure of the Faculty Incharge of the Research Committee shall be for three years. If it appears that the continuance of the Faculty Incharge of the Research Committee is detrimental to the interest of the university, it can be cut short by the Executive Council on recommendation of Vice Chancellor.

(3) There shall be Research Committee of the university consisting of the following

(i) Vice Chancellor as the Chairman.

(ii) Deans as ex officio members.

(iii) Faculty Incharge Research Committee as Member Secretary and Convenor.

(iv) Other teachers of the university as many as the Vice Chancellor may deem necessary ensuring adequate representation of Scheduled Castes / Scheduled Tribes and other backward classes

Category prescribed as per reservation rules of the State Government.

(v) Two Co-Faculty Incharge nominated by the Vice Chancellor from amongst the members mentioned in 7.02 (3) (iv) above

(4) The Research Committee shall take measures to:-

(i) promote the interest and training in scientific research among the students, resident, associates fellows and the teachers.

(ii) liaise between University and other institutions/agencies at national and international level to promote the overall research activities of the university.

(iii) to facilitate the initiation of quality research projects, generation of grants, completion of projects and transparent fund management.

(iv) any other activity to encourage the quality of research in the university.

(5) Any correspondence by the Research Committee outside the university shall by done through the office of the Registrar under the approval of Vice Chancellor.

(6) Personnel management as well as financial management of the Committee shall be ensured by the Registrar and the Finance Officer under the approval of Vice Chancellor.

THE LIBRARIAN

Section: 41(e) 7.03 (1) The whole time Librarian shall be appointed only if and when a post of the Librarian is sanctioned by the State Government of Uttar Pradesh. The appointment on the post shall then be made as per the prescribed qualifications through a statutory Selection Committee constituted by the honorable Chancellor of the University.

(2) Until such time that this happens, the Vice-Chancellor shall nominate a person as the Librarian from among the Professors of the University.

(3) The tenure of the nominated Librarian of the University shall ordinarily be of three years which can be cut short or extended by the Vice-Chancellor.

(4) The nominated Librarian shall continue in the office only till such time that he holds the position of a Professor in the University.

(5) The Librarian of the University shall duly discharge his duties in addition to that of the Professor in the University Department.

(6) If in the opinion of the Vice-Chancellor the Librarian willfully, omits or refuses to carry out the provisions of the Act, Statutes or Ordinances or abuses the powers delegated in him or if it otherwise appears to the Vice-Chancellor that the continuance of the Librarian is detrimental to interest of the University, the Vice-Chancellor by order remove the Librarian and delegate the powers to another Professor to act as the Librarian.

(7) The Librarian shall perform under the powers as delegated by the Vice-Chancellor.

(8) The Vice-Chancellor may take over the administrative control of the Library if in his opinion it is in the interest of the Library and or University.

(9) The Annual Confidential Report of the Librarian shall be written by the Vice-Chancellor.

(10) The Librarian shall take necessary action for carrying out into effect the orders of the Vice-Chancellor pertaining to the affairs of the University Library.

(11) The Librarian shall be assisted by the Deputy/Assistant Librarian(s) whose number may vary as per need of the hour. However, the representation of Scheduled Castes / Scheduled Tribes and other backward classes shall be ensured in above appointments.

(12) The University Librarian shall be the member Secretary of the Library Committee.

(13) The Librarian shall be under the disciplinary control of the Vice-Chancellor.

(14) The Officiating Librarian and Deputy/Assistant Librarian(s) may be paid such a honorarium as deemed necessary duly approved by the Executive Council

(15) It shall be the duty of the Librarian to maintain the Library of the University and to organize its service in the manner most conductive to the interest of the teaching and research.

(16) The Librarian shall be responsible for:-

(i) maintaining an academic ambience in the University Library.

(ii) Providing the reading and reference material in the Library.

(iii) Providing security to the University Library through the arrangements made by the Vice-Chancellor.

(iv) Ensuring and maintaining and update the book bank for the welfare of Scheduled Castes / Scheduled Tribes and other backward classes duly funded by the Government.

CHAPTER VIII

DEPARTMENTAL COMMITTEES

Section: 41 8.01 (1) There shall be a Departmental Committee in each teaching department of the University.

(2) The Departmental Committee shall consist of-

(i) The Head of Department, who shall also be the Convener of the Committee.

(ii) All Professors of the Department concerned.

(iii) Fifty percent of the Associate Professors of the concerned department shall be the members on the basis of their seniority out of which half of the members shall be from Scheduled Castes / Scheduled Tribes and other backward classes subject to availability.

(iv) Fifty percent of the Assistant Professors / Lecturers of the concerned department shall be the members on the basis of their seniority out of which half of the members shall be from Scheduled Castes / Scheduled Tribes and other backward classes subject to availability.

(3) The tenure of the members of category (iii) and (iv) supra shall be of two years.

(4) The Department Committee shall meet at least twice in one academic year.

(5) The Departmental Committee shall-

(i) Make recommendations regarding the distribution of the teaching work/load/schedule among the teachers of the concerned Department.

(ii) Make suggestions regards the coordination of teaching/training programmers including that of Research.

(iii) Make suggestion regarding matters of general and academic interests of the Department.

(iv) Ensure distribution of works and responsibilities among teachers by rotation and provide facilities to all teachers in the departments.

EXAMINATION COMMITTEE

Section : 41 8.02 (1) The Examination Committee of Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University shall consist of-

(i) The Vice-Chancellor who shall be the Chairman of the Committee.

(ii) The Controller of Examinations who shall be the member Secretary of the Committee.

(iii) The Deans of all the faculties of the University.

(iv) The Senior most Professor other than the Dean of the University by rotation.

(v) The Senior most Associate Professor of the University by rotation.

(vi) All Additional and Assistant Controllers of Examinations.

(vii) University Proctor

(viii) Two senior Faculty Member of other backward classes and two that of Scheduled Castes / Scheduled Tribes to be nominated by the Vice-Chancellor.

(ix) Two members from among the teachers of the University not falling under any of the above categories to be nominated by the Vice-Chancellor.

(2) The tenure of the membership of Examination Committee other than the ex-officio ones shall be of two years.

(3) The Examination Committee shall-

(i) Supervise generally all the examinations of the University.

(ii) Review from time to time the results of the University examinations.

(iii) Recommend the improvements to be made in the examinations system.

(iv) Scrutinize the list of the panel of examiners recommended by the Board of Studies of different subjects duly represented by the Scheduled Castes / Scheduled Tribes and other backward classes and submit the panels thereof to the Vice-Chancellor - the Chairman of the Examination Committee for approval of internal examiners and for nomination of the desired numbers of the external examiners from among the panels including also the ones not on the panel submitted by different departments of the University.

(v) Constitute an Unfair Means Committee duly represented by the Scheduled Castes / Scheduled Tribes and other backward classes teachers to deal with the cases of unfair means adopted by the

examinee including their conduct and behavior during the examinations. The Unfair means Committee shall submit its recommendations to the Vice-Chancellor through the Chairman of the Examination Committee for approval and necessary action to be taken in this regard.

(vi) Ensure the rotation of examiners as per Medical Council of India norms.

CHAPTER IX

HOSPITALS

Section: 10 and 11

9.01 (1) The Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University shall have the attached Hospitals for teaching and training of the medical, dental, nursing and para medical students of the University alongwith the patient care related to the different disciplines of medical sciences. Beside this, the Hospitals shall also provide the material and infrastructure for Clinical Research.

(2) The Hospitals concerned with different disciplines shall be collectively known as-" Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Associated Hospitals"

(3) Gandhi Memorial Hospital shall be one of the associated hospitals of Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University.

(4) Other existing Hospitals - viz Queen Mary Hospital (Obst. and Gynae), Kasturba Clinic and Hospitals (Tuberculosis and Pulmonary Medicine), Children Hospitals (Pediatric), Rehabilitation and Artificial Limb Centre, Dental Hospital, Trauma Centre/New Emergency Complex, Centenary Hospital, Blood Bank and any other to be opened in future shall also be the part of Associated Hospitals of the University.

(5) Besides the supra named hospitals, the Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University shall have different clinical/non clinical specialty and superspecialty departments housed in separate buildings in the campus and or off campus which shall be meant for the teaching/training/research and patient care related to the concerned disciplines. Such existing functional entities like those of Department of Cardiology, Department of Psychiatry, Department of Geriatric Medical Health, shall be added with more in future.

(6) As per provisions contained in sub-section (e) of section 10 and the subsection (xvi) of section 11 of Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Act, the University shall administer, manage and control the attached/associated Hospitals and provide the necessary patient care.

(7) The attached/associated Hospitals of Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University known as-"Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Associated Hospitals" shall be under the direct administrative control of the Vice-Chancellor.

(8) The State Government shall appoint a Chief Medical Superintendent, and so many Medical Superintendents, Deputy Medical Superintendents and Assistant Medical Superintendents duly represented by Scheduled Castes / Scheduled Tribes and other backward classes required to manage the Hospitals and patient care properly.

Chief Medical Superintendent

Sections: 7 and 41

9.02 (1) The Government of Uttar Pradesh shall make an appointment of Chief Medical Superintendent on the recommendation of the university or otherwise for Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University

Associated Hospitals. Chief Medical Superintendent shall be assisted by the Medical Superintendent appointed by the State Government.

(2) The Chief Medical Superintendent/s shall be a whole time employee of the University to look after and manage the Hospital/Hospitals of the "Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Associated Hospitals" as assigned and decided by the Vice-Chancellor.

(3) The Chief Medical Superintendents shall not have a right to do private practice of any kind or involve himself in such activities directly or indirectly.

(4) Chief Medical Superintendent / Medical Superintendents shall be removed by the State Government on the recommendation of the Executive Council that his continuance is detrimental to the interest of the organization.

(5) The Chief Superintendent of Hospitals if appointed temporarily from amongst the Professor of the university shall do his duties in addition to that of the Professor in the University department.

(6) The Chief Superintendent of Hospitals shall be answerable and shall be under the administrative control of the Vice-Chancellor.

(7) The Annual Confidential Report of the Chief Superintendent of Hospitals shall be written by the Vice-Chancellor which shall also be a part of his total Annual Confidential Report including that of being Professor in the University Department.

(8) The Chief Superintendent shall be assisted by the Medical Superintendents, Deputy Medical Superintendents/Assistant Superintendents and other staff in administering the Hospitals in terms of the maintenance of the discipline, accountability and providing adequate patient care.

(9) The Chief Superintendent of Hospitals shall discharge his duties as assigned to him by the Vice-Chancellor from time to time.

(10) The Chief Medical Superintendent shall furnish all the information's and periodical returns to the Registrar as required

(11) Employees in the hospitals shall be posted and transferred by the Registrar on the recommendation of Chief Medical Superintendent / Medical Superintendent or otherwise.

Medical Superintendent

Section: 41 9.03 (1) The Medical Superintendent(s) of the Hospitals associated with the University shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of a Selection Committee as provided u/s 35(4) of the Act, for the post of a Professor.

(2) There may be exclusive Medical Superintendents preferably for each of the important units of "Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Associated Hospitals".

(3) The Vice-Chancellor at his discretion in the interest of the University, may allocate one and/or more units of the Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Associated Hospitals under care of one Medical Superintendent.

(4) The Medical Superintendent/s shall be a whole time employee of the University to look after and manage the Hospital/Hospitals of the "Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Associated Hospitals" as assigned and decided by the Vice-Chancellor.

Statute 9.03 (1)- Amended vide KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY, UTTAR PRADESH (AMENDMENT) STATUTES, 2018.

(5) The Medical Superintendents shall not have a right to do private practice of any kind or involve himself in such activities directly or indirectly.

(6) The Medical Superintendent(s) of the Hospitals associated with the University shall be removed by the Executive Council on the recommendation of the Vice-Chancellor that his continuance is detrimental to the interest of the organization.

(7) The posts of the Medical Superintendents shall be designated as that of "Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Associated Hospitals" and not earmarked specially to any of its Unit.

(8) The Medical Superintendents looking after and managing different Unit/s of "Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Associated Hospitals" shall be transferable from one unit to any other of the "Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Associated Hospitals" any time at the discretion of the Vice-Chancellor.

(9) The salary and the allowances of the Medical Superintendents shall be as determined by State Government. of Uttar Pradesh.

(10) The Medical Superintendents shall be answerable and shall be under the control of the Chief Medical Superintendent with over all control of Vice Chancellor.

(11) The Annual Confidential Report of the Medical Superintendents shall be written by the Chief Superintendent and Vice-Chancellor.

(12) **Essential qualifications for appointment as Medical Superintendent(s) shall include-**

(a) a MBBS/BDS degree;

(b) a postgraduate medical/dental qualification/postgraduate qualification in hospital administration/hospital management, recognized by Medical Council of India/ Dental Council of India, and;

(c) 14 years' teaching experience, at par with the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi:

***Provided that* minimum eligibility criteria laid down by the Medical Council of India/Dental Council of India from time to time shall be strictly followed by the University.**

(13) The Medical Superintendents while himself assisting the Chief Superintendent may be assisted by the Deputy Medical Superintendents and Assistant Superintendents to manage the Hospital/s under their change.

(14) The Vice-Chancellor may nominate any of the teachers of the University department to officiate as the Medical Superintendent as stopgap arrangement if and when the position is vacant subject to approval of Executive Council.

(15) The Medical Superintendents shall-

(i) ensure an accountability of the staff working under him.

(ii) maintain the discipline among the staff, the patients' relatives and the visitors in the hospital

(iii) manage the affairs of the hospital for providing an adequate patient care.

(iv) ensure that the necessary cleanliness, sanitation and disposal of the hospital waste as per expectations and norms are taken care of.

(v) ensure the security of the hospital and hospital infrastructure.

(vi) provide proper sterilization and laundry services to the hospital

(vii) take necessary action to deal with the medico legal cases attending/admitted in the Hospital.

(viii) be responsible for disciplinary control and performance of the staff Deputy Medical Superintendents, Assistant

Statute 9.06 (6) & 9.06 (12) - Amended vide KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY, UTTAR PRADESH (AMENDMENT) STATUTES, 2018.

Superintendents, Matron, Nursing/Paramedical Staff and other class III and IV employees working in the hospitals.

(ix) write the Annual Confidential Report of all the staff working under him.

(x) recommend to the Registrar of Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University through the Chief Superintendent of Hospitals, if any, for the disciplinary action to be taken against any of the employee working under him for any reason like dereliction of duties, prolonged absence, misconduct, involvement in theft, misuse of power and embezzlement etc.

(xi) sanction leave due to the staff working under him.

(xii) look after, maintain and manage the Hospital buildings equipments, infrastructure, roads alongwith the campus of the Hospital.

(xiii) purchase and provide the necessary medicines and other items needed for the patients care and treatment as per the guidelines of the purchase Committee of the Hospital/s duly approved by the Vice-Chancellor.

(xiv) carry out the assignments and take necessary actions under approval of the Vice-Chancellor on the recommendations of the Hospital Advisory Committee duly approved by the Vice-Chancellor.

(xv) maintain and periodically verify the stocks of hospital/s both central and departmental.

(xvi) get the periodical condemnation of the articles under consideration by the Condemnation Committee to be constituted by the Vice-Chancellor.

(xvii) recommend to the Registrar Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University to purchase the costly equipment/s needed as the basic infrastructure of the hospital.

(xviii) prepare the hospital budget and present to Vice-Chancellor for necessary action.

(xix) Furnish all information's and periodical returns to the Registrar as required for.

(16) The Medical Superintendent shall exercise such powers and perform such other duties as are delegated/assigned to him from time to time by the Vice-Chancellor.

(17) The Medical Superintendent/s may be removed and his services may be terminated if his work and conduct has been found to be not in the interest of the University.

Deputy Medical Superintendent

Section: 41 9.04 (1) There shall be Deputy Medical Superintendents preferably for each of the important units of " Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Associated Hospitals".

(2) The Vice-Chancellor at his discretion in the interest of the University, may allocate one and/or more units of the "Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Associated Hospitals" under care of one Deputy Medical Superintendent.

(3) The Deputy Medical Superintendents shall be a whole time employee of the University to look after and manage the Hospital/Hospitals of

the "Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Associated Hospitals" as assigned and decided by the Vice-Chancellor.

(4) The Deputy Medical Superintendents shall not have a right to do private practice of any kind or involve himself in any such activities.

(5) The posts of the Deputy Medical Superintendents shall be designated as that of "Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Associated Hospitals" and not earmarked specially to any of its Unit.

(6) The Deputy Medical Superintendents looking after and managing different Unit/s of "Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Associated Hospitals" shall be transferable from one unit to any other of the "Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Associated Hospitals" any time at the discretion of the Vice-Chancellor considering the recommendation of Chief Superintendent of Hospitals and/or Medical Superintendent.

(7) The Deputy Medical Superintendents shall be answerable and shall be under the control of the Vice-Chancellor/Chief Superintendent of Hospitals if any/Medical Superintendent.

(8) The Annual Confidential Report of the Deputy Medical Superintendents shall be written by the Medical Superintendent/Chief Superintendent of Hospitals/Vice-Chancellor.

(9) The Deputy Medical Superintendents shall be appointed by the Vice-Chancellor on the recommendations of a Selection Committee constituted for this purpose by the Vice-Chancellor. The Deputy Medical Superintendents however may also be appointed as on deputation from Government and quasi-government Departments/Institutions.

(10) The eligibility criteria for the post of Deputy Medical Superintendents shall be any person not below the rank of an Assistant Professor or equivalent possessing a postgraduate Medical degree with a preferred administrative experience.

(11) The Deputy Medical Superintendents shall be appointed first on a probation period of one year. The probation period, however, can be further extended by the Vice-Chancellor.

(12) The salary and the allowances of the Deputy Medical Superintendents shall be as determined by State Government of Uttar Pradesh.

(13) The Deputy Medical Superintendent while himself assisting the Medical Superintendent shall be assisted by the Assistant Superintendent to manage the Hospital/s under their charge.

(14) The Vice-Chancellor shall nominate any of the teachers of the University departments to officiate as the Deputy Medical Superintendent if and when the position is vacant.

(15) The Deputy Medical Superintendents shall exercise powers and perform such duties as are assigned/ delegated to him by the Vice-Chancellor/Chief Superintendent of Hospitals, if any or Medical Superintendent.

(16) The Deputy Medical Superintendents may be removed and his services terminated by the competent authority if his work and conduct has been found to be not in the interest of the University.

Assistant Superintendents

Section: 41 9.05 (1) The appointment of Assistant Superintendents shall be made by the Vice-Chancellor on the recommendation of the duly constituted Selection Committee by him.

(2) The Assistant Superintendents shall be appointed first on a probation period of one year. The probation period however can be further extended by the Vice-Chancellor.

(3) The salary and allowances of the Assistant Superintendents shall be as determined by the State Government of Uttar Pradesh.

(4) The Assistant Superintendents shall be answerable and under the control of the Chief Superintendent of Hospitals, if any, or Medical Superintendents.

(5) The Annual Confidential Report of the Assistant Superintendents shall be written by the Chief Superintendent of Hospitals, if any, or Medical Superintendents.

(6) The Assistant Superintendent shall perform such duties as assigned/delegated to him by the Chief Superintendent of Hospitals, if any or Medical Superintendent.

Hospital Advisory Committee

Section: 41 9.06 (1) There shall be a "Hospital Advisory Committee" to provide recommendations to the Vice-Chancellor for improvement and better functioning of the Hospital/s keeping in mind that an adequate patient care is given alongwith the maintenance of discipline and upholding the integrity and accountability of the system.

(2) The Hospital Advisory Committee shall consist of:-

(1) A nominee of the Vice-Chancellor from among the University Professors who shall be the Chairman.

(2) Five Professors of the Clinical and Para clinical Departments of the University by rotation in order of the seniority.

(3) Three Faculty Member of Scheduled Castes / Scheduled Tribes and three of other backward classes nominated by the Vice-Chancellor.

(4) Two Associate Professors by rotation on the basis of seniority in the cadre.

(5) One Assistant Professor on the basis of seniority in the cadre.

(6) Two distinguished citizens of Lucknow nominated by the Vice-Chancellor.

(7) Three persons – Faculty or Administrative from sister institutions one each from Balrampur Hospital, Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences and Ram Manohar Lohia Superspeciality Hospital, or any other reputed ones.

(8) Finance Officer of the University.

(9) Chief Medical Superintendent of the Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Associated Hospitals, if any

(10) All Medical Superintendent of the "Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Associated Hospitals".

(11) The University Proctor

(12) Hospital Matron

(13) The Principal of the University Nursing College

(14) The Registrar shall be the member secretary.

(3) The tenure of the members of the Hospital Advisory Committee shall be that of two years except those of supra 8,9,10,11,12,13.

(4) The recommendations of Hospital Advisory Committee shall be submitted to the Vice-Chancellor for necessary consideration.

289 RPH eng. Niyama

(5) There shall be only one Hospital Advisory Committee applicable to all the Units/Hospitals of "Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Associated Hospitals"

Hospital Purchase Committee

Section: 41 9.07

(1) There shall be a Central Purchase Committee to procure the material, different items, Hospital infrastructure, Medicines etc which are to be used for patient care, maintenance and improvement of the Hospital and its Campus.

(2) Following shall be members of the Hospital Purchase Committee:-

(1) Chief Medical Superintendent, if any or in his absence – the senior most Medical Superintendent. – Convener

(2) Medical Superintendent – senior most in case there are more than one Medical Superintendent.

(3) Two Professors of the Clinical and Para clinical Departments on rotation in order of the seniority.

(4) The Registrar or his representative.

(5) One Technical expert for the concerned items from reputed institutions to be nominated by the Vice-Chancellor.

(6) Finance Officer of the University.

(7) The Head of the Department / Incharge of indenting department.

(8) There shall be only one Central Hospital Purchase Committee applicable to different Units/Hospitals of "Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Associated Hospitals" duly represented by Scheduled Castes / Scheduled Tribes and other backward classes.

(9) The tenure of the members Hospital Purchase Committee shall be of two years except the ex-officio ones.

CHAPTER X

UNIVERSITY TEACHERS

FACULTY MEMBERS

Section : 41 10.01

(1) As per provisions contained in subsection (12) of section 2 of the Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Act, "teacher" means a teacher employed by the University for imparting instruction or guiding or conducting research in the University.

(2) The University teachers shall also be known as Faculty members of the University.

(3) There shall be following categories of teachers of the University:-

(a) Professor,
(b) Professor Junior Grade (Additional Professor),
(c) Associate Professor, and
(d) Assistant Professor.

(4) As per provisions contained in sub-section(1) of section 35 of the Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Act the teachers shall be appointed by the Executive Council only on the recommendation of the Selection Committee as defined in sub-section(4) of section 35 of the Act and provisions of The Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 as amended from time to time.

Statute 10.01 (3) - Amended vide the King George's Medical University, Uttar Pradesh (Amendment) Statutes, 2019.

(5) Teachers shall not be appointed on adhoc basis.

(6) The eligibility criteria – qualification, experience and publication etc - for various category of teachers mentioned hereinbefore shall be such as specified for the Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, Lucknow from time to time:

Provided that minimum eligibility criteria laid down by the Medical Council of India/Dental Council of India/other regulatory bodies from time to time shall be strictly followed by the University.

(7) A teacher shall be a full time consultant for the indoor patients and likewise for the outdoor patients along with their responsibilities as teachers.

(8) The eligibility criteria for the teaching positions, whose disciplines do not figure in the recommendations of the Medical Council of India/Dental Council of India, shall be as determined by the Vice-Chancellor under the approval of Academic Council /Executive Council.

(9) The contributions of a teacher in the specialty unit of the university shall be counted for future selections while establishing that specialty department in the university

(10) The appointment of the University teacher/s shall be on a whole time basis. He shall be a full time employee of the University.

(11) Teachers shall be appointed initially on probation for a period of one year which can be further extended for one more year by the Executive Council on the recommendation of the Vice-Chancellor.

(12) The payscales and allowances which are admissible to teachers of the University will be such as are admissible from time to time to faculty members as the SGPGIMS subject to the declaration by the State Government.

(13) The Annual Confidential Report of the teachers below the rank of Professor shall be initiated by Heads of their concerned department which shall be reviewed by the Deans. However, the Annual Confidential Report of Professors shall be initiated by the respective Deans of the faculty and accepted by the Annual Confidential Report Committee headed by the Vice Chancellor. The Annual Confidential Report Committee shall consist of Vice Chancellor, the Deans, one Scheduled Castes / Scheduled Tribes and one other backward classes professor.

(14) A teacher like any other University employee shall be suspended and be terminated by the Executive Council on the recommendations of the Vice-Chancellor on the grounds of- misconduct, wilful negligence of duties, insubordination, disobedience, conviction, moral turpitude, financial irregularity, embezzlement, dereliction of duties and activities amounting to the unbecoming of a University teacher.

(15) Annual Confidential Report of every teacher shall be approved by the Annual Confidential Report Committee and be kept with Registrar Office.

Selection Process

Sections: 34 and 41 — 10.02 (i) Vacant statutory position/s of a Faculty shall be advertised and its information shall also be widely circulated with due mention of roster of reservation.

(ii) Applications duly completed in all respects received in response to advertisement/information shall be scrutinized for having fulfilled the prescribed eligibility criteria.

(iii) Short listing of the candidates to be called for interview shall then be done by a 'short listing committee' comprising of maximum five

Statute 10.01 (6) & 10.06 (12) - Amended vide the King George's Medical University, Uttar Pradesh (Amendment) Statutes, 2019.

professors with due representation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes and other backward classes professors

Ordinarily a maximum of Ten eligible candidates can be called for interview for one post.

(iv) The Selection Committee shall be constituted as per provisions of the Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Act duly represented by the Schedule Castes / Schedule Tribes and other backward classes members nominated by the State Government.

(v) The names of the experts in the Selection Committee shall be kept confidential and measures in this regard be taken by the Vice-Chancellor as deemed fit to ensure it.

(vi) The Selection Committee shall be convened – date/time/place under the orders of the Vice-Chancellor.

(vii) The Selection Committee while submitting its recommendations shall enlist the name of candidates in order of merit. The order of the merit shall be separate for General, Scheduled Castes / Scheduled Tribes and other backward classes of the candidates interviewed by the Selection Committee as per requirement of the advertisement and shall be placed in roster of reservation.

(viii) The Selection Committee shall recommend only one candidate against one vacant advertised post. In case there are more than one post, the recommended candidates shall be listed as per Merit of the specified category.

(ix) It shall be open to the Selection Committee to provide a waiting list of candidate for Single Post Cadre only.

(x) The Selection Committee ordinarily if so desired shall not recommend more than one name in the waiting list against each post which shall again be of the next Merit of the candidate selected.

(xi) The Committee shall be apprised of the aforesaid provisions before the process of interview is commenced.

(xii) The seniority of the selected candidate/s who shall join on the appointment made by the Executive Council shall be determined as per provisions laid down in the Statutes consistent with the prevailing Government Orders under the chapter "Seniority of Teachers".

PERSONAL PROMOTION OF TEACHERS

Section: 41 10.03 (1) The personal promotion of teachers shall be made in accordance with the provisions contained in G.O. No. 69/2015/2381/71-2-15-KGMU-61/2014, dated August 11, 2015. However, equivalence of pay scales and allowances to the teachers of Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, Lucknow shall be with following conditions-

(i) The scheme of personal promotion is based on the need of recognizing outstanding contribution, academic performance and the Annual Confidential Reports.

Statute 10.03 - Amended vide the King George's Medical University, Uttar Pradesh (Amendment) Statutes, 2019.

(ii) The Personal Promotion is virtually a merit promotion. It is applicable to the individual concerned. It is not the promotion of the post. In personal promotion a teacher is given a higher designation of Associate Professor, Professor Junior Grade (Additional Professor) or Professor, as the case may be, without elevation of the post from which he has been promoted from. The substantive post held by him i.e. Assistant Professor or Associate Professor or Professor Junior Grade (Additional Professor), as the case may be, shall remain liened with him. The personal promotion is a designation promotion. However, the reservation in promotion shall be adhered at every level under prevailing law/Government Orders drawn on roster of reservation for promotion.

On the retirement or superannuation of the promoted Associate Professor or Professor Junior Grade (Additional Professor) or Professor the substantive post originally held by him shall become vacant against which a new statutory appointment shall be made.

(iii) The teacher promoted to Associate Professor or Professor Junior Grade (Additional Professor) or Professor shall not be confirmed on the promoted designation if there is no post against which he has been promoted. The promoted Associate Professor or Professor Junior Grade (Additional Professor) or Professor as the case may be shall remain confirmed on his substantive post earlier held by him.

(iv) The personal promotion from Assistant Professor to Associate Professor and from Associate Professor to Professor Junior Grade (Additional Professor) and Professor Junior Grade (Additional Professor) to Professor being only a personal change in designation and not an appointment against any sanctioned post, the teaching, clinical and other work load as assigned to him while occupying the original substantive post of Assistant Professor or Associate Professor or Professor Junior Grade (Additional Professor), as the case may be, shall be carried forward with him on the promoted position. Accordingly therefore the entitlement of work load of personal promoted teacher while remaining the same shall not be that of a cadre selected Associate Professor or Professor Junior Grade (Additional Professor) or Professor as the case may be.

(v) The preferential criteria and terms to be adopted in selecting a teacher for promotion from Assistant Professor to Associate Professor, Associate Professor to Professor Junior Grade (Additional Professor) and Professor Junior Grade (Additional Professor) to Professor -

a) Personal Promotion shall be given only on the recommendation of the statutory Selection Committee duly constituted.

b) The selection committee for the promotion of a teacher from Assistant Professor to Associate Professor, Associate Professor to Professor Junior Grade (Additional Professor) and Professor Junior Grade (Additional Professor) to Professor shall be same as that for a direct recruitment of respective position.

c) The teacher concerned must possess the eligibility criteria – qualification, experience and publication etc. as specified for the Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, Lucknow from time to time:

Provided that minimum eligibility criteria laid down by the Medical Council of India/Dental Council of India/other regulatory bodies from time to time shall be strictly followed by the University.

d) The teacher concerned should have made a merit mark in areas of scholarship and research as evident by the number and quality of publications, contributions to medical education, examination work, administrative work enhancing the academic ambience, academic integrity and academic discipline of the University.

e) The teacher concerned should have achieved an outstanding recognition in teaching, research, publication/books and professional outcome.

f) The teacher concerned should have been recognized for his valuable merit either by the University, professional association, national and international funding agencies, the Government of Uttar Pradesh/India or by any other reputed statutory or non-statutory bodies.

g) The teacher concerned should have a significant and recognized innovation in the field of medical profession, teaching and research.

h) The teacher concerned should have participated in national and or international workshops, seminars, updates and conferences. However, any post of Professor / Professor Junior Grade (Additional Professor) / Associate Professor for reserved category shall not be kept vacant and the above criteria may be relaxed to fill those posts of reserved category, if needed.

Procedure to be adopted for Promotion

10.04 The teacher considering himself eligible in terms of aforesaid merit for his personal promotion from Assistant Professor to Associate Professor or from Associate Professor to Professor Junior Grade (Additional Professor) or from Professor Junior Grade (Additional Professor) to Professor should apply to the Registrar of the University with following documents-

(i) Self assessment about his performance in the last four years.

(ii) Outstanding contribution in terms of academic performance, research, teaching, training, professional outcome and scientific contribution made during the last four years.

(iii) Recognition/distinctions and awards earned during the last five years.

(iv) Any other matter/material which the teacher concerned feel shall lend a merit to his case.

The teacher concerned shall apply and submit these information under separate heads through the respective Head of the Department to the Registrar at a time when he attains the eligibility for personal promotion.

The Selection Committee shall interview the teacher concerned and critically evaluate him in terms of his suitability for the personal promotion of Associate Professor, Professor Junior Grade (Additional Professor) and Professor as the case may be. The Selection Committee may recommend or may not recommend the concerned person for a promotion. The Selection Committee may recommend one teacher or none for promotion among the candidates interviewed by it depending upon the merit and suitability of the teacher concerned consistent with the rules of reservation being in force at that time.

(v) The recommendation of the Selection Committee shall be placed before the Executive Council for consideration.

(vi) A communication shall be made from the Registrar to the concerned teacher whose name has been duly recommended by the Selection Committee and approved by the Executive Council for promotion designating him as an Associate Professor / Professor Junior Grade (Additional Professor) / Professor (Under Personal Promotion Scheme) from date of his joining the new position.

Statute 10.04 - Amended vide the King George's Medical University, Uttar Pradesh (Amendment) Statutes, 2019.

(vii) The concerned teacher promoted under personal promotion scheme shall be entitled to service protection, seniority benefit salary and other allowances as that of a regular Associate Professor, Professor Junior Grade (Additional Professor) and Professor from the date of his substantive appointment for the respective promotion.

10.05 **Procedure to be adopted in case of teacher who failed to be selected by the Selection Committee**

(1) **Those who have failed to be selected for personal promotion shall be given three more successive attempts each after the lapse of one year.**

(2) **Those who failed to be selected even after subsequent three attempts shall be given one more chance after the lapse of another two years. That shall be the final and if he fails to be selected, no more chance shall be given thereafter.**

CONTRACT/UNDERTAKING- BY TEACHER

Section. 41 (d) 10.06 (1) **sub-section (1) of section 37 of Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Act says—**

"except as otherwise provided by Statutes, no salaried officer and teacher of the University shall be appointed except under a written contract which shall be consistent with the provisions of the Act, the Statutes and Ordinances".

(2) A contract or an undertaking shall be taken/enforced between the University and a person before his joining as a teacher-Faculty Member at King George's Medical University Uttar Pradesh, Lucknow. The Format of this Notarized/ Bilateral Contract/Undertaking made on the Stamp Paper shall be-

"I .....S/o ..... resident of ..... who is joining as Assistant Professor/ Associate Professor / Professor Junior Grade (Additional Professor) / Professor in the Department of ..... at King George's Medical University Uttar Pradesh do hereby undertake and solemnly affirm that I shall abide with all provisions laid down in the Act / Statutes / Ordinances of the University. In the event of any violation in this behalf, my services shall stand terminated.

(Signature) (Sign. Of Employee)
Registrar Employee Name
KGMU UP

Dated,.....

Witness:-

1.....

2.....

CONDUCT OF TEACHERS

Section: 41(d) · 10.07 (1) **A teacher shall at all time possess and maintain an absolute Academic integrity, Financial integrity, Professional integrity and Administrative integrity.**

(2) **Every action of a teacher shall be accountable.**

Statute 10.06 (2) - Amended vide the King George's Medical University, Uttar Pradesh (Amendment) Statutes, 2019.

(3) A teacher shall be dismissed or removed/ terminated from the services on account of being "Unbecoming of a teacher" which interalia shall include one or more of the following —

(1) Wilful neglect of duties
(2) Dereliction of duties
(3) Academic dishonesty
(4) Plagiarism
(5) Providing wrong informations
(6) Submission of Fake documents
(7) Impersonation
(8) Academic and Professional incompetence
(9) Moral turpitude
(10) Embezzlement/scams/scandals.
(11) Breach of Trust
(12) Breach of Contract/Undertaking
(13) Vitiating the academic ambience
(14) Not observing the Academic, Financial, Professional and Administrative integrity.
(15) Involvement with anti-social elements
(16) Involvement in actions defaming the University
(17) Involvement and/ or instigation of creating indiscipline in the University.
(18) Involvement and or instigation of the criminal activities.
(19) Involvement and/or instigation of the strike and other unlawful activities including damage of the University property.
(20) Possessing or carrying the unlawful arms and ammunition.
(21) Involvement or a party to terrorism in the University or outside.
(22) Involvement in active politics inside the university premises
(23) Involvement/indulgence himself/herself in private practice directly or indirectly.
(24) Involvement in discriminative or biasness on the basis of caste, religion or region.
(25) Slackness in teaching as well as patient care

(3) A teacher shall not divulge any confidential information — whether academic, administrative or professional.

(4) A teacher shall carry out without fail all the instructions/directions/orders issued by the Competent authorities.

(5) A teacher shall comply with all the provisions laid down in the Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Act/Statutes/Ordinances.

(6) Every teacher shall be treated as a public servant defined in prevailing Laws.

CHAPTER-XI

ENTRY AND SUPERANNUATION AGE OF TEACHERS

Section: 41(d) 11.01 (1) There shall be no maximum age limit for any person applying for an appointment as a teacher provided that he has not attained the age of superannuation as applicable at that time.

(2) The age of super-annuation of a teacher of the University shall be Sixty-five years.

RE-EMPLOYMENT OF TEACHERS

Section: 41(d) 11.01 (1) **A teacher whose date of superannuation falls after June 30 of the year may continue in service as a re-employed teacher in the running academic session ending on June 30 of the year next.**

(2) A teacher may be engaged on contract basis till the age of Seventy years on yearly basis for his indispensability in terms of his service and support to the academic, research, teaching, patient care, sound health and the corporate life of the University.

(3) **A teacher may be awarded a re-employment on the same post for a maximum of two years for his having been decorated by National Awards — Padma awards, Dr. S.S. Bhatnagar award and Dr. B.C. Roy National award.**

(4) No teacher shall be re-employed or re-engaged after he attains Seventy years of age- on any basis or pretext whatsoever.

(5) **The re-employed teacher who was a Head of a teaching Department at the time of his re-employment shall not continue to hold the office of Head ship.**

RETIREMENT

Section: 41(d) 11.03 (1) A teacher shall retire on attaining the age of superannuation. This shall mean that unless otherwise any specified order is given to engage the teacher, he shall retire at the age of Sixty-five years.

(2) **A teacher after retirement shall be entitled for all the retirement benefits as applicable under the rules of the State Government at the time of his retirement.**

(3) **A teacher shall be paid all his retirement dues within a period of thirty days from the date of his retirement. This shall be subject to any other decision taken by the University for withholding part or all dues as per rules for reasons justifying the action in this behalf.**

(4) **The University may, however, consider to felicitate a teacher at the time of his retirement for his eminence and his outstanding contribution made during his service as a teacher in the University.**

11.04 (1) **There shall be no provision of voluntary retirement to be given to any teacher or any employee of this medical university. This is for guarding the interest of the University by not encouraging the medical teacher to prematurely leave the institution for the green pastures. This becomes more important in view of likely severe shortage of teacher due to increasing trend of good quality persons not willing to join the main academic stream of the medical university.**

(2) **A teacher shall be compulsorily retired by the University for his misconduct/and or his doings which are "Unbecoming" of a University teacher. The compulsorily retirement can be made at any stage of the service of a teacher. The teacher compulsorily retired on the above grounds shall not be entitled to derive any of the retirement benefits as applicable to the teachers retiring at their superannuation. A teacher or any other employee can also be retired compulsorily if he is found unfit to discharge his duties either on medical or any other grounds. In such cases the teacher/employee shall be paid all the due retirement benefits.**

(3) **There shall be no provision for conditional resignation.**

Statute 11.01 (2) & 11.02 (2) & 11.02 (4) & 11.03 (1)- Amended vide the KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY, UTTAR PRADESH (AMENDMENT) STATUTES, 2018.

TERMINATION

Section 41(d) 11.05 A teacher shall be terminated at any stage of his service on the proven charges of misconduct and of "Unbecoming" of a teacher. A proper laid down procedure shall be adopted before terminating the services of a teacher/employee. This shall include the processing of his case through a fact-finding Committee, an enquiry Committee, issuing a charge sheet, and a show cause notice.

SUSPENSION

Section 41(d) 11.06 (1) A teacher shall be suspended on the charges of misconduct, or being "Unbecoming" of a teacher pending an enquiry and the action to be taken as per the laid down procedure.

(2) The period of suspension shall continue until such time that action is taken against him through the laid down procedure either to punish him or exonerate him.

(3) The suspension is not a punishment.

(4) A teacher on being found guilty can be given punishment commensurate to the charges levelled against him. It shall include withholding of salary increment for a varied period, with holding his promotion, his demotion, compulsory retirement and termination from his service.

LEAVE

Following kinds of leave shall be permissible for the teachers.

Section 41(d) 11.07 (1) **Casual leave:** A teacher shall be entitled to avail casual leave for fourteen days during each calendar year i.e. January 01 to December 31. The casual leave shall not be pass forward and therefore cannot be cumulatively accumulated. The teacher shall have only one option either to pre or to post affix the casual leave with any University holidays including Sundays.

(2) **Earned leave/Privilege leave:** A teacher shall be entitled to earned/privilege leave as per rules of State Government. The University teacher belonging to the vacation department shall be entitled for the summer and winter holidays. The summer and winter vacation in the University system shall respectively of two and one month. A teacher of the medical university shall be entitled only to avail the summer vacation for one month and winter vacation for fifteen days. He shall be entitled to earn the privilege leave for the remaining unveiled vacation period as per Government rules.

(3) A teacher shall have to avail the entitled vacation unless he is detained to work by the University for certain specific cause. A casual leave cannot be combined with the earned, privilege, vacation or any kind of leave.

(4) A teacher shall also be entitled for medical, maternity, paternity leave as per rules of the State Government.

(5) **Duty leave:** A teacher shall be entitled to avail fifteen days duty leave in a calendar year. The duty leave shall be used only for the purpose of participating in the academic and scientific meetings, other important meetings going out for taking examinations and for involvement in other academic/research activities.

(6) **Special leave:** A teacher under special circumstances, may be given a special leave up to 15 days in each calendar year granted by the Vice-Chancellor leave for attending to and certain special work in the interest of University.

(7) **Leave without pay:** A teacher may be given leave without pay for a period of five years during his entire service of the University by the Vice-Chancellor.

In exceptional cases of teachers of the University working in any other higher State/National Government Institution as Head of the institution i.e. Vice-Chancellor/Director/Principal etc. or other Higher rank therein, the aforesaid leave without pay may be extended for a further period not exceeding five years by the Executive Council.

(8) Casual leave/Earned leave/Privilege leave/Vacation leave/ can be availed only when it is due to a respective teacher.

(9) No vacation shall be given to a teacher under probation.

(10) Leave of any kind can not be availed as a matter of right. The Vice-Chancellor at his discretion can refuse any kind of leave in the interest of University.

(11) No teacher shall proceed on leave without a prior sanction.

(12) The authority to grant leave to a teacher (except the casual leave) shall rest with the Vice-Chancellor taking into consideration the interest of the University.

LIEN/DEPUTATION

Section: 41(d) 11.08

(1) A teacher may be given a lien or deputation for the service rendered at any other institution. In both cases it shall be in the form of leave without pay.

(2) The lien/deputation shall be permissible while keeping the interest of the University supreme.

(3) The lien/deputation shall only be provided if absence of the teacher during this period shall in no case adversely affect the teaching training/research activities of the University.

(4) The Vice-Chancellor, while safeguarding the interest of the University can at his own discretion refuse the application for lien/deputation.

(5) A teacher shall be entitled to return back to the university at his original position after completion of lien period or even earlier as the case may be.

(6) A lien for a period mentioned in statute 11.07(7), may be given to a teacher during his entire period of service in the University. This may be in one stretch or a different periods.

(7) The service rendered out side the university by the teacher during his lien period shall be counted in the number of years of the services at this University. As such the period spent on lien shall be counted for seniority or eligibility for personal promotion in the University.

(8) The lien shall be granted only if the other institution is of higher status than the University or to a Government institution to promote its development.

(9) No leave shall be granted to a teacher under probation.

Section: 41(d) 11.09

(1) A deputation shall be a leave without pay for a period mentioned in statute 11.07(7) if granted to a teacher whose services have been specifically being asked by another educational Institution or State Government or Government of India.

(2) In teacher's deputation – there shall be two parties -1 Donor i.e. the University and second Recipient (i.e. institution asking for his services).

(3) The donor i.e. University shall have the right to call back the teacher to the University at any stage of deputation under special circumstances. Like wise the recipient can return back or repatriate the teacher to his parent institution at any stage of period.

Statute 11.07 (7) & 11.08 (6) & 11.09 (1) - Amended vide the King George's Medical University, Uttar Pradesh (Amendment) Statutes, 2021.

(4) The recipient shall contribute towards General Provident Fund/Provident Fund and leave encashment/ Pension Contribution for the teacher during the period of his deputation.

(5) Other conditions as specified in respect of lien shall also apply to leave on deputation.

(6) That an agreement shall be signed between the two clearly specifying different terms and conditions of deputation.

SENIORITY OF THE TEACHERS OF THE UNIVERSITY

Section: 41(d) & 41(e) 11.10 (1) (a) A Professor shall be deemed senior to the Professor Junior Grade (Additional Professor), a Professor Junior Grade (Additional Professor) shall be deemed senior to an Associate Professor and an Associate Professor shall be deemed senior to an Assistant Professor.

(b) Subject to the provisions of the Act and the statutes made thereunder, the provisions of the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time, shall *mutatis mutandis* apply.

(2) A teacher ranked higher in order of merit by the Selection Committee, shall be senior to the others whose merit position is lower in the selection list. This shall be applicable irrespective of the date of joining.

(3) In cases where all parameters regarding the seniority of teachers being the same, the teacher who is senior in age shall be considered to be senior than the others.

(4) The teaching experience earned by the teacher in his earlier assignments before joining this University shall not be counted towards determination of his seniority in the University.

(5) There shall be no provision of pay protection for the teachers on the joining their duties in the University.

(6) The Vice-Chancellor shall constitute a seniority Committee comprising of three Senior Professors duly represented by senior faculty members belonging to Scheduled Castes / Scheduled Tribes and other backward classes categories and the Registrar which shall scrutinize and prepare the seniority list of teachers on the basis of parameters enunciated above

(7) The provisional seniority list shall be prepared and circulated amongst the teachers for objections, if any.

(8) Every dispute about seniority of a teacher of the University shall be referred to the Seniority Committee who shall decide the same giving reasons for the decisions.

(9) The final seniority list duly prepared as above and approved by the Vice-Chancellor shall then be placed before the Executive Council for its ractification.

(10) It shall be the duty of the Registrar to maintain a complete and updated seniority list in accordance with the provisions mentioned in the paras supra.

(11) After the appointment in the University, if any teacher duly appointed claims for counting the Seniority on the basis of previous experience, he/She should apply for the same with all supporting documents. The Registrar after scrutiny shall circulate the claim of the applicant among the probable affected teachers, Head of the Department and the Dean for the objections of the concerned.

The claim as well as objections show received shall be duly examined by a committee consisting of the Dean, Head of the Department and two members of Scheduled Castes / Scheduled Tribes

Statute 11.10 (1) (a) - Amended vide the King George's Medical University, Uttar Pradesh (Amendment) Statutes, 2019.
Statute 11.10 (1) (b) - Amended vide the King George's Medical University, Uttar Pradesh (Amendment) Statutes, 2021.

and other backward classes category and the Registrar, Observations of the Committee shall be put before the Vice Chancellor.

If seniority on the basis of experience is proposed to be awarded to the claimant, the matter shall be put up before the Executive Council for approval. However, if any ex-part benefit has been granted before the enforcement of this statute, the aggrieved person may apply for redressal of his grievances along with supporting evidence's within three months from the date of enforcement. In such cases after affording opportunity to the concerned the Committees constituted above shall examine the entire case and put its recommendation to the Vice Chancellor for onward decision of Executive Council. It is further provided that benefit already granted by Executive Council shall continue till otherwise decision of Executive Council.

DISCIPLINARY COMMITTEE

Section: 23(i) 11.11 (1) The Executive Council shall constitute, for such terms as it thinks fit, a Disciplinary Committee in the University which shall consist of the Vice Chancellor and four other persons nominated by it with one member of Scheduled Castes / Scheduled Tribes and one of other backward classes category in addition the registrar shall be the member secretary of the committee.

(2) If the Executive Council considers it expedient, it may constitute more than one such Committee to consider difficult cases or classes of cases.

(3) No teacher against whom any case involving disciplinary action is pending shall serve as member of the Disciplinary Committee dealing with the case.

(4) The function of the Disciplinary Committee shall be as follows.

(i) to decide any appeal preferred by an employee of the University.

(ii) to hold enquiry into case involving disciplinary action against a teacher or the Librarian of the University.

(iii) to recommend Suspension of any employee referred to in sub-clause (ii) above pending or in contemplation of inquiry against such employee.

(iv) to excercise such other powers and perform such other functions as may, from time to time, be entrusted to it by the Executive Council.

(5) The decision or the report of the Disciplinary Committee on the basis of evidences shall be laid before the Executive Council as early as possible, to enable the Executive Council to make its decision in the matter.

Liaison Officer

Section: 14(i) 11.12 (1) There shall be two special cells one for Scheduled Castes / Scheduled Tribes and the other for other backward classes headed by one Scheduled Castes / Scheduled Tribes Liaison Officer and one other backward classes Liaison Officer respectively.

(2) The Liaison Officer shall be designated by the State Government from the respective category of faculty members of the University as per University Grants Commission guidelines.

(3) The Liaison Officer shall monitor the implementations of reservation policy and the welfare schemes for respective category.

(4) Suggestions of the Liaison Officer shall be considered while nominating the members of respective categories in various committees at the level of university.

(5) The report and the recommendations of respective cell shall be discussed in the Executive Council at least every six months.

(6) The tenure of Liaison Officer shall be of three years.

CHAPTER XII

STUDENTS OF THE UNIVERSITY

Section: 41(o) 32 (6)(7) 12.01

(1) Students of the university will be one who is admitted to the under graduate, post graduate, diploma, PhD. or any other equivalent courses under the provisions of the Government Orders and admission Committee enforced at that time.

(2) No students admitted to the university in contravention of the provisions of clause (1) shall be permitted to take up any examination.

(3) Students admitted to the university shall follow the regulations, norms of ethics, behaviour, dress code, code of discipline inforce as decided by authorities as per requirement.

(4) Students of university shall not indulge into activities of politics, trade union or any such activities detrimental to educational atmosphere of university declared by authorities.

(5) Students of all caste creed and religion will get equal opportunity in education without biases.

(6) Students shall be allotted hostels as per regulations framed by the authorities.

(7) Not with standing any thing contained in the fore going clauses, Government Policy of reservation in admission, allotment of hostel and privilege to any welfare scheme for Scheduled Castes / Scheduled Tribes and other backward classes category will be followed.

ADMISSIONS COMMITTEE

Section: 23(g) and 32 12.02

(1) There shall be a Admissions Committee of the University the constitution of which shall be:-

(i) The Vice Chancellor as its Chairman.

(ii) All the Deans as members.

(iii) Controller of Examinations as Member Secretary.

(iv) All Head of the Departments /Incharge of concerned units.

Proctor.

(v) Two members of Scheduled Castes / Scheduled Tribes category.

(vi) Two members of other backward classes category.

(2) Admissions Committee shall have power to appoint such number of sub-committee as it thinks fit.

(3) Admissions Committee shall lay down the principles or norms governing the policy of admission for various courses of studies in the University.

(4) Subject to the provisions of sub-section (5), the Committee may issue direction, criteria or methods of admissions including the number of students to be admitted.

(5) Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act, reservation of seats for admission in any course of study in the university or its affiliated colleges or institutes, for the students

belonging to the Scheduled Castes / Scheduled Tribes and other backward classes categories of the citizen shall be made and regulated by such law or orders as the state government may by notification make in that behalf.

(6) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sectors, admissions to the undergraduate and post-graduate classes shall, subject to any orders of the State Government, continue to be governed by the provision applicable to the King George's Medical College immediately before the appointed date.

(7) No student admitted to the University in contravention of the provisions of this section shall be permitted to take up any examination conducted by the University, and the Vice Chancellor shall have the power to cancel any admission made in such contravention.

CHAPTER XIII

AFFILIATION OF MEDICAL/DENTAL COLLEGES/ NURSING COLLEGES / PARAMEDICAL SCIENCES COLLEGE

Section: 41 13.01 (1) Section 11 and sub section (xviii) of Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Act provides that "the University shall have the powers and duties to admit any Government or Private Medical / Dental / Nursing / Paramedical Colleges to the privileges of affiliation or recognition in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed and to withdraw or curtail any such privilege, and to guide and control the work of such college".

(2) The Institution concerned must be recognized by the Medical Council of India/Dental Council of India / Nursing Council of India and other statutory bodies as the case may be.

(3) It shall be a prerogative of the University either to accept or not accept the application of any institution seeking affiliation with Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University.

(4) Every application for affiliation of any Government or Private Medical / Dental / Nursing /Paramedical College shall be made so as to reach the Registrar not less than 12 months before the commencement of the academic session in respect of which the recognition is being sought.

Provided that the Vice-Chancellor may, in special circumstances reduce the said period in the interest of higher Medical / Dental / Nursing / Paramedical education to such extent, as may be deemed necessary.

(5) On receipt of the application alongwith other relevant documents including the processing fee from the institution, the University shall make inspection of the institution in terms of the facility, infrastructure, equipment, human resource, faculty, academic ambience, standard, its management, the discipline, the examination procedure and overall academic and professional status.

(6) Only after the processing of application if the Institution is found worth inspection, the Institution concerned shall be asked to pay the inspection fee.

(7) The inspection shall be done only after the receipt of inspection fee which shall be different from that of processing fee charged with the application.

(8) The Vice-Chancellor shall constitute an Inspection Committee for inspecting the Institution in question under ratification by the

Executive Council. The Committee shall consist of experts, administrators and academicians including Scheduled Castes / Scheduled Tribes and other backward classes representatives. However the Government can nominate members in the Inspection Committee.

(9) The T.A/D.A, transport and accommodation etc. of the members of Inspection Committee shall be borne by the Institution concerned. The Inspection Committee shall make a surprise inspection without giving any notice whatsoever.

(10) The inspection of the Institution shall be made on any date after having received the inspection fee.

(11) The institution seeking affiliation shall not do anything in terms of extra-ordinary hospitality, presentation of gifts, cash or kind to influence the members of the Inspection Committee.

(12) The Inspection Committee shall submit its recommendations within 36 hours from the date of inspection.

(13) The Inspection Committee shall submit report on a format requiring information, facts and figures against different items. The deficiency shall be spelled out clearly.

(14) The Inspection Committee shall only submit the facts and figures and overall impression about the institution.

(15) The Inspection Committee shall or shall not, recommend the institution for affiliation.

(16) The Registrar shall process the inspection report and then present to the Executive Council for approval or denial as the case may be.

(17) If the recommendation of the Inspection Committee is accepted by the Executive Council, it shall allow provisional affiliation for one term of a course of study on such terms and conditions it may deem fit.

(18) Periodic inspections shall be made each year for consecutive five years. Regular (Permanent) affiliation shall be granted only after five inspection reports are found in order and duly accepted by the Executive Council.

(19) The institution which fails to maintain the quality and quantity in teaching and examinations shall be disaffiliated immediately and debarred from further admission in the respective courses.

(20) The institution should have good reputation without any legal cases pending against it.

(21) The fee structure for the affiliation of the college with the University shall be as given in Appendix (B)

(22) There shall be two representatives of the University in the academic and management and Governing Committee of the institution.

(23) The appointment of the faculty of the Institution concerned shall be made by the Selection Committee consisting of:-

1. The Vice-Chancellor – Chairman
2. Director / Principal of the affiliating institutions
3. Head of the Department concerned of CSMMU
4. Head of the Department concerned of the affiliating institutions
5. Two / Three experts to be nominated by the Chancellor of the Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University (In case of a

Statute 13.01 (17)- Amended vide the KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY, UTTAR PRADESH (AMENDMENT) STATUTES, 2018.

Professor or Associate Professor three experts and at any other case two experts) with adequate representative of Scheduled Castes / Scheduled Tribes and other backward classes

6. Nominee of the Governing body of the affiliating institutions
7. One representative of Scheduled Castes and One representative of other backward classes of the university to be nominated by the Government.

The recommendations of the selection committee shall be considered by the Executive Council of Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University.

The expenditure in this behalf shall be borne by the institution concerned.

(24) The examination of the students of the affiliating institutions shall be conducted by the University.

(25) The theory examination of the students of the institution concerned shall be held at the same time on the same date as that of Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University students. The theory papers shall be held in the concerned institution or in special circumstances students may be asked to come to Lucknow for the purpose. The practical examination shall be held with the students of the University in the city of Lucknow or at the affiliating Institutions. The Controller of Examinations of the University shall conduct all the examinations.

(26) All necessary steps shall be taken by the University for maintaining the standard of education, and sanctity in examinations. There shall be no say or interference by the management of the institution in any matter whatsoever in this regard.

(27) All provisions of the Act, Statutes and Ordinances and Regulations of Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University shall be applicable to the affiliated institutions for maintaining the standard of examination and merit of the candidates.

(28) The admission of students to the institutions concerned shall be made on the identitical basis as that of University i.e. admission to Bachelor of Surgery and Bachelor of Medicine and Bachelor of Dental Surgery shall be made on the basis of Combined Pre Medical Test and Central Board for Secondary Education, while that of Master of Medicine/Master of Surgery/Master of Dental Surgery and super specialty courses on the basis of Post Graduate Medical Entrance Exams and Central Board for Secondary Education.

For admission to B.Sc. Nursing / Paramedical courses, the entrance test shall be conducted by the Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University as per guidelines of Nursing Council of India and other statutory bodies.

(29) There shall be no management seat in any courses of the institution seeking affiliation to the University.

(30) The affiliation seeking Institution will have to furnish an affidavit that the fee charged to the students is as per the norms fixed by the Government.

(31) If any of the above eligibility criteria is lacking and or the institution fails to concede to the aforesaid specified terms and conditions, no further inspection shall be done and the application shall not be processed further.

(32) The disaffiliation can be done at any stage when it is found that the institution has failed to maintain discipline, academic sanctity and ambience and/or charging fees etc much more than specified.

(33) Due provision will, so far as the circumstances permit, be made for the residence of the Principal / Director and the Teaching Staff in or near the College, Institute or the place provided for the residence of Students.

(34) After affiliation being granted all changes effected in the management, teaching staff and other changes effecting the conditions and terms of affiliation will forth-with be reported to the University.

(35) That any scheme of Compulsory Provident Fund etc. laid down by the Government / University will implemented by the Management.

(36) That the College / Institution shall conduct in a disciplined and orderly manner any University Examination which may be assigned to it as examination centre by the University, and shall abide by the directions and rules issued in this regard by the University. Any failure to comply with the same will make the College liable for such disciplinary action as may be considered essential by the University including initiation of proceedings for the purpose of disaffiliation such a College by the University.

Provided that nothing contained in clauses 31, 32, 33 and 34 supra will be applicable to application made by the Government.

The Constitution of the Governing Body of every Institution shall provide that –

a) The Principal / Director of the College / Institution shall be ex-officio member of the Governing Body.

b) Twenty five percent of the members of the Governing Body are teachers excluding the Principal / Director duly represented by Scheduled Castes / Scheduled Tribes and other backward classes teachers.

c) The teachers excluding the Principal/Director referred to in clause (b) are such members for a period of three years by rotation in order of seniority.

d) No change in the said constitution shall be made except with the prior permission of the Vice-Chancellor.

e) If any question arises whether any person has been duly chosen as, or is, entitled to be member or office bearer of Governing body or whether the Management is legally constituted the decision of the Vice-Chancellor shall be final.

f) The College / Institute shall required to place before any person or persons authorized by the Vice-Chancellor or before the panel of Inspectors appointed by the University all original documents pertaining to income and expenditure of the College / Institute including the accounts of the Institution / Society / Trust / Parent Body under which it may be operating.

g) The income from the endowment funds referred to in the preceding statute shall be available for maintenance of the Institution.

Note:

(1) No refund will be allowed after sending the proposal / affiliation applications etc. to the State Government for consideration and orders.

(2) Affiliation fees (Fresh, Renewal / Continuation additional course) shall be paid in the form of Demand draft in the name of the Registrar of the University.

(3) Applications received for affiliation (Fresh, Renewal / Continuation / Additional courses or subject) with the affiliation fees, after the due date shall only be considered on payment of late fee as follows:

(a) Grace period after the date fixed by the University of the preceding academic year is 15 days with a late fee of Rs. 50,000/-

(b) Late fee of Rs. 75,000/- after 15 days fixed by the University of the preceding year but not beyond 30 days.

A College affiliated to the Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Uttar Pradesh, Lucknow shall fulfil the following conditions:—

a) Every affiliated college shall have a duly constituted governing body consisting of not more than 15 persons approved by the Executive Council including among others, at least three representatives of the teaching staff of whom the Principal / Director of the College / Insititution shall be on the two representatives of the Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Uttar Pradesh, Lucknow as may be provided by the Ordinances. Provided that a college maintained by the Government shall have an Advisory Committee consisting of such number of members not exceeding 15 as the Government may determine of whom at least three shall be the teachers in the college including the Principal and two shall be representative of the University.

b) The college shall abide by the Statutes, Ordinance and Regulations of the University framed from time to time.

Provided further however, that continuation of affiliation for existing courses of study and extension of affiliation for follow on courses may be granted by the Executive Council in consultation with Academic Council.

The conditions of services of teachers in the colleges affiliated to the Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Uttar Pradesh, Lucknow shall be as prescribed by the Statutes framed in this behalf from time to time.

Every affiliated college shall be inspected ordinarily once every year by a Committee appointed by the Vice-Chancellor, the Executive Council shall consider such a report and the recommendations contained therein.

The affiliation granted to a college by the University may be withdrawn in whole or in part or modified if the college has failed to comply with any of the provisions of the conditions of affiliation in accordance with section 11(viii) of Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Act-2002 as amended.

CHAPTER XIV

CONVOCATION

Section: 41(p) 14.01 (1) A Convocation for conferring degrees, diploma and other academic distinctions may be held by the University once in a year and at such time as the Chancellor may approve.

(2) The Convocation shall consist of the person s as specified in Section 3 of Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Act constituting the body corporate of the University.

(3) As provided in Section 3 of Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Act, the Chancellor, Vice-Chancellor and the members of the Executive Council and the Academic Council for the time being holding office as such in the University shall constitute a body corporate by the name of Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University.

(4) The Hon'ble Chancellor shall approve the name of the Chief Guest of the person to deliver to the convocation address.

(5) The Hon'ble Chancellor shall approve the name of the person/persons to be awarded to the doctorate of science honoris causa.

CHAPTER XV

MISCELLANEOUS

Section: 41(q) 15.01 (1) The income of Hospitals of the University shall be utilized for welfare of students, patients, teachers and other employees of University as well as for the University and shall be auditable according to the provisions of section 47(2) of the Act.

(2) The report of expenses under aforesaid statutes shall be sent to Executive Council.

(1) The University may institute and award, Scholarships, Fellowships, Medals and other prizes in accordance with the laid down provisions.

CHAPTER XVI

PART-1

CONDITIONS OF SERVICES OF NON-TEACHING STAFF OF THE UNIVERSITY

Section 41(q) 16.01 In this chapter the officers of the University, Chief Superintendent, Superintendent and Deputy Superintendent shall not be included.

16.02 **Option:** All the employees who are already working in the University will have an option to continue under their old service rules if they submit a written request within 15 days from the date of publication of these Statutes.

16.03 There shall be following services of Non Teaching staff in the university, which will be grouped in the categories shown against them :-

Group A
1. Technical Services grade II

Group B
2. Nursing Services grade II
3. Pharmacist services grade II
4. Sanitary Service Grade II
5. Audit and Account Service Grade II
6. Dental Sciences Grade II

Group C
1. Ministerial Services
2. Nursing Services grade III
3. Pharmacist services grade III
4. Para Medical Services
5. Subordinate Administrative Services
6. Technical Service
7. Sanitary Services

8. Audit and Account Service
9. Dental Services

Group D — Class IV Employees Services

Provided the Executive Council shall have power to constitute any more ordinary or special cadre of employees in this chapter as per requirement with prior approval of State Government.

16.04 The services of each group (mentioned in 16.03) shall be as under :

(i) Group-A

Deputy Registrar
Assistant Registrar
Senior Matron
Prabhari Officer (Pharmacists)
Senior Public Relation Officer (Senior most)
Senior Administrative Officer
Senior Medical Officer cum Administrative Officer
Senior Clinical Pathologist
Whole Time Anesthetist
Senior Medical Officer
Casualty Medical Officer
Executive Engineer Civil/Electrical
Bio Medical Engineer
Computer System Officer

(ii) Group-B

Matron
Principal Tutor
Assistant Matron
Provisional Nursing Services Tutor (PNS Tutor)
Operation Theatre Supervisor
Public Health Nurse Tutor (PHN Tutor)
Chief Pharmacist
Public Relation Officer
Administrative Officer
Assistant Engineer Civil/Electrical / Electronic / Computer / Biomedical
Sanitary Officer / M.O. Sanitary
Audit and Account Officer
Deputy Librarian
Dental Discipline

(iii) Group-C

Stenographer Grade I
Stenographer Grade II
Social Worker
Store Keeper
Inquiry Clerk

Steward
Office Superintendent
Assistant Office Superintendent
Accountant
Bill Clerk
Purchase Assistant
Senior Clerk
Junior Clerk/Record Keeper
Accounts Clerk (Resident Hostel)
Accountant cum cashier
Ward Technician
Reception cum Registration clerk
Technical Cadre
Vocational rehabilitation Officer
Vocational Counselor
Physiotherapist
Occupational Therapist
Physical Training Cum Inspector cum
Recreational Therapist Masseur
Workshop Supervisor
Prosthetic Supervisor
Orthotic Supervisor
Leather work Supervisor
Leather Technician
Woodwork Technician
Prosthetic Master
Senior Prosthetic
Prosthetic Mechanic
Brave Padre
Senior Lab Technicians
Lab Technician
Audiomatory Technician
EEG Technician
EKG Technician
ECG Technician
OT Technician
Technician (Surgery)
Technician (Cardiovasoular)
Technician (Plastic)
Technician (Orthopedic Surgery)
X-ray Technician
Radiographer
Dark Room Assistant
Health Visitor

			Electric Mistri
			Electric Technician
			Instrument Mechanic
			Refrigerator Mechanic
			Mechanic Electric
			Mechanic
			Technician cum Store Keeper
			Driver
			Medical Social Worker
			Draft Man
			Remedial Gymnast
			Senior Prosthetic
			Hosiery Machine Operator
			Leather Worker
			Junior brash Maker
			Black Smith
			Typist
			Skilled Helper
			Photographer
			Dental Discipline
(b)		Nursing Cadre	Sister
			Staff Nurse
(c)		Pharmacist Cadre	Pharmacist
	(iv)	Group-D	Lab Attendant
			Tailor
			Head Safai Karamchari
			Head Sick Attendant
			Head Peon
			Bundle Lifter
			Record Boy
			Daftari
			Khit
			Peon
			Chowkidar
			Fitter
			Welder
			Runner
			Caretaker
			Plumber
			Liftman
			Diet Distributor
			Timekeeper
			Cook

Dhobi
Mali
Female (Sick Attendant)
Sick Attendant
Security Warden
Barber
Cleaner
Mate
Kahar
Majdoor
Museum Attendant
Painter
Black Smith
Carpenter
Cobbler
Female Safai Karamchari
Safai Karmachari

Section20(4), 41(q) 16.05 **Recruitment/Promotion:**

The recruitment/promotion on different posts in different services shall be made by the respective appointing authority on the recommendations of the recruitment board/promotion committees which shall be constituted as follows

(i) (i) The Registrar or a person nominated by him, shall be the chairman.

(ii) One Head of the Department nominated by Vice-Chancellor.

(iii) One member of Scheduled caste (SC) and one other backward class (OBC), from amongst the teachers of the University to be nominated by the appointing authority.

(iv) In case of technical services one expert of the concerned branch to be nominated by the Registrar.

(v) Roster of reservation shall be in all types of appointment for Scheduled Castes / Scheduled Tribes and other backward classes under statute (1.05 and 1.06) and applicable under law. Every selection shall be invalidated on the ground that selection committee was not properly constituted.

(vi) There shall be reservation in promotion for Scheduled Castes / Scheduled Tribes Non teaching staff or officers at every level by separate list through Departmental Promotion Committee.

(vii) Departmental Promotion Committee shall be as follows- The Registrar or his representative-Chairman, Head of the Department Concerned -Member, One Member from Scheduled Castes / Scheduled Tribes & one other backward classes teacher nominated by the appointing authority.

Departmental Promotion Committee shall be constituted as amd when required for fulfilling quota or the vacancy at every level.

	16.06	The strength of the services and each category of posts therein shall be such as may be determined by the Executive Council and approved by the State Government from time to time.
Sections 20(4) and 41(q)	16.07	**Determination of vacancies for Appointment:** the registrar shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as per prevailing reservation laws of the State Government.
Sections17(9), 25(1)(XV) and 41(q)	16.08	**Eligibility for recruitment and promotion:** Age, qualification and experience for appointment / promotion on different posts shall be same as prescribed by the Government. However the relaxation in preferential qualification, experience and age in case of requirement may be determined by Executive Council of the University. Reservation in promotion for all non teaching staff of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees shall be by separate list under statutes (1.06).
Section 41 (q)	16.09	**Recruitment:** The vacancies to be filled by direct recruitment shall be notified in the following manner :- (a) by issuing advertisement in daily newspaper having wide circulation; (b) by pasting the notice on the notice board of the office or by advertising through Radio/Television and other Employment newspapers; and (c) by notifying vacancies to the Employment Exchange
Sections22(41) and41(q)	16.10	After the recommendation of the Recruitment Board for appointment is approved by appointing authority, the appointment letter shall be issued by the Registrar Office.
Section 41(q)	16.11	**Canvassing:** No recommendations, either written or oral, other than those required under the conditions of advertisement of the post and applicable to the post or service will be taken in to consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for her/his candidature will disqualify her/him for appointment.
Section 41 (q)	16.12	**Appointments/Promotions:** The Registrar shall be appointing authority for Class III and Class IV employees. The appointing authority shall make appointments by taking the names of the candidates in the order in which they stand in the relevant list prepared by the selection committee as per the roster under reservation rules of the Government, but in case of promotions I n the order of roster as it stood in the cadre from which they are promoted. For SC & ST candidates separate promotion list as per government order will be prepared and acted upon.
Sections 20(4), 41(q)	16.13	**Probation:**
	(1)	A person on Substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of one year.
	(2)	The appointing authority may for reasons to be recorded, extend period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted : Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond six months and in no circumstances beyond one year.

	(3)	If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.
	(4)	A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.
	(5)	The appointing authority may allow continuous service. Rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.
Section 41 (q)	16.14	**Confirmation:** A probationer shall be confirmed on her/his post at the end of the period of probation or the extended period of probation if-
	(a)	(a) She/he has passed the prescribed departmental examination, if any;
	(b)	(b) She/he has successfully undergone the prescribed training, if any;
	(c)	(c) Her/his work and conduct is reported to be satisfactory;
	(d)	(d) Her/his integrity is certified ;and,
	(e)	(e) The Registrar is satisfied that she/he is otherwise fit for confirmation.
	(f)	(f) She/he is medically fit for the post after having gone through Medical Board of University.
Rules for Appointment and Promotion		The services of non-teaching employees of the University shall be governed by respective service rules prepared by the University and approved by the Government of Uttar Pradesh. However, till such rules are finalized, the service conditions- qualification, experience, pay scales, allowances and other facilities admissible to the non-teaching employees of the University shall be same as admissible to the non-teaching employees of the Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences, Lucknow.
Direct intake of Class D employees of the University into Class C Category		15% to 20% of Junior most scale of respective Group 'C' Cadre shall be filled by eligible Group 'D' employees through the selection process in accordance with the Uttar Pradesh Subordinate Offices Ministerial Group 'C' Posts of the Lowest Grade (Recruitment by Promotion) Rules, 2001. However, this provision can be ignored if the post is purely technical and the feeding Group 'D' Cadre does not possess the requisite minimum qualifications and experiences.
Section 41 (q)	16.15	**Seniority :** The Seniority of persons substantively appointed in any category of posts shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991 as amended from time to time.
Section 20(4)	16.16	**Gradation Lists:** It shall be the responsibility of the Registrar to prepare and display the gradation list of the staff of each category of services, periodically indicating therein the Name, Educational qualifications,

Statute 16.14- Amended vide the KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY, UTTAR PRADESH (AMENDMENT) STATUTES, 2018.

		Date of Birth, Date of appointment, Date if confirmation, name of post held, method of selection or Source of recruitment, pay scale and remarks.
Sections 19(7) 20(4) and 41(q)	16.17	**Annual Confidential Report:** The Annual Confidential Report of the employee shall be maintained regularly and properly and it shall be the duty of the Registrar and all the Heads of the Departments and Sectional Heads to see that the Annual Confidential Reports of the employees working under them in all the departments under their control, are being awarded and maintained properly and regularly, and in case of adverse entry that shall be communicated to the employee concerned within thirty days from the date of its finalization. Any person against whom the Adverse Annual confidential Reports has been finalized may appeal to the next higher authority within a period of thirty days and the decision of such higher authority shall be final.
Section 41(q)	16.18	Any employee of any service shall have to serve in any Department / Institute, any Section or any Office of the University, as per nature of his job and requirement and while serving as such, the employee shall be under the administrative control of the Head of the Department or the In-charge of the said department in which the employee is working and shall be in the disciplinary control of the Registrar.
Section 41(q)	16.19	All the appointments shall be made in the manner prescribed above. However, in case of emergency the Registrar either himself or on recommendation of Chief Superintendent, Finance Officer or Controller of Examinations as the case may be, may appoint my eligible person with the approval of the vice-Chancellor for a period of not more than three months and after expiry of such period, such appointment shall appointment shall automatically come to an end for which no written order is required. Any person appointed on any term and condition contrary to the condition as stated here in above, shall have no right to claim for his regularization or continuation in the service of the University.
Section 20(4)	16.20	The Registrar either himself or on the recommendation of Chief Superintendent, Finance Officer or Controller of Examinations as the case may with approval of the Vice-chancellor engage any person eligible for the post on contract basis to perform any work of permanent or temporary in nature or the post for a period of six months only and no person engaged as such shall have any right to claim for his regularization.
Section 41(q)	16.21	The employee will be under the Disciplinary/Administrative control of the Registrar. The Registrar shall take disciplinary action against any employee for any act of misconduct, insubordination, misbehavior or willful negligence or disobedience on the report of respective Heads of the Departments / Sections.
Section 41(q)	16.22	Superannuation / Retirement :
	(a)	(a) Except as otherwise provided in this statute, every employee shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty years.
		Provided that an employee, whose date of birth in first day of a month, shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years.

	(b)	(b) No employee shall be granted extension in service beyond the age of retirement of sixty years.
	(c)	(c) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Statute the appointing authority, shall, have the absolute right to issue any notice of not less than three months in writing or three months pay and allowances in lieu of such notice, if he is of the opinion that such action is necessary in the public interest.
	(d)	(d) Any employee who has attained the age of fifty years may by giving notice of not less than three months in writing to the appointing authority retire from service. Such an employee after giving the necessary intimation to the appointing authority shall be precluded from withdrawing his notice of intimation except that the specific provision of such authority.
Section 41(q)	16.23	**Resignation** Any employee can resign from the service by giving one month's notice of his resignation. After the acceptance of his resignation, he shall be precluded from withdrawing such notice. The employee resigning from service shall not be entitled to any retiral benefits except which he has earned in his Provident Fund Account or the Leave Encashment.
Section 41 (q)	16.24	**Leave**
	(a)	(a) The leave rules applicable to the Government servants from time to time shall mutatis mutandis apply to the employees of the University.
	(b)	(b) The application of an employee shall be forwarded by the Head of the Department, with his specific recommendations to the Registrar, Chief Superintendent or the Finance Officer, as the case may be, and the Registrar, Chief Superintendent or the Finance Officer, or Controller of Examinations under whom the employee is working shall be the authority to sanctioned the same.
	(c)	(c) All records relating to leave will be maintained by the Registrar.
		PART— II
		DISCIPLINE AND APPEAL
Section 41 (q)	16.25	**Penalties:-** The following penalties may for good and sufficient reason and hereinafter provided be imposed upon the employees:
	A.	**Minor Penalties:**
	(i)	Censure;
	(ii)	Withholding of increments for a specific period;
	(iii)	Stoppage at an efficiency bar;
	(iv)	Recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused of University by negligence or breach of order or
	(V)	Fine in case of person hold class III or Class IV posts; Provided that the realization of amount of such fine shall in no case exceed twenty five percent of the months pay.
	B.	**Major Penalties:**
	(i)	Withholding of increments with cumulative effect;
	(ii)	Reduction to a lower post or grade or time scale or to a lower stage in time scale;
	(iii)	Removal from the service which does not disqualify from future employment;

(iv) Dismissal from the service which disqualify from future employment;

Explanation:- The following shall not amount to penalty within the meaning of theses provisions namely;

(i) (i) withholding of increments or an employee for failure to pass a departmental examination or far failure to fulfill any other condition in accordance with the conditions or orders governing the service;

(ii) (ii) stoppage at the efficiency bar in the time scale of pay on account of ones not being found fit to cross the efficiency bar;

(iii) (iii) Reversion of a person appointed on probation to the service during or at the end of the period or probation in accordance with the terms of appointment or the status and order governing such probation and.

(iv) (iv) Termination of the service of a person appointed on probation during or at the end of period of probation in accordance with the terms of the service or the statute and orders governing such probation.

The other rules relating to suspension , pay and allowances etc of the suspension period, action on enquiry report, the posing minor and major penalties, appeal etc applicable to the government employees of different category shall mutandic mutandus shall be applicable to the employees of Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University.

16.26 The disciplinary proceedings against the Group 'C' and Group 'D' shall be dealt with as per the provision let down in the Uttar Pradesh Government Servant (Discipline and Appeals) Rules, 1999 till any new rules has been finalized by the University approved by the Government under due process of law.

By order,
KAPIL DEV
Principal Secretary

APPENDIX "A"

(SEE STATUTE 4.11)

ELECTION BY PROPORTIONAL REPRESENTATION BY MEANS OF SINGLE TRANSFERABLE VOTE

Part-I-General

(d) Unless there is anything repugnant to the subject or context with reference to any election by the proportional representation by single transferable, vote.

(i) "Candidate" means a person duly qualified to seek election who has been duly nominated.

(ii) "Continuing Candidate" means a candidate not elected and not excluded from the poll at any given time.

(iii) "Elector" means a person who is duly qualified to give his vote in the election.

(iv) "Exhausted Paper" means a ballot paper on which no further preference is recorded for a continuing candidate provided that a paper shall also be deemed to be exhausted if-

a. the means of two or more candidates whether continuing or not are marked with the same figure and are next in order of preference, or

b. the name of the candidate next in order of preference, whether continuing or not is marked:-

(1) by a figure not following consecutively after some other figure on the ballot paper, or

(2) by two or more figures.

(v) "First preference vote" means the vote for a candidate against whose name the figure-I, appears on a ballot paper. "Second preference vote" means the vote for a candidate against whose name the figure 2 appears," third preference vote" means the vote for a candidate against whose name the figure 3 appears and so on

(vi) "Original vote" in regard to any candidate means a vote derived from a ballot paper on which a first preference is recorded for such candidate.

(vii) "Quota" means the lowest value of votes sufficient to secure the return of a candidate.

(viii) "Surplus" means the number by which the value of votes of any candidate original and transferred exceeds the quota.

(ix) "Transferred vote" in regard to any candidate, means a vote, which is derived from a ballot paper on which a second or subsequent preference is recorded for such candidate and the value or part of the value of which is credited to such candidate.

(x) "Unexhausted paper" means a ballot paper on which a further preference is recorded for a continuing candidate.

(e) The Registrar shall be the Returning officer responsible for the conduct of all elections.

(f) The Vice-Chancellor shall –

(i) appoint the dates for the various stages of each election in conformity with the provisions of the Statutes and shall have power to alter these dates in case of any emergency except where such alternation contravenes the provisions of the Statutes;

(ii) decide in case of doubt the validity or otherwise of a vote recorded.

(g) The election of members of the court representing Registered Graduates (and such other elections as the Vice-Chancellor may for reasons of convenience or economy direct) shall be conducted by postal ballot. Other election shall be conducted at meetings of the Authorities or Bodies concerned.

(h) A voting paper shall be in the following form :-

NAME OF UNIVERSITY

Election by.....Constituency

Name of candidate and Order of Preference (to be indicated in the space) by the Numericals 1, 2, 3, etc.

.....

.....

.....

(i) An elector in recording his Vote –

(i) Must place on his voting paper the figure I opposite the name of the candidate for whom he votes, and

(ii) May, in addition, indicate the order of his choice or preference of as many other candidates as he pleases, by placing against their respective names the figures 2,3,4 and so on, consecutive numerical.

(j) A voting paper shall be invalid on which-

(i) The figure I is not marked, or

(ii) The figure I is placed opposite the name of more than one candidate, or

(iii) Figure I and some figure are marked opposite the name of the same candidate, or

(iv) The figure I is so marked as to render it doubtful to which candidate it is intended to apply, or

(v) In an election by ballot any mark is made by which the voter may afterwards be identified, or

(vi) There is any erasure, or alternations in the figure indicating the voter preferences, or

(vii) It is not on the form provided for the purpose.

Part II- Elections conducted by Postal Ballot

8. At least three months before the vacancies to be filled by election by postal ballot or due to occur, the Registrar shall cause a notice to be issued under a registered cover to each qualified voter at his registered address calling on him to submit nomination within fifteen days of the posting of the notice. The notice shall be accompanied by a list of voters.

9. The Registrar shall have power to correct any error and supply any omission brought to his notice in list of voters, If the name of a person is removed from the list his vote shall not be counted even if he has received the voting paper and recorded his vote, and a certificate that this has been so done, shall be recorded by the Registrar and the persons, if any associated with him in preparing the result of the election.

10. Every elector shall have the option of nominating any number of candidates not exceeding the number of places to be filled.

11. Every nomination paper shall be signed by a proposer who shall himself be an elector and shall be accompanied by the assent of the candidate nominated for election either in writing or by signing the nomination paper. It may bear the signature of other electors as supporters of the nomination. But no candidate shall sign as proposer or seconder a nomination paper on which his own name appears as a candidate.

12. The nomination paper shall be delivered to the Registrar in a closed cover either in person by proposer or an elector who supports the nomination or through registered post, within the time mentioned in the notice.

13. It shall be open to a candidate to withdraw from an election by sending to the Registrar, so as to reach him before the day and hour fixed as the last day for the receipt of nomination, as intimation of withdrawal in writing signed by himself and attested by a Stipendiary Magistrate, Gazetted Officer or the Principal of a Medical College/Institution affiliated to the University. The attestation should be under the seal of the officer concerned.

14. The Registrar shall notify the place, date and time for the opening of the covers containing the nomination papers. Such candidates or electors as may desire to be present may do so the occasion.

15. The Registrar shall prepare list of valid nominations if the nomination paper is rejected by the Registrar, he shall inform the candidates within two days stating the reasons for such rejection, it shall be open to the candidate to send within three days of the receipt of such communication a request that the matter be referred to the Vice Chancellor. The matter shall then be referred to the Vice Chancellor whose decision shall be final.

16. If the number of candidates duly nominated does not exceed the number of places to be filled, the Registrar shall declare them elected. In case any place remains unfilled a fresh election shall be held in like manner to fill it and such election shall be deemed to be a part of general election.

17. If the number of candidates duly nominated exceed the number of places to be filled an election shall be conducted.

18. The Registrar shall within fifteen days of the completion of scrutiny send by registered post to each elector at his registered address a voting paper together with a cover bearing the name of the constituency only and a larger cover on the left side on which are written or printed the number of elector on the electoral roll, the name of the constituency, and on the right side the address to the Registrar of the University. The Registrar shall also enclose a Certificate of identity.

19. (i) The elector shall sign the certificate of identity and have it duly attested by any of following persons:

(i) The Registrar of any University established by law in India for the time being.

(ii) The Principal of a Medical College Associated with any such University or Head of a Department of teaching of such University.

(iii) Any Gazetted officer of the Government.

(ii) The Attesting officer shall attest with his full signature and under his seal.

(iii) The elector shall enclose the voting paper duly filled in but without his name or signature in a smaller cover and then enclose it in the larger cover along with the certificate of identity duly

signed and attested and send the same duly sealed with either by registered post or deliver it personally to the Registrar.

20. The Voting paper must reach the Registrar by the time and date fixed. If received after the appointed time and date, it shall be rejected by him.

21. If two or more voting papers are sent in the same cover they shall not be counted.

22. A voter who has not received his voting paper and other connected papers or who has lost them or whose papers before their return to the Registrar have been inadvertently spoiled, may send a declaration to that effect signed by himself and request the Registrar to send him duplicate papers in place of those not received, lost or spoiled if any, if he is satisfied, may issue another copy marked "Duplicate"

23. The Registrar shall keep the voting papers sealed and unopened in safe custody until the date and time fixed for their scrutiny.

24. Due notice of such date, time and place of scrutiny shall be given by the Registrar to all the candidates who shall have the right to be present during the scrutiny.

Provided that no candidate shall be entitled to ask for the inspection of any voting paper.

25. The Registrar, where necessary shall be helped by such other persons as may be appointed by the Vice-Chancellor for assisting him in the scrutiny work.

26. At the appointed date, time and place the Registrar shall open the cover containing the voting paper and scrutinize them and separate those that are not valid.

27. The valid papers shall then be sorted into parcels, each parcel containing all the papers on which the first preference is recorded for a particular candidate.

28. For the purpose of facilitating the process prescribed by this Statute each ballot paper shall be deemed to be of the value of one hundred.

29. The Registrar shall in carrying out the provisions of the Statute-

(i) disregard all fractions;

(ii) ignore all preference recoded for candidate already elected or excluded from the poll.

30. The Registrar shall then add together the values of the papers in all the parcels, divide the total by a number exceeding by one the number of vacancies to be filled and ad one to the quotient. The number thus obtained shall be the "quota"

31. If at any time candidates equal in number to the number of persons to be elected have obtained the quota such candidates shall be treated as elected and no further proceeding shall be taken.

32. (i) Every candidate the values of whose parcel, on the first preference being counted is equal to or greater than the quota shall be declared elected :-

(ii) If the value of the papers in any such parcel is equal to the quota the papers shall be set aside as finally dealt with.

(iii) If the value of the papers in any such parcel is greater than the quota the surplus shall be transferred to the continuing candidates indicated on the ballot paper as next in order of the voter's preference the manner prescribed in the Statute hereinafter appearing.

33. (i) If and whenever as the result of any operation prescribed by the Statutes above, candidate has any surplus shall be transferred in accordance with the provisions of the Statute.

(ii) If more than one candidate has a surplus the largest surplus shall be dealt with first and the other in decreasing order of magnitude provided that every surplus arising on the first count of votes shall be dealt with before those arising on the second and so on.

(iii) Where two or more surplus are equal the Registrar shall decide according to the terms prescribed in sub-clause (ii) above which shall be first dealt with.

(iv) (a) If the surplus of any candidate to be transferred arises from original votes only, the Registrar shall examine all papers in the parcel belonging to the candidate whose surplus is to be transferred and divided the unexhausted papers into sub-parcels according to the next preference recorded there on. He shall also make a separate sub-parcel of the exhausted papers.

(b) He shall ascertain the value of the papers in each sub-parcel and of the unexhausted papers.

(c) If the value of the unexhausted paper is equal to or less than the surplus, he shall transfer all the unexhausted papers at the value at which they were received by the candidate whose surplus is being transferred.

(d) If value of the unexhausted papers is greater than the surplus, he shall transfer the sub-parcels of unexhausted paper and the value at which each paper shall be transferred shall be ascertained by dividing the surplus by the total number of unexhausted papers.

(v) If the surplus of any candidate to be transferred arises from transferred as well as original votes, the Registrar shall re-examine all the papers in the sub-parcel last transferred to the candidate and divide the unexhausted papers into sub-parcels according to the next preference accorded thereon, He shall thereupon deal with sub-parcels in the same manner as is provided in the case of sub-parcels referred in the last preceding clause.

(vi) The papers transferred to each candidate shall be added in the form of sub-parcel to the paper already belonging to such candidate.

(vii) All papers in the parcel or sub-parcels of an elected candidate not transferred under this clause shall be set aside as finally dealt with.

34. (i) If after all surpluses have been transferred as here in before directed less than the number of candidates required has been elected the Registrar shall exclude from the poll the candidate lowest on the poll and shall distribute his unexhausted papers among the continuing candidates according to the next preference recorded thereon. Any exhausted papers shall be set aside as finally dealt with.

(ii) The papers containing original votes of an excluded candidate shall be first transferred, transfer value of each paper being one hundred.

(iii) The papers containing transferred votes of an excluded candidate shall then be transferred in the orders of the transfers in which and at the value at which he obtained them.

(iv) Each of such transfers shall be deemed to be a separate transfer/

(v) The process directed, by this clause shall be repeated on the successive exclusions one after another of candidates lowest on the poll until the last vacancy is filled either by the election of a candidate with the quota or as herein after provided.

35. If as the result of a transfer of paper the value of the votes obtained by a candidate is equal to or greater than the quota the transfer proceedings shall be completed but not further papers shall be transferred to him.

36. (i) If after the completion of any transfer under the said clause the value of the votes of any candidate is equal to or greater than the quota he shall be declared elected.

(ii) If the value of votes of any such candidates is equal to the quota, the whole of the paper on which such votes are recorded shall be set aside as finally dealt with.

(iii) If the value of the votes of any such candidate is greater than the quota, his surplus shall thereupon be distributed in the manner herein before provided before exclusion of any other candidate.

37. (i) When the number of continuing candidates, is reduced to the number of vacancies remaining unfilled the continuing candidates shall be declared elected.

(ii) When only one vacancy remains unfilled and the value of votes of any continuing candidates exceeds the total value of all the vote of other continuing candidates, together with any surplus not transferred, that candidate shall be declared elected.

(iii) When only one vacancy remains unfilled and there are only two continuing candidates and those two candidates have each the same value of votes and no surplus remains capable of transfer one candidate shall be declared excluded under the next succeeding clause and the other declared elected.

38. If and when there is more than one surplus to distribute, two or more surpluses are equal or if at any time it becomes necessary to exclude a candidate and two or more candidates have the same value of

votes and are lowest on the poll regard shall be had to the original votes of each Candidate and the Candidate for whom fewest original Votes are recorded shall have his surplus first distributed or shall be first excluded, as the case may be. If the values of their original votes are equal, the Registrar shall decide by lot which candidate shall have his surplus distributed or excluded.

39. **Recounting -** The Registrar may, on his own initiative or at the instance of any candidate, recount votes, whether once or more than once when the Registrar is not satisfied as to the accuracy of a previous counting.

Provided that nothing herein contained shall make it obligatory on the Registrar to recount the same more than once.

40. After the scrutiny is completed, the Registrar shall forthwith report the result to the Vice-Chancellor.

41. the Registrar shall place the nomination papers and the ballot papers in a sealed packet which shall be preserved for a period of one year.

Part III- Elections held at Meetings

42. In case of an election conducted at a meeting of a University Authority it shall not be necessary to publish the electoral roll for the purpose of eliciting claims and objections or to invite nominations in advance. The members of the Authority concerned present at the meeting duly convened shall take part in the election Names may be proposed for election and candidature withdrawn, in advance or at the meeting. The voting paper supplied to voters shall show the names of which notice was received in time for printing and shall contain blank spaces with addition of names including those proposed at the meeting. A notice of the meeting at which the election is to be held mentioning the time, date and place of such meeting together with lists of the members shall be sent by the Registrar to each member. The period of notice shall be fixed by the Vice-Chancellor.

APPENDIX "B"

[SEE STATUTES 12.01(21)]

I.	**Fee for obtaining "No Objection Certificate"**	**Rs. 10,000/-**	
		Fee for Private Colleges	**Fee for Government. Colleges**
II.	**Application fee Pre-affiliation**	Rs. 10,000/-	Rs. 5,000/-
III.	Processing fee	Rs. 50,000/-	Rs. 15,000/-
IV	**INSPECTION FEE**		
		Fee for Private Colleges	**Fee for Government. Colleges**
i.	Medical	Rs, 6,00,000/-	Rs. 2,00,000/-
ii.	Dental	Rs, 5,00,000/-	Rs. 1,50,000/-
iii.	Nursing	Rs, 4,00,000/-	Rs. 1,00,000/-
iv.	Paramedical	Rs, 3,50,000/-	Rs. 75,000/-

V. First time Affiliation fee when the Institution / College has been granted affiliation by the University

3.	**Affiliation fee**	**Fee for Private Colleges**	**Fee for Government Colleges**
i.	Medical	Rs. 20,00,000/-	Rs. 5,00,000/-
ii.	Dental	Rs. 15,00,000/-	Rs. 4,00,000/-
iii.	Nursing	Rs. 12,00,000/-	Rs. 3,00,000/-
iv.	Paramedical	Rs. 10,00,000/-	Rs. 3,00,000/-

VI.	ANNUAL AFFILIATION FEE	Fee for Private Colleges	Fee for Government Colleges
i.	Medical	Rs, 10,00,000/-	Rs. 2,50,000/-
ii.	Dental	Rs. 7,50,000/-	Rs. 2,00,000/-
iii.	Nursing	Rs. 5,00,000/-	Rs. 1,50,000/-
iv.	Paramedical	Rs. 3,00,000/-	Rs. 1,00,000/-

VII.	INCREASE INTAKE (per seat)	Post Graduate Degree (Per Seat)	
		Fee for Private Colleges	Fee for Government Colleges
i.	Medical	Rs, 20,000/-	Rs. 3,000/-
ii.	Dental	Rs. 15,000/-	Rs. 2,000/-
iii.	Nursing	Rs. 12,000/-	Rs. 500/-
iv.	Paramedical	Rs. 10,000/-	Rs. 400/-

VIII. RENEWAL OF PERMANENT AFFILIATION FEE PER COURSE PER YEAR (After five years or thereafter)

		Fee for Private Colleges	Fee for Government Colleges
i.	Medical	Rs, 5,00,000/-	Rs. 1,25,000/-
ii.	Dental	Rs. 4,00,000/-	Rs. 1,00,000/-
iii.	Nursing	Rs. 3,50,000/-	Rs. 1,00,000/-
iv.	Paramedical	Rs. 3,00,000/-	Rs. 75,000/-

XI. REINSPECTION FEE

		Fee for Private Colleges	Fee for Government Colleges
i.	Medical	Rs, 6,00,000/-	Rs. 1,50,000/-
ii.	Dental	Rs, 5,00,000/-	Rs. 1,25,000/-
iii.	Nursing	Rs, 4,00,000/-	Rs. 1,00,000/-
iv.	Paramedical	Rs, 3,50,000/-	Rs. 1,00,000/-

XI. ADMINISTRATIVE AND SERVICE CHARGES

1.	MBBS	Rupees
(a)	Sanctioned Strength 1 to 40	1,00,000/-
(b)	Sanctioned Strength 41 to 60	1,50,000/-
(c)	Sanctioned Strength 61 to 100	1,75,000/-
(d)	Sanctioned Strength 101to above	2,00,000/-

2.	Dental BDS	Rupees
(a)	Sanctioned Strength 1to 40	50,000/-
(b)	Sanctioned Strength 41to 60	75,000/-
(c)	Sanctioned Strength 61to 100	1,00,000/-
(d)	Sanctioned Strength 101to above	1,50,000/-

3.	**Nursing & Paramedical**		**Rupees**
	(a)	**Sanctioned Strength 1 to 40**	**40,000/-**
	(b)	**Sanctioned Strength 41to 60**	**60,000/-**
	(c)	**Sanctioned Strength 61 to 100**	**80,000/-**
	(d)	**Sanctioned Strength 101to above**	**1,00,000/-**
XII.	**Late fee for filling Affiliation Application**		**Rs. 30,000/-**
XII.	**Fee for approving change of name of the Institution / Management / Location**		**Rs. 50,000/-**

XIII. 50% concession may be given with regard to fresh and renewal affiliation fee only and no concession will be given under annual fee & administration service charges to colleges and institutions run by Scheduled Castes / Scheduled Tribes and other backward classes management.

****

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 289 राजपत्र–(हिन्दी)–2011–(672)–597+2 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 4 सा0 चिकित्सा–2011–(673)–500 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।

KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY, UTTAR PRADESH, LUCKNOW

No. 1781/Meeting Cell/2019
Dated, Lucknow, Feb 11, 2019

In exercise of the powers under sub-section (2) of section 42 of the King George's Medical University, Uttar Pradesh Act, 2002 (U.P. Act No. 8 of 2002), the Executive Council of the King George's Medical University, with *prior* approval of the Chancellor, hereby makes the following amendments in the King George's Medical University, Uttar Pradesh First Statutes, 2011, namely:-

KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY, UTTAR PRADESH (AMENDMENT) STATUTES, 2018

Short title

1. (1) These statutes may be called the King George's Medical University, Uttar Pradesh (Amendment) Statutes, 2018.
(2) It shall be deemed to have come into force on November 14, 2018.

Amendment in statute 9.03

2. For statute 9.03 of the King George's Medical University, Uttar Pradesh First Statutes, 2011, hereinafter referred to as the Principal Statutes, for the existing part of the statute set out in column 1 below, the part of the statute set out in column 2 shall be *substituted*, namely-

Existing Statute	Statute hereby substituted
1	2
(1) The Government of Uttar Pradesh shall make appointments of Medical Superintendents on the recommendation of the university or otherwise for King George's Medical University Associated Hospitals.	(1) The Medical Superintendent(s) of the Hospitals associated with the University shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of a Selection Committee as provided u/s 35(4) of the Act, for the post of a Professor.

(139)

(6)	Chief Medical Superintendent / Medical Superintendents may also be removed by the State Government on the recommendation of the Executive Council that his continuance is detrimental to the interest of the organization.	(6)	The Medical Superintendent(s) of the Hospitals associated with the University shall be removed by the Executive Council on the recommendation of the Vice-Chancellor that his continuance is detrimental to the interest of the organization.
(12)	The eligibility criteria for the post of Medical Superintendent shall be preferably as per recommendations of the Medical Council of India/Dental Council of India. However the criteria may be relaxed by the State Government as and when needed.	(12)	Essential qualifications for appointment as Medical Superintendent(s) shall include- (a) a MBBS/BDS degree; (b) a postgraduate medical/dental qualification/postgraduate qualification in hospital administration/hospital management, recognized by Medical Council of India/ Dental Council of India, and; (c) 14 years' teaching experience, at par with the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi: *Provided that* minimum eligibility criteria laid down by the Medical Council of India/Dental Council of India from time to time shall be strictly followed by the University.

Amendment in Statute 11.01

3. For statute 11.01 of the Principal Statutes, for the existing part of the statute set out in column 1 below, the part of the statute set out in column 2 shall be *substituted*, namely-

Existing Part of the Statute	Part of the Statute hereby substituted
1	2
(2) The age of super-annuation of a teacher of the University shall be 62 years.	(2) The age of super-annuation of a teacher of the University shall be Sixty-five years.

Amendment in Statute 11.02

4. For statute 11.02 of the Principal Statutes, for the existing part of the statute set out in column 1 below, the part of the statute set out in column 2 shall be *substituted*, namely-

Existing Part of the Statute	Part of the Statute hereby substituted
1	2
(2) A teacher may be re-employed on year to year basis till the age of 65 years on the basis of his	(2) A teacher may be engaged on contract basis till the age of Seventy years on yearly basis for his

indispensability in terms of his service and support to the academic, research, teaching, patient care and the corporate life of the University. (4) No teacher shall be re-employed or re-appointed after he attains 65 years of age- on any basis or pretext whatsoever.	indispensability in terms of his service and support to the academic, research, teaching, patient care, sound health and the corporate life of the University. (4) No teacher shall be re-employed or re-engaged after he attains Seventy years of age- on any basis or pretext whatsoever.

Amendment in Statute 11.03

5. For statute 11.03 of the Principal Statutes, for the existing part of the statute set out in column 1 below, the part of the statute set out in column 2 shall be *substituted*, namely-

Existing Part of the Statute	Part of the Statute hereby substituted
1	2
(1) A teacher shall retire on attaining the age of superannuation. This shall mean that unless otherwise any specified order is given to re-employ the teacher, he shall retire at the age of sixty two years.	(1) A teacher shall retire on attaining the age of superannuation. This shall mean that unless otherwise any specified order is given to engage the teacher, he shall retire at the age of Sixty-five years.

Amendment in Statutes 13.01

6. For statute 13.01 of the Principal Statutes, for the existing part of the statute set out in column 1 below, the part of the statute set out in column 2 shall be *substituted*, namely-

Existing Part of the Statute	Part of the Statute hereby substituted
1	2
(17) If the recommendation of the Inspection Committee is accepted by the Executive Council, the proposal of the affiliation shall be referred to the Government for approval. After approval of the Government the Executive Council shall allow provisional affiliation for one academic year in the first instance.	(17) If the recommendation of the Inspection Committee is accepted by the Executive Council, it shall allow provisional affiliation for one term of a course of study on such terms and conditions it may deem fit.

(141)

Amendment in Statute 16.14

7. Under the Heading 'Rules for Appointment and Promotion' of statute 16.14 of the Principal Statutes, for the existing part of the statute set out in column 1 below, the part of the statute set out in column 2 shall be substituted, namely-

Existing Part of the Statute	Part of the Statute hereby substituted
1	2
The service of all Class C & Class D employees shall be governed by respective service rules prepared by the University and approved by the Government of Uttar Pradesh. However, till such rules are finalized, the service rules of similar discipline in Medical & Health Department of the State Government shall apply.	The services of non-teaching employees of the University shall be governed by respective service rules prepared by the University and approved by the Government of Uttar Pradesh. However, till such rules are finalized, the service conditions- qualification, experience, pay scales, allowances and other facilities admissible to the non-teaching employees of the University shall be same as admissible to the non-teaching employees of the Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences, Lucknow.

Rajesh Kumar Rai
Registrar.

Prof. M.L.B. Bhatt
Vice-Chancellor.

(142)

King George's Medical University

Uttar Pradesh, Lucknow-226003

VC/KGMU/2019/535 Date: 11/02/2019

Copy forwarded to the following for information and necessary action along with a copy of resolution of the Executive Council on Agenda Item No. 07 in its meeting held on 11.01.2019:-

1. Principal Secretary to Hon'ble Chancellor, KGMU & Governor of Uttar Pradesh, in reference to letter no. E-7494/4-GS/2013-ii(TC) dated 14.11.2018
2. Principal Secretary, Medical Education Department, Govt. of U.P., Lucknow.
3. Registrar, KGMU, U.P., Lucknow.
4. All Deans, K.G. Medical University, UP, Lucknow.
5. Deputy Registrar, King George's Medical University, UP, Lucknow.
6. The C.M.S./Medical Superintendent, G.M. & A.H., KGMU, UP, Lucknow.
7. The Controller of Examination, K.G. Medical University, UP, Lucknow.
8. The Finance Officer, K.G. Medical University, UP, Lucknow.
9. All Head of the Departments, K.G. Medical University, UP, Lucknow for circulation amongst faculty of the Department.
10. Proctor, KGMU UP, Lucknow.
11. Faculty-Incharge, KGMU Website with the remark to upload a copy on University Website.
12. All Section Incharges, Registrar Office, K.G. Medical University, UP, Lucknow.
13. P.S. to V.C. for kind information of Hon'ble Vice-Chancellor.
14. Notice Board.

(Prof. M.L.B. Bhatt)
Vice-Chancellor

(143)

KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY, UTTAR PRADESH, LUCKNOW

No.1850/Meeting Cell/2019
Dated, Lucknow, March 05, 2019

In exercise of the powers under sub-section (2) of section 42 of the King George's Medical University, Uttar Pradesh Act, 2002 (U.P. Act No. 8 of 2002), the Executive Council of the King George's Medical University, with *prior* approval of the Chancellor, hereby makes the following amendments in the King George's Medical University, Uttar Pradesh First Statutes, 2011, namely:-

KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY, UTTAR PRADESH (AMENDMENT) STATUTES, 2019

Short title

1. These statutes may be called the King George's Medical University, Uttar Pradesh (Amendment) Statutes, 2019.

Amendment in statute 5.02

2. In statute 5.02 of the King George's Medical University, Uttar Pradesh First Statutes, 2011, hereinafter referred to as the Principal Statutes, for the existing part of the statute set out in column 1 below, the part of the statute set out in column 2 shall be *substituted*, namely-

Existing Statute	Statute hereby substituted
1	2
(1) The Academic Council shall consist of the following members- (i) The Vice-Chancellor (ii) The Deans of both the Faculties	(1) The Academic Council shall consist of the following members- (i) The Vice-Chancellor, (ii) The Deans of Faculties,

Amendment in Statute 7.01

3. In statute 7.01 of the Principal Statutes, for the existing part of the statute set out in column 1 below, the part of the statute set out in column 2 shall be *substituted*, namely-

Existing Statute	Statute hereby substituted
1	2
(1) The King George's Medical University Uttar Pradesh shall have only two faculties namely Medical and Dental.	(1) The University shall have such faculties as may be prescribed.

Amendment in Statute 10.01

4. In statute 10.01 of the Principal Statutes, for the existing part of the statute set out in column 1 below, the part of the statute set out in column 2 shall be *substituted*, namely-

Existing Statutes	Statutes hereby substituted
1	2
(3) The following shall be the different categories/statutory positions of the University teachers/Faculty Members:- (a) Professor, (b) Associate Professor, (c) Assistant Professor/Lecturer.	(3) There shall be following categories of teachers of the University:- (a) Professor, (b) Professor Junior Grade (Additional Professor), (c) Associate Professor, and (d) Assistant Professor.
(6) The eligibility criteria – qualification and experience for different teaching positions – Professor, Associate Professor and Assistant Professor shall be as that specified by the Medical Council of India/Dental Council of India from time to time.	(6) The eligibility criteria – qualification, experience and publication etc - for various category of teachers mentioned hereinbefore shall be such as specified for the Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, Lucknow from time to time: *Provided that* minimum eligibility criteria laid down by the Medical Council of India/Dental Council of India/other regulatory bodies from time to time shall be strictly followed by the University.

(12) The salary of teachers shall be as determined by the Government of Uttar Pradesh from time to time.	(12) The payscales and allowances which are admissible to teachers of the University will be such as are admissible from time to time to faculty members as the SGPGIMS subject to the declaration by the State Government.

Amendment in Statute 10.03 & 10.04

5. In statute 10.03 with its Heading & statute 10.04 of the Principal Statutes, for the existing Heading and part of the statute set out in column 1 below, the part of the statute set out in column 2 shall be *substituted*, namely-

Existing Heading and Statutes	Heading and Statutes hereby substituted
1	2
PERSONAL PROMOTION OF TEACHERS AS ASSOCIATE PROFESSOR AND PROFESSOR 10.03 (1) As per sub-section (1) of section 36 of King George's Medical University Uttar Pradesh Act – "an Assistant Professor substantively appointed in the University, or, an Associate Professor, substantively appointed, or promoted under this section in University, who has put in such length of service and possesses, such qualification as may be prescribed may be given personal promotion respectively to the post of Associate Professor or Professor" as per Medical Council of India / Dental Council of India norms. (i) The scheme of personal promotion from the post of Assistant Professor to Associate Professor and then to Professor is based on the need of recognizing outstanding contribution, academic performance and the	PERSONAL PROMOTION OF TEACHERS 10.03 (1) The personal promotion of teachers shall be made in accordance with the provisions contained in G.O. No. 69/2015/2381/71-2-15-KGMU-61/2014, dated August 11, 2015. However, equivalence of pay scales and allowances to the teachers of Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, Lucknow shall be with following conditions- (i) The scheme of personal promotion is based on the need of recognizing outstanding contribution, academic performance and the Annual Confidential Reports.

Annual Confidential Reports. (ii) The Personal Promotion is virtually a merit promotion. It is applicable to the individual concerned. It is not the promotion of the post. In personal promotion a teacher is given a higher designation of Associate Professor or Professor, as the case may be, without elevation of the post from which he has been promoted from. The original post held by him i.e. Assistant Professor or Associate Professor, as the case may be, shall remain liened with him. The personal promotion is a designation promotion. However, the reservation in promotion shall be adhered at every level under prevailing law/Government Orders drawn on roster of reservation for promotion. On the retirement or superannuation of the promoted Associate Professor or Professor the substantive post originally held by him shall become vacant against which a new statutory appointment shall be made. (iii) The teacher promoted to Associate Professor or Professor shall not be confirmed on the promoted designation if there is no post against which he has been promoted. The promoted Associate Professor or Professor as the case may be shall remain confirmed on his substantive post earlier held by him.	(ii) The Personal Promotion is virtually a merit promotion. It is applicable to the individual concerned. It is not the promotion of the post. In personal promotion a teacher is given a higher designation of Associate Professor, Professor Junior Grade (Additional Professor) or Professor, as the case may be, without elevation of the post from which he has been promoted from. The substantive post held by him i.e. Assistant Professor or Associate Professor or Professor Junior Grade (Additional Professor), as the case may be, shall remain liened with him. The personal promotion is a designation promotion. However, the reservation in promotion shall be adhered at every level under prevailing law/Government Orders drawn on roster of reservation for promotion. On the retirement or superannuation of the promoted Associate Professor or Professor Junior Grade (Additional Professor) or Professor the substantive post originally held by him shall become vacant against which a new statutory appointment shall be made. (iii) The teacher promoted to Associate Professor or Professor Junior Grade (Additional Professor) or Professor shall not be confirmed on the promoted designation if there is no post against which he has been promoted. The promoted Associate Professor or Professor Junior Grade (Additional Professor) or Professor as the case may be shall remain confirmed on his substantive post earlier held by him.

(147)

(iv) The personal promotion from Assistant Professor to Associate Professor and from Associate Professor to Professor being only a personal change in designation and not an appointment against any sanctioned post, the teaching, clinical and other work load as assigned to him while occupying the original substantive post of Assistant Professor or Associate Professor as the case may be shall be carried forward with him on the promoted position. Accordingly therefore the entitlement of work load of personal promoted teacher while remaining the same shall not be that of a cader selected Associate Professor or a Professor as the case may be.	(iv) The personal promotion from Assistant Professor to Associate Professor and from Associate Professor to Professor Junior Grade (Additional Professor) and Professor Junior Grade (Additional Professor) to Professor being only a personal change in designation and not an appointment against any sanctioned post, the teaching, clinical and other work load as assigned to him while occupying the original substantive post of Assistant Professor or Associate Professor or Professor Junior Grade (Additional Professor), as the case may be, shall be carried forward with him on the promoted position. Accordingly therefore the entitlement of work load of personal promoted teacher while remaining the same shall not be that of a cadre selected Associate Professor or Professor Junior Grade (Additional Professor) or Professor as the case may be.
(v) The preferential criteria and terms to be adopted in selecting a teacher for promotion from Assistant Professor to Associate Professor and from Associate Professor to Professor- a) Personal Promotion shall be given only on the recommendation of the statutory Selection Committee constituted under Sub-section (4) of Section-35 of King George's Medical University Uttar Pradesh Act. b) The selection committee for the promotion of a teacher from Assistant Professor to Associate Professor and from Associate Professor to Professor shall be same as	(v) The preferential criteria and terms to be adopted in selecting a teacher for promotion from Assistant Professor to Associate Professor, Associate Professor to Professor Junior Grade (Additional Professor) and Professor Junior Grade (Additional Professor) to Professor - a) Personal Promotion shall be given only on the recommendation of the statutory Selection Committee duly constituted. b) The selection committee for the promotion of a teacher from Assistant Professor to Associate Professor, Associate Professor to Professor Junior Grade (Additional Professor) and

(148)

that for a direct recruitment of respective position as laid down sub-section(4) of section 35 of the King George's Medical University Uttar Pradesh Act.	Professor Junior Grade (Additional Professor) to Professor shall be same as that for a direct recruitment of respective position.
c) The teacher concerned must possess the requisite qualifications and teaching experience as prescribed by Medical Council of India/Dental Council of India.	c) The teacher concerned must possess the eligibility criteria – qualification, experience and publication etc. as specified for the Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, Lucknow from time to time: *Provided that* minimum eligibility criteria laid down by the Medical Council of India/Dental Council of India/other regulatory bodies from time to time shall be strictly followed by the University.
d) The teacher concerned should have made a merit mark in areas of scholarship and research as evident by the number and quality of publications, contributions to medical education, examination work, administrative work enhancing the academic ambience, academic integrity and academic discipline of the University.	d) The teacher concerned should have made a merit mark in areas of scholarship and research as evident by the number and quality of publications, contributions to medical education, examination work, administrative work enhancing the academic ambience, academic integrity and academic discipline of the University.
e) The teacher concerned should have achieved an outstanding recognition in teaching, research, publication/books and professional outcome.	e) The teacher concerned should have achieved an outstanding recognition in teaching, research, publication/books and professional outcome.
f) The teacher concerned should have been recognized for his valuable merit either by the University, professional association, national and international funding agencies, the Government of Uttar Pradesh/India or by any other reputed statutory or non-statutory bodies.	f) The teacher concerned should have been recognized for his valuable merit either by the University, professional association, national and international funding agencies, the Government of Uttar Pradesh/India or by any other reputed statutory or non-statutory bodies.
g) The teacher concerned should have a	g) The teacher concerned should have a

(149)

significant and recognized innovation in the field of medical profession, teaching and research. h) The teacher concerned should have participated in national and or international workshops, seminars, updates and conferences. However, any post of Professors/Associate Professors for reserved category shall not be kept vacant and the above criteria may be relaxed to fill those posts of reserved category, if needed.	significant and recognized innovation in the field of medical profession, teaching and research. h) The teacher concerned should have participated in national and or international workshops, seminars, updates and conferences. However, any post of Professor / Professor Junior Grade (Additional Professor) / Associate Professor for reserved category shall not be kept vacant and the above criteria may be relaxed to fill those posts of reserved category, if needed.
10.04 The teacher considering himself eligible in terms of aforesaid merit for his personal promotion from Assistant Professor to Associate Professor or from Associate Professor to Professor should apply to the Registrar of the University with following documents- (i) Self assessment about his performance in the last four years. (ii) Outstanding contribution in terms of academic performance, research, teaching, training, professional outcome and scientific contribution made during the last four years. (iii) Recognition/distinctions and awards earned during the last five years. (iv) Any other matter/material which the teacher concerned feel shall lend a merit to his case. The teacher concerned shall apply and submit these information under separate heads through the respective Head of the	10.04 The teacher considering himself eligible in terms of aforesaid merit for his personal promotion from Assistant Professor to Associate Professor or from Associate Professor to Professor Junior Grade (Additional Professor) or from Professor Junior Grade (Additional Professor) to Professor should apply to the Registrar of the University with following documents- (i) Self assessment about his performance in the last four years. (ii) Outstanding contribution in terms of academic performance, research, teaching, training, professional outcome and scientific contribution made during the last four years. (iii) Recognition/distinctions and awards earned during the last five years. (iv) Any other matter/material which the teacher concerned feel shall lend a merit to his case. The teacher concerned shall apply and submit these information under separate heads through the respective Head of the Department

(150)

Department to the Registrar at a time when he attains the eligibility for personal promotion. The Selection Committee shall interview the teacher concerned and critically evaluate him in terms of his suitability for the personal promotion of Associate Professor and Professor as the case may be. The Selection Committee may recommend or may not recommend the concerned person for a promotion. The Selection Committee may recommend one teacher or none for promotion among the candidates interviewed by it depending upon the merit and suitability of the teacher concerned consistent with the rules of reservation being in force at that time.	to the Registrar at a time when he attains the eligibility for personal promotion. The Selection Committee shall interview the teacher concerned and critically evaluate him in terms of his suitability for the personal promotion of Associate Professor, Professor Junior Grade (Additional Professor) and Professor as the case may be. The Selection Committee may recommend or may not recommend the concerned person for a promotion. The Selection Committee may recommend one teacher or none for promotion among the candidates interviewed by it depending upon the merit and suitability of the teacher concerned consistent with the rules of reservation being in force at that time.
(v) The recommendation of the Selection Committee shall be placed before the Executive Council for consideration.	(v) The recommendation of the Selection Committee shall be placed before the Executive Council for consideration.
(vi) A communication shall be made from the Registrar to the concerned teacher whose name has been duly recommended by the Selection Committee and approved by the Executive Council for promotion designating him as an Associate Professor/Professor (Under Personal Promotion Scheme) from date of his joining the new position.	(vi) A communication shall be made from the Registrar to the concerned teacher whose name has been duly recommended by the Selection Committee and approved by the Executive Council for promotion designating him as an Associate Professor / Professor Junior Grade (Additional Professor) / Professor (Under Personal Promotion Scheme) from date of his joining the new position.
(vii) The concerned teacher promoted under personal promotion scheme shall be entitled to service protection, seniority benefit salary and other allowances as that of a regular Associate Professor and Professor from the	(vii) The concerned teacher promoted under personal promotion scheme shall be entitled to service protection, seniority benefit salary and other allowances as that of a regular Associate Professor, Professor Junior Grade (Additional

date of his substantive appointment for the respective promotion.	Professor) and Professor from the date of his substantive appointment for the respective promotion.

Amendment in Statutes 10.06

6. In statute 10.06 of the Principal Statutes, for the existing part of the statute set out in column 1 below, the part of the statute set out in column 2 shall be *substituted*, namely-

Existing Statute	Statute hereby substituted
1	2
(2) A contract or an undertaking shall be taken/enforced between the University and a person before his joining as a teacher-Faculty Member at King George's Medical University Uttar Pradesh. The Format of this notarized/ Bilateral Contract/Undertaking made on the Stamp Paper shall be- "I .....S/o ..... resident of ..... who is joining as Lecturer/ Assistant Professor/ Associate Professor/ Professor in the Department of ..... at King George's Medical University Uttar Pradesh do hereby undertake and solemnly affirm that I shall abide with all provisions laid down in the King George's Medical University Uttar Pradesh Act and CSMMU Statutes/Ordinances. In the event of any violation in this behalf, my services shall stand terminated. Registrar CSMMU UP Employee (Signature) Date..... Witness:- 1..... 2.....	(2) A contract or an undertaking shall be taken/enforced between the University and a person before his joining as a teacher-Faculty Member at King George's Medical University Uttar Pradesh, Lucknow. The Format of this Notarized/Bilateral Contract/Undertaking made on the Stamp Paper shall be- "I .....S/o ..... resident of ..... who is joining as Assistant Professor/ Associate Professor / Professor Junior Grade (Additional Professor) / Professor in the Department of ..... at King George's Medical University Uttar Pradesh do hereby undertake and solemnly affirm that I shall abide with all provisions laid down in the Act / Statutes / Ordinances of the University. In the event of any violation in this behalf, my services shall stand terminated. (Signature) Registrar KGMU UP (Sign. Of Employee) Employee Name Dated,..... Witness:- 1..... 2.....

Amendment in Statutes 11.10

7. In statute 11.10 of the Principal Statutes, for the existing part of the statute set out in column 1 below, the part of the statute set out in column 2 shall be *substituted*, namely-

Existing Statute	Statute hereby substituted
1	2
(1) (a) A Professor shall be deemed senior to the Associate Professor and an Associate Professor shall be senior to an Assistant Professor.	(1) (a) A Professor shall be deemed senior to a Professor Junior Grade (Additional Professor), a Professor Junior Grade (Additional Professor) shall be deemed senior to an Associate Professor and an Associate Professor shall be deemed senior to an Assistant Professor.

(Rajesh Kumar Rai)
Registrar.

(Prof. M.L.B. Bhatt)
Vice-Chancellor.

(153)

King George's Medical University

Uttar Pradesh, Lucknow-226003

#VC/KGMU/2019/ 589

Date: 05/03/2019

Copy of Order No.1850/Meeting Cell/2019 dated 05.03.2019 forwarded to the following for information and necessary action, in compliance of the resolution of the Executive Council on Agenda Item No. 7, in its meeting held on 11.01.2019:-

1. Principal Secretary to Hon'ble Chancellor, KGMU & The Governor of Uttar Pradesh, in reference to Governor's Secretariat letter no. E-7494/4-GS/2013-ii(TC) dated 14.11.2018 & E-10052/4-GS/2013(TC) dated 07.01.2019.
2. Principal Secretary, Medical Education Department, Govt. of U.P., Lucknow.
3. All Deans, K.G. Medical University, UP, Lucknow.
4. Registrar, KGMU UP, Lucknow.
5. Deputy/Assistant Registrar, KGMU UP, Lucknow
6. The C.M.S./Medical Superintendent (Medical/Dental), G.M. & A.H., KGMU, UP, Lucknow.
7. The Controller of Examination, K.G. Medical University, UP, Lucknow.
8. Honorary Librarian, KGMU UP, Lucknow.
9. Proctor, KGMU UP, Lucknow.
10. Provost of all Hostels/Halls, KGMU UP, Lucknow.
11. The Finance Officer, K.G. Medical University, UP, Lucknow.
12. All Heads of the Departments, K.G. Medical University, UP, Lucknow for circulation amongst faculty of the Department.
13. Faculty Incharge- Trauma Centre/Centenary Hospital/Atal Behari Vajpayee Scientific Convention Centre/Guest House/I.T. Cell, KGMU UP, Lucknow.
14. Faculty-Incharge, KGMU Website with the remark to upload a copy on University Website.
15. All Section Incharge, Registrar Office, K.G. Medical University, UP, Lucknow.
16. All the Notice Boards.
17. Guard file

(Prof. M.L.B. Bhatt)
Vice-Chancellor

King George's Medical University,
Uttar Pradesh, Lucknow-226003

Phone : 91-522-2253171 Fax : 91-522-2257539 Website : www.kgmu.org

No 1352/Meeting Cell/2021
Dated, Lucknow, 19/02/2021

In exercise of the powers under sub-section (2) of section 42 of the King George's Medical University, Uttar Pradesh Act, 2002 (U.P. Act No. 8 of 2002), the Executive Council of the King George's Medical University, with *prior* approval of the Chancellor, hereby makes the following amendments in the King George's Medical University, Uttar Pradesh First Statutes, 2011, namely:-

(155)

KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY, UTTAR PRADESH (AMENDMENT) STATUTES, 2021

<table>
<tr><td>Short title</td><td>1</td><td>(1) These statutes may be called the King George's Medical University, Uttar Pradesh (Amendment) Statutes, 2021.
(2) It shall be deemed to have come into force on December 23, 2020.</td></tr>
<tr><td>Amendment of statute 11.07</td><td>2</td><td>In statute 11.07 of the principal statutes, for sub-statute (7) mentioned in column 1 below, the sub-statute mentioned in column 2 shall be substituted, namely-
<table>
<tr><th>Existing Statute</th><th>Statute hereby substituted</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>11.07(7) Leave without pay: A teacher may be given leave without pay for the period of 3 years during his entire service of the University by the Vice-Chancellor. In exceptional cases leave</td><td>11.07(7) Leave without pay: A teacher may be given leave without pay for a period of five years during his entire service of the University by the Vice-Chancellor. In exceptional cases of teachers of</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		without pay for another two years can be sanctioned by the Executive Council.	the University working in any other higher State/National Government Institution as Head of the institution i.e. Vice-Chancellor/Director/Principal etc. or other Higher rank therein, the aforesaid leave without pay may be extended for a further period not exceeding five years by the Executive Council.

Amendment of statute 11.08 — 3

In statute 11.08 of the principal statutes, for sub-statute (6) mentioned in column 1 below, the sub-statute mentioned in column 2 shall be *substituted*, namely-

Existing Statute		Statute hereby substituted	
1		2	
11.08(6)	A lien for a period not exceeding three years may be given to a teacher during his entire period of service in the University. This may be in one stretch or at different periods.	11.08(6)	A lien for a period mentioned in statute 11.07(7), may be given to a teacher during his entire period of service in the University. This may be in one stretch or a different periods.

Amendment of statute 11.09 — 4

In statute 11.09 of the principal statutes, for sub-statute (1) mentioned in column 1 below, the sub-statute mentioned in column 2 shall be *substituted*, namely-

Existing Statute		Statute hereby substituted	
1		2	
11.09(1)	A deputation shall be a leave without pay for a period not exceeding three years extendable for further two years by Executive Council under special circumstances if given to a teacher whose services have been specifically	11.09(1)	A deputation shall be a leave without pay for a period mentioned in statute 11.07(7) if granted to a teacher whose services have been specifically being asked by another educational Institution or State Government or

		being asked by another Institution.	Government. of India.

Amendment of statute 11.10	5	In statute 11.10 of the principal statutes, for sub-statute (1) mentioned in column 1 below, the sub-statute mentioned in column 2 shall be *substituted*, namely-

Existing Statute		Statute hereby substituted		
1		2		
11.10(1)	(a) A Professor shall be deemed senior to the Associate Professor and an Associate Professor shall be senior to an Assistant Professor. (b) The Seniority of a teacher shall be determined with respect to his/her date of joining on the post of designation both in case of direct lateral entry as well as personal promotion in the University.	11.10(1)	(a)	A Professor shall be deemed senior to the Professor Junior Grade (Additional Professor), a Professor Junior Grade (Additional Professor) shall be deemed senior to an Associate Professor and an Associate Professor shall be deemed senior to an Assistant Professor. (b) Subject to the provisions of the Act and the statutes made thereunder, the provisions of the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time, shall *mutatis mutandis* apply.

Ashutosh Kumar Dwivedi
Registrar

Lt. Gen. (Dr.) Bipin Puri
Vice-Chancellor

(157)

King George's Medical University,
Uttar Pradesh, Lucknow-226003

Phone : 91-522-2253171 Fax : 91-522-2257539 Website : www.kgmu.org

No. 13120/Meeting. Cell/2021 Date: 19/02/2021

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Principal Secretary to Hon'ble Chancellor, KGMU & the Governor of Uttar Pradesh, Raj Bhawan, Lucknow, in reference to Governor's Secretariat letter no. E-7449/4-GS/2013-ii(TC) dated 23.12.2020.
2. Principal Secretary, Medical Education Department, Govt. of U.P., Lucknow.
3. All Deans, KGMU, UP, Lucknow.
4. The Chief Medical Superintendent/Medical Superintendent (Medical/Dental), G.M. & A.H., KGMU, UP, Lucknow.
5. The Controller of Examination, KGMU, UP, Lucknow.
6. The Finance Officer, KGMU, UP, Lucknow.
7. All Heads of the Departments & Faculty members, KGMU, UP, Lucknow.
8. Faculty-Incharge, KGMU Website with the remark to upload a copy on University Website.
9. All Section.Incharge, Registrar Office, KGMU, UP, Lucknow.
10. P.S. to V.C. for kind information of Hon'ble Vice-Chancellor, KGMU, UP, Lucknow.
11. All the Notice Boards.
12. Guard file

(Ashutosh Kumar Dwivedi)
Registrar

(158)

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ – 226003

फोन : 91–0522–2253171 फैक्स : 91–0522–2257539
वेबसाईट : www.kgmu.org ई–मेल : registrar@kgmcindia.edu

संख्या- 2482 /जी0ए0 अनुभाग/2021 दिनांक: 14.06.2021

सेवा में,

अनुसचिव,
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-02,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।

विषय: परिनियमावली के संशोधनों के हिन्दी अनुवाद के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, प्रथम परिनियमावली, 2011 में मा0 कुलाधिपति महोदया की सहमति/अनुमोदनोपरान्त, विश्वविद्यालय की कार्य-परिषद् के विनिश्चय उपरांत निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किये गए हैं :-

1) King George's Medical University, Uttar Pradesh (Amendment) Statutes, 2018
2) King George's Medical University, Uttar Pradesh (Amendment) Statutes, 2019
3) King George's Medical University, Uttar Pradesh (Amendment) Statutes, 2021

उक्त प्रलेख (छायाप्रति संलग्न) अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेजों की श्रेणी में आते हैं, जिनकी विभिन्न अवसरों पर हिंदी भाषा में प्रति की आवश्यकता महसूस की गई, जो कि वर्तमान में अनुपलब्ध है ।

अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त विधायी प्रलेखों की शासन के भाषा विभाग से हिंदी में अनुवाद करवाने की कृपा करें, जिससे की शासन/प्रशासन के अधिकारियों एवं जनसामान्य हेतु उक्त विधायी प्रलेखों की हिंदी प्रति भी प्रकाशित की जा सके ।

भवदीय,

(आशुतोष कुमार द्विवेदी)
कुलसचिव
o/c

संलग्नक: यथोक्त ।

संख्या- 2482 /जी0ए0 एवं सम्पत्ति अनुभाग/2021, तददिनांक ।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1) प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
2) संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा अभुभाग-2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
3) प्रभारी, मीटिंग सेल, कुलसचिव कार्यालय, के0जी0एम0यू0, लखनऊ ।
4) कुलपति जी के निजी सचिव को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

(आशुतोष कुमार द्विवेदी)
कुलसचिव
o/c